खण्ड-217, अंक-1
सोमवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(12 सितम्बर, 1960 ई0)

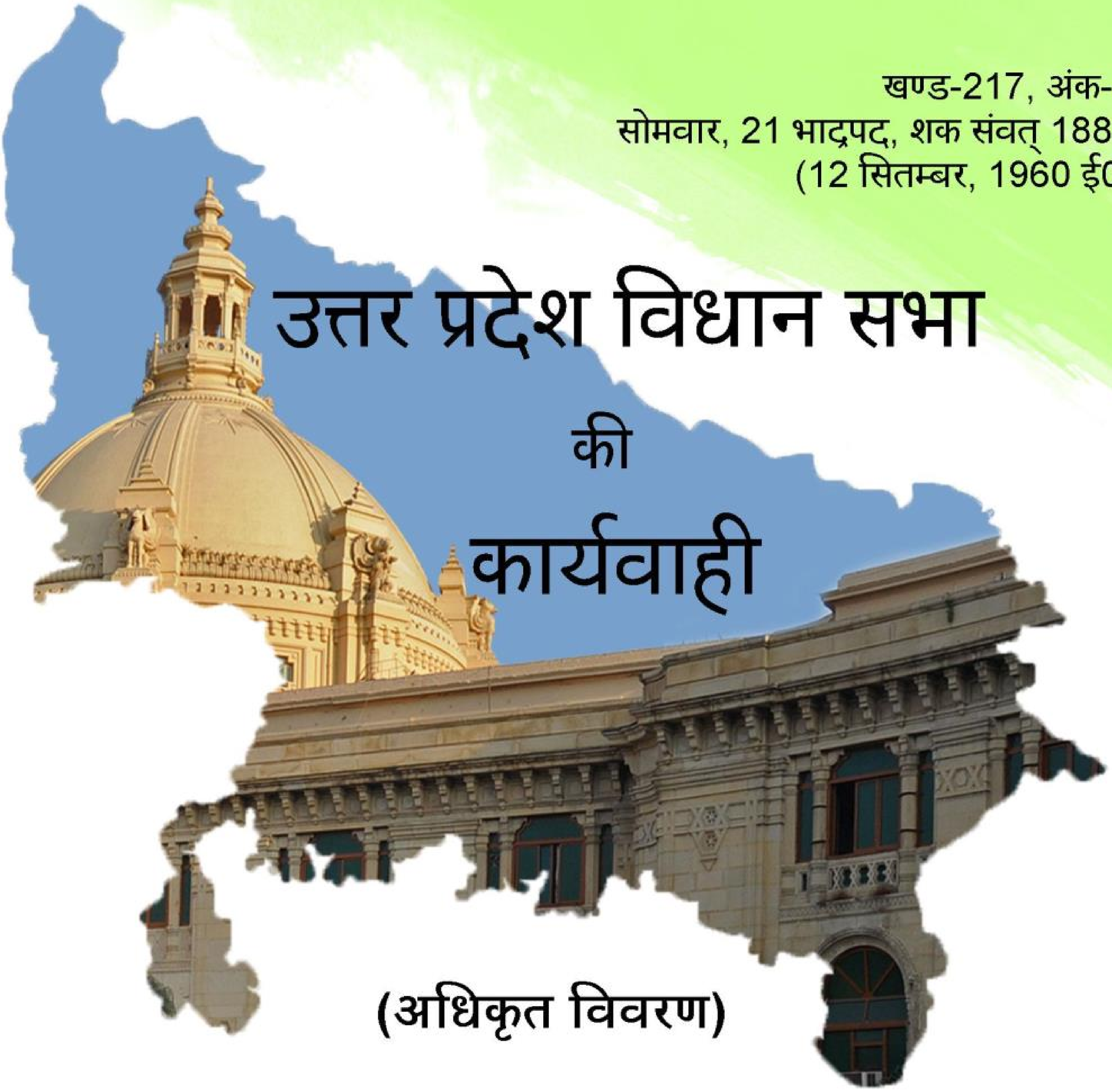

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—४
प्रश्नोत्तर	५—१५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१५
अखिल भारतीय व्रज साहित्य मंडल, मथुरा की बैठक में पुलिस के अनधिकृत प्रवेश से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१६—१९
सदस्यों द्वारा मंत्रियों को लिखे गये पत्रों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति ..	१९—२०
सदन का भावी कार्यक्रम	२०—२१
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी) ..	२१—७९
नत्थियां	८०—८२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

NATURE LIBRARY
NOV 1960
RA
3017

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[redacted]

सोमवार, १२ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२५

अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फ़र्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगीरथप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रविपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मातप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अवनी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकुनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ सितम्बर, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, लखनऊ से दूध के पाउडर की चोरी

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंगजार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के गोदाम से २२ अगस्त, १९६० को हजारों रुपये का दूध पाउडर चोरी से ले जाते हुये सन्तरी द्वारा पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक में, जोकि गांधी स्मारक व सम्बन्धित अस्पतालों का एक अंग है, २० अगस्त, १९६० को १६ दूध के बक्से जोकि खाली थे बेचे गये। ये बक्से ठेकेदार द्वारा २ रिक्शों पर ले जाये जा रहे थे। फाटक पर चौकीदार के जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उन खाली बक्सों में १० पाउडर दूध से भरे हुये पैकेट भी थे। जिसका मूल्य ० ३६.४५ नया पैसा था। चौकीदार की जांच के बीच ठेकेदार चुपके से निकल गया। इस घटना की रिपोर्ट अस्पताल के अधिकारियों द्वारा पुलिस में कर दी गई थी। पुलिस दोनों रिक्शों तथा उसके चालकों को बक्सों सहित थाने पर ले गई। पुलिस की जांच अभी जारी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी या कर्मचारी ने खाली बक्सों को ठेकेदार को दिया था ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो उन्होंने कहा है कि खाली बक्से समझ कर दिये गये थे जो रिक्शे पर लाद कर ले जाये जा रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह खाली बक्से समझ कर इस अस्पताल के किस अधिकारी या कर्मचारी ने ठेकेदार को दिये थे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्री जयमोहन लाल, क्लर्क इंचार्ज।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिस प्रकार से यह बक्से पकड़े गये इसी प्रकार प्रति दिन कार्यवाही होती रही है और मेडिकल कालेज के अधिकारियों से मिल कर होती रही है, इसी कारण से यह बक्से प्रतिदिन नहीं पकड़े जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार ने इस बात की जांच करवायी है कि खाली बक्से बेचने का अधिकार ठेकेदार को किसने दिया और जब ठेकेदार खाली बक्से ले जाता है तो कोई देखभाल करता है कि भरे हुए बक्से तो नहीं लिये जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो क्लीनिक के डाक्टर हैं उन्होंने यह तय कर रखा है कि खाली बक्से को ठेकेदार जो ऐप्रूव किये थे उन्हीं को दिया जाय। मालूम होता है कि जब ठेकेदार खाली बक्से लेने गया तो उसी कमरे में पाउडर के पैकेट भी रहते हैं, उसने चोरी से, रख लिया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—यह खाली बक्से कौन बेचता है और स्टोर का इंचार्ज कौन है ? क्या दोनों एक ही व्यक्ति तो नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह जयमोहन लाल, इंचार्ज हैं। उनको हिदायत है कि खाली बक्से ठेकेदारों में से जो आये उसको दे दें।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या सरकार को अपनी इनक्वायरी के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि इन खाली बक्सों के खरीदने या जाने का कहीं पर इंदराज नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी इनक्वायरी हो रही है। रेजल्ट आयेगा तो हमें पूरी जानकारी हो जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ठेकेदार था वह क्यों नहीं पकड़ा गया, रिक्शा चालक क्यों पकड़ा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हाफिज जी जो ठेकेदार थे वह चुपके से निकल गये। उस वक्त सिर्फ रिक्शे वाला पकड़ा गया ? बाद में तहकीकात के दौरान में ठेकेदार को बुलाया गया होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बक्से खाली हैं या उनमें सामान भरा है, इसको देखने के लिये कोई कर्मचारी है या यह कि एक दफा कह दिया कि बक्से खाली हैं, और उनको कोई उठा ले सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्लर्क इंचार्ज देखता है। वह निगरानी भी करता है। लेकिन चोरी करने वाले चोरी कर ही लेते हैं, बावजूद कोशिश करने के।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस महाशय ने यह बक्से बेचे और दूध के डिब्बे रख लिए, उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--उसकी जांच हो रही है, यह तो उन्होंने कहा।

श्री प्रतापसिंह--वह किसी विभाग में काम कर रहे होंगे, तो विभागीय भी कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्लर्क को वार्निंग अभी फिलहाल दे दी गई है। पुलिस की रिपोर्ट आने पर अगर उसकी और ज्यादा बदमाशी या उसमें पार्टिसिपेशन साबित होगा तो और भी सजा मिल सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किन-किन के खिलाफ हुई है और किसने रिपोर्ट की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमारे पास जो सूचना है उससे पता चलता है कि मेडिकल कालेज की एथारिटीज ने रिपोर्ट करायी है। किन-किन के खिलाफ करायी है यह इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यू० एस० ए० द्वारा प्राप्त मिल्क पाउडर का दुरुपयोग न हो पाये, इसके लिये यूनिवर्सिटी द्वारा कोई जांच हो रही है ? यदि हां, तो उन्होंने कोई तिथि बतायी जिस समय तक कि वह सूचना भेज सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय प्रश्नकर्ता खुद ही यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक मेम्बर हैं। उनको हमसे ज्यादा इसकी इत्तला होगी। हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं आई।

तारांकित प्रश्न

आगरा तथा अन्य मंडियों में खाद्यान्नों के भाव में बढ़ती

*१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (अ) आगरा शहर तथा (ब) प्रदेश की अन्य मन्डियों में जून, १९६० के तीसरे सप्ताह में गेहूं और चने के भाव क्रमशः क्या थे तथा जुलाई, १९६० के प्रथम सप्ताह में बढ़कर कितने हो गये ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जून, १९६० के तीसरे सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आगरा तथा प्रदेश के प्रमुख मन्डियों में गेहूं तथा चने के भावों की तालिका १ सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०–८१ पर)

*२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि खासकर आगरा शहर में भाव यकायक इतने बढ़ जाने के कारण क्या थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से खाद्यान्नों की आमद में कमी हो गई जिसके फलस्वरूप भावों में कुछ वृद्धि हुई ।

*३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने इस वृद्धि को रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? अगर हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, गल्ले के बढ़ते भावों को रोकने के लिये जो उपाय किए गए हैं उनका विवरण संलग्न तालिका २ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०–८१ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने तालिका (१) में गेहूं के भाव फुटकर बिक्री के दिये हैं और चने के भाव थोक के दिये हैं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दोनों के भाव उन्होंने एक ही तरह के क्यों नहीं दिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक की प्राइस ही कंट्रोल्ड है, दूसरे की प्राइस कंट्रोल्ड नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं का भाव आगरा में फुटकर १६ रु० ७५ न० पै० था और चने का भाव १४ रु० मन थोक में था, तो फुटकर भाव चने का क्या होगा और क्या गेहूं और चना एक ही भाव बिक रहा है इस सरकार के राज्य में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । इसी को तो हमने ठीक किया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं का भाव-इटावा और फर्रुखाबाद दोनों जिले मिले हुए हैं लेकिन इटावा में १६ रुपये मन था और फर्रुखाबाद में १८ रु० २८ न० पै० मन । तो यह सवा दो रुपये मन का फर्क पड़ोस के जिलों में किस लिए हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह फर्क तो जैसा कि पूर्वी जिलों में होता है यहां और ज्यादा होना चाहिए था, मगर वहां ऐसा नहीं है । मूवमेंट कंट्रोल आर्डर के अन्तर्गत कुछ डेफिसिट एरिया होते हैं और कुछ सरप्लस । डेफिसिट एरिया में तो कुछ भाव में अन्तर आता ही है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आगरा शहर में भाव इसलिए बढ़ गया कि अन्न का भाव सारे प्रदेश में बढ़ गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो ऊपर दिया ही है कि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में आमद कम होने से सर्वत्र भाव बढ़े हैं ।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया है कि आगरा से बहुत बड़े पैमाने पर स्मग्लिंग होती है इसलिए वहां बाजार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और गेहूं महंगा बिकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चावलों का ज्यादा स्मग्लिंग होता है, गेहूं का कम होता है और उसके लिए हमने काफी प्रयत्न किया है । प्रतिबन्ध लगा दिया है, अब नहीं जाता, रेलवे से भी नहीं जाता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं वे गेहूं की स्मग्लिंग बढ़ाने के लिये किये हैं अथवा चावल की स्मग्लिंग रोकने के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह आर्डर तो दोनों की रोकथाम के लिये है । स्क्वाड दोनों को ही देखता है ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—जब चना २० रुपये मन से अधिक हो गया है और भविष्य में काश्तकारों को बीज के लिये दिक्कत पड़ेगी तो क्या सरकार उसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मेरा अनुमान है टेम्पोरेरीली दाम थोड़ा बढ़ा है बारिश की वजह से, वाटर लागिंग की वजह से और अब चने का भाव घटेगा ।

*४–५—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[स्थगित किये गये ।]

भदोही स्टेशन पर कोयला की पल्लेदारी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*६—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, अप्रैल, मई, १९६० की अवधि में भदोही स्टेशन, जिला वाराणसी पर कोयला उतारने की पल्लेदारी करने वाले श्री निरहू हरिजन तथा अन्य हरिजनों ने कोयले की गाड़ियों से कोयला उतारने में की जाने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायती-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्य-वाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—भदोही स्टेशन । (जिला वाराणसी) के निकट रहने वाले हरिजनों का भदोही स्टेशन पर कोयला उतारने की पल्लेदारी के सम्बन्ध में सरकार के पास एक शिकायती-पत्र आया था । आवश्यक जांच करने से ज्ञात हुआ कि श्री निरहू अपने कुछ साथियों सहित वैगनों से कोयला उतारने का कार्य किया करते थे । किन्तु कुछ महीनों से श्री सुखई राम और उनके साथी भी यह कार्य करने लगे हैं । चूंकि श्री सुखई राम और उनके साथियों की पल्लेदारी की दर श्री निरहू और उनके साथियों से कम है, बहुत से व्यापारी श्री सुखई राम और उनके साथयों से ही काम लिया करते हैं । इस मामले से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

*७—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)—[१९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*८–९—**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)—[१९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ६ श्री गोविन्दसिंह बिष्ट ने पूछा ।

*१०-११—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[१९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२-१३—श्री रामअभिलाख (जिला गोंडा)—[स्थगित किये गये]

बरेली जिले में सरिया की कमी की शिकायत

*१४—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले ६ माह से जिला बरेली में मकानों के लिये तीन सूत की सरिया का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों और यह दिक्कत कब तक दूर हो जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सर्दी में कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को सरिया दिया गया और कितनों को नहीं दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जनवरी से इस समय तक ६५ टन से कुछ ऊंचा ३/८ इंच का सरिया वहां वितरित किया गया है । डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर से मालूम हुआ है कि बहुत जल्दी वहां और सामान पहुंचने वाला है ।

श्री बाबूराम —क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि देहातवालों को भी सरिया मिल सके जिनको अब नहीं मिल पा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये उनको हम लिख देंगे कि देहात का भी खयाल रखें । सरिये की वहां कमी नहीं मालूम होती है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—जब सरिये की इतनी आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो मंत्री जी को कैसे मालूम हुआ कि कमी नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने बताया कि ६५ टन से ऊपर पहुंच चुका है । उनका प्रश्न था कि कतई नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—बरेली खास में अभाव है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने कहा कि और पहुंच रहा है, कोई कमी नहीं रहेगी ।

श्री रामायणराय—पहुंचना प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पूछने के बाद शुरू हुआ है या पहले ही जा रहा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न करने से कोई असर नहीं होता है । वह तो रोज का काम है और दैनिक कार्य होता ही है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी वहां के कोटे की सही तरह से वितरित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी पहुंचा ही नहीं है तो कैसे अन्दाजा कर लें कि वितरण की व्यवस्था सही नहीं है ?

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि बरेली और उसके आसपास सरिया ब्लैक में ही मिल सकता है, परमिट से नहीं मिलता है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १४ श्री बाबूराम ने पूछा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सोचना आपका बड़ा गलत है। आजकल सरिये का भाव ब्लैक में बहुत कम है हमारे कंट्रोल्ड रेट से। इसलिये सरिये का कोई अभाव नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—तो फिर, श्रीमन्, कंट्रोल क्यों कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब है कि बाहर भी बहुत मिल रहा है।

उन्नाव जिले में कोआपरेटिव द्वारा निर्मित नलकूप

*१५—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कोआपरेटिव द्वारा कितने नलकूप बनाये गये हैं और इनमें से कितने बेकार पड़े हैं तथा कितने सिंचाई में काम कर रहे हैं ? इन नलकूपों के निर्माण में कितना रुपया लगा है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—सूचना एकत्र की जा रही है।

योजना आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट

*१६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार को मालूम है कि योजना आयोग के प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन की सबसे ताजी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गल्ले की पैदावार उतनी नहीं हुई जितनी कि सरकार आशा करती थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं लिखी है।

*१७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार का रबी अभियान उतना जनान्दोलन नहीं था जितनी सरकारी कोशिश और यह भी कि बाजार और कर्ज सम्बन्धी असुविधाओं के कारण ग्रामोद्योगों के वितरण का कार्य अवरुद्ध है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां, यह लिखा गया है कि रबी अभियान में जितने अवैतनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलना चाहिये था, नहीं मिला। इस रिपोर्ट में ग्रामोद्योगों के बारे में कोई विचार नहीं प्रकट किया गया है।

*१८—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त बातें क्यों हुईं और वास्तविक पैदावार और सरकार द्वारा प्रत्याशित पैदावार में कितना अन्तर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मूल्यांकन रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में रबी आन्दोलन और प्रदेशों के मुकाबले में अधिक सफल रहा है, परन्तु यह ठीक है कि विभिन्न कारणों से वास्तविक पैदावार लक्ष्य से कम हुई। उत्तर प्रदेश की सन् १९५८-५९ वर्ष में वास्तविक पैदावार ७५.७४ लाख टन थी और प्रत्याशित पैदावार ८७.८१ लाख टन थी।

सोहरामऊ बीज भंडार की जांच

*१९—**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोहरामऊ इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट सीड स्टोर, जिला उन्नाव का अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक कितने मर्तबा इंस्पेक्शन किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१५ बार इंस्पेक्शन हुआ।

*२०—**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सीड स्टोर के निकटवर्ती असोहा सीड स्टोर का इसी अवधि में कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१८ बार इंस्पेक्शन हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सोहरामऊ गवर्नमेंट सीड स्टोर का जो १५ अगस्त को इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें कुछ विशेष गड़बड़ी थी, और उस इंस्पेक्शन की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ?

नोटः—तारांकित प्रश्न १५, १९-२० श्री भीखालाल ने पूछे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—न कोई शिकायत थी जिसका इंस्पेक्शन हुआ और न कोई गड़बड़ी ही पायी गयी ।

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इतने अधिक इंसपेक्शन करने की क्या आवश्यकता हुई मंत्री जी को ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने स्वयं तो वे इंस्पेक्शन नहीं किए । वह कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री रामायणराय—उन्होंने कहा कि १५ बार इंसपेक्शन किया गया, तो मैं कहता हूं कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो इतना इंसपेक्शन क्यों किया गया, इसका कारण बताने की कृपा करें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर से यह उम्मीद की जाती है कि हर महीने वह इंस्पेक्शन करे, ९–१० इंसपेक्शन तो उन्हीं के हो जाते हैं और अलावा उसके जो जिला अधिकारी और अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं और लखनऊ के अधिकारी हैं उन सभी के इंसपेक्शन हुए ।

सहकारी नलकूप

*२१—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने-कितने सहकारी नलकूप ऐसे हैं जो वर्षों से बेकार पड़े हैं और चालू नहीं हैं ?

*२२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नलकूप कितने वर्षों से बेकार पड़े हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना कब तक प्राप्त हो जायगी और किस स्टेज तक कार्य हो चुका है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, रजिस्ट्रार महोदय का कार्यालय टूट जाने के कारण से वहां का कार्य ठप पड़ा है और इसी कारण जो सूचना हम चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं है । इसी वजह से सूचना नहीं दी जा सकी ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहकारी नलकूप प्रदेश में बेकार पड़े हैं उन्हें चालू करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बतला दूं कि इस समय प्रदेश में ५९० सहकारी नलकूप हैं जिनमें ४६२ सहकारी नलकूप हैं और १२८ गन्ना विभाग के हैं । इनमें से ९६ सहकारी समितियां अपने नलकूप देना नहीं चाहतीं, ३२ लिये जा चुके हैं और ५० इसी साल कंट्रोल कोआर्डिनेशन कमेटी ने लिया जाना स्वीकार किया है और बकिया के लिये सरकार का इरादा है कि जल्दी से जल्दी वह ले ले ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सहकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी नलकूपों को सिंचाई विभाग के जिम्मे करने की जो बातचीत चल रही है वह किस स्टेज पर है और कब तक उस पर निर्णय हो जायगा और सिंचाई विभाग इन नलकूपों को ले लेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि ३२ लिये जा चुके हैं, ५० इसी साल लिये जाने के आदेश हो चुके हैं, इसके अलावा जितनी जल्दी से जल्दी फंड्स उपलब्ध होंगे उतनी जल्दी लिये जायेंगे ।

हसनगंज विकास खंड में कृषि फार्म के लिए हस्तगत भूमि

*२३—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है कि प्रत्येक विकास खंड के अन्तर्गत एक राजकीय कृषि फार्म खोला जाय और उसके लिये भूमि हस्तगत की जा रही है ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने विकास खंडों में कितनी-कितनी भूमि हस्तगत की जा चुकी है और कितनों पर कार्यवाही चल रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। २२८ विकास खंडों में ५,८५० एकड़ भूमि हस्तगत की जा चुकी है और १०० विकास खंडों के लिये कार्यवाही हो रही है।

*२४—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसनगंज विकास खंड, जिला उन्नाव में उक्त फार्म के लिये कितनी भूमि हस्तगत की गई है और उसमें कितने किसानों की अलग-अलग कितनी जमीन ली गई है और उसके पास अब कितनी-कितनी भूमि शेष रह गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कुल २४.७५ एकड़ भूमि हस्तगत की गई है जिसमें से १० किसानों से ३९ बीघा १२ बिस्वा ली गई है जिनका भूमि का व्योरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२ पर)

*२५—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसनगंज विकास खंड, में जो भूमि हस्तगत की गई है उसमें क्या कोई बाग भी है ? यदि हां, तो बाग की भूमि को फार्म के लिये लेने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में दी गई तालिका के क्रम संख्या २ व ३ के कृषकों के खेतों में बाग कागजात में दर्ज हैं पर मौके पर बाग की शकल में नहीं थे। अधिकतर पुराने ईंधन वाले वृक्ष थे। इनका लेना आवश्यक था क्योंकि फार्म की भूमि के चक में था।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६० किसानों की जमीन ली गयी है उन्हें फिर से रोजगार दिलाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उनको मुआवजा दिया जायेगा और यदि वे चाहेंगे तो उन्हें उन जमीनों के ऊपर कार्य करने में प्राथमिकता भी दी जायेगी। इसके अलावा अगर ग्राम समाज की जमीन है और उसे वे बतायेंगे तो वह जमीन भी उनके नाम एलाट की जा सकती है।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन कृषि फार्मों को खोलने के लिये उसी तहसील के दो बड़े किसानों ने अपनी जमीनें देने का आफर किया था लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उनसे जमीन न लेकर १० ऐसे किसानों से जमीन ली जो बेघरबार हो गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है।

श्री प्रतापसिंह—प्रत्येक विकास खंड में जो एक सहकारी फार्म खोलने की योजना बनाई जा रही है, इसका क्या प्रयोजन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह इसलिये है कि इससे उन्नतिशील बीज उत्पन्न किया जा सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो २२८ विकास खंडों में जमीन ली जा रही है, इस जमीन के एवज में क्या किसानों को जमीन ही दी गयी है या मुआवजा भी दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, चूंकि यह प्रश्न इससे उठता नहीं था, लेकिन ज्यादातर मुआवजा ही दिया गया है।

श्री प्रतापसिंह—सरकार की नीति इन फार्मों को खोलने में यह है कि बीज ज्यादा पैदा हो, तो प्रदेश के जो और फार्म्स हैं जो इसी प्रयोजन के लिये बनाये गये हैं, जिनमें घाटा हो रहा है, उनमें सरकार कोई इस तरह का प्राविजन करने की कृपा करेगी जिससे बीज अधिक पैदा हो ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उनमें भी प्राविजन किया जा रहा है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि बजट सेशन में एक घोषणा भी की गयी थी कि इसके लिये एक कमेटी बिठाई जा रही है जिससे कि ठीक प्रकार से वे फार्म्स चल सकें।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ ऐसी जमीन भी ली गयी है जो नजूल लैंड है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसकी सूचना नहीं है।

श्री भीखालाल—प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में जो बताया गया है कि जो दो किसानों की जमीन ली गयी है उसमें कुछ ऐसे खेत भी हैं जो कागज में बाग दर्ज हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि उसमें कुछ बहुत पुराने पेड़ ईंधन वाले हैं, इसलिये उनको बाग नहीं माना जा सकता, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बाग लिये गये हैं वे क्या बहैसियत बाग इस्तेमाल होते रहे हैं, या दूसरे तरह से भी इस्तेमाल होते रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कागजात में बाग दर्ज है लेकिन बहुत पुराने ईंधन के वृक्ष हैं। जैसा कि उत्तर में बताया गया बीच में पड़ जाने से उनको लिया जाना मुनासिब समझा गया।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की जमीन ली गई उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सारी जमीन चली गयी है और वह बेरोजगार हो गये हैं इसलिये उनको कोई ऐसे साधन उपलब्ध करने की कृपा की जायगी जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने उत्तर में बतलाया था कि मुआवजे के अलावा अगर वह उन्हीं फार्म्स पर काम करना चाहेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जायगी और अलावा इसके अगर वह कहीं ग्राम समाज की जमीन बता सकेंगे तो जिलाधीश से कोशिश की जायगी कि वह जमीन उनको एलाट कराई जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि इन फार्म्स में जिन लोगों की जमीन ली गई है उनको अधिक दाम दिये गये हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—लिखित शिकायत दें तो जरूर जांच होगी।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों से जहां जमीन बहुम कम है वहां के अधिकांश स्थानों से यह शिकायत आई है कि हमारे यहां फार्म न खोले जायं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कुछ शिकायतें आई हैं। सरकार ने एक आदेश भेजा है कि इस बात की कोशिश की जाय कि जिन लोगों की जमीन ली जाय उनके पास कुछ न कुछ जमीन जरूर छोड़ दी जाय और बड़े आदमियों की जमीन लेने की कोशिश की जाय।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—विकास खंडों के लिये जिन लोगों की जमीन ले ली जाती है उस पर कब्जा पहले कर लिया जाता है और मआवजा बाद में दिया जाता है इसलिये उनको बड़ी परेशानी होती है इसलिये क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि उनको पहले कम्पेंसेशन दे दिया जाय और तब जमीन पर कब्जा किया जाय?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कम्पेंसेशन तो कब्जा लेने के बाद ही दिया जा सकता है। ५ हजार तक कम्पेंसेशन देने का अधिकार जिलाधीश को ही है लेकिन ५ हजार से ज्यादा जब कम्पेंसेशन होता है तब बोर्ड आफ रेवेन्यू में आता है जिसमें कुछ समय लग जाता है। कोशिश यही होती है कि जल्दी हो जाय।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—मंत्री जी ने अभी जो बताया कि बड़े आदमियों की जमीन लेने की कोशिश की जायगी तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े आदमियों से उनका क्या अभिप्राय है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिनके पास अधिक जमीन हो।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको जो मुआविजा दिया जाता है वह प्रति एकड़ किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के नियमानुसार।

केन डेवलपमेंट यूनियन, सीतापुर के हिसाब में गड़बड़ी की जांच

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर केन डेवलपमेंट यूनियन लि० सीतापुर में वित्तीय वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८ १९५८–५९ और १९५९–६० के दिनांक ३१–१२–५९ तक कुल कितने रुपयों का गबन प्रतिवर्ष हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सीतापुर केन डेवलपमेंट यूनियन लि० सीतापुर में गन्ने के मूल्य के भुगतान में गड़बड़ी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर जांच की जा रही है पर यह अभी नहीं कहा जा सकता कि वित्तीय वर्षों में १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में दिनांक ३१–१२–५९ तक सालाना कितना अधिक भुगतान हुआ है।

*२७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों के गबन से संबंधित कितने कर्मचारी किस-किस पद के कब से मुअत्तल हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उक्त केस से संबंधित केवल एक कर्मचारी एकाउन्टेंट के पद से ८ अक्तूबर, १९५९ से मुअत्तल है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २९–८–६० को मेरे पास जो लिखित उत्तर पहुंच गया था उसमें और इस उत्तर में अन्तर क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—आपने यह तो बताया ही नहीं कि वह उत्तर क्या था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

"१—सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड सीतापुर में वित्तीय वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० के दिनांक ३१–१२–५९ तक किसी वर्ष कोई गबन नहीं हुआ।

२—प्रश्न ही नहीं उठता।"

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उन ४ सालों में यह अनुमान था कि कोई गबन नहीं है। पहले वर्ष, १९५५–५६ में अधिक भुगतान किया गया था। और अधिक जांच हुये बिना यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस साल में अधिक भुगतान हुआ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—८–१०–५९ से जो कर्मचारी मुअत्तल है वह क्या किसी विभागीय अफसर की रिपोर्ट पर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार को गबन या गड़बड़ी की रिपोर्ट कब मिली और उसमें १९५५–५६ का हवाला था या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—आडिटर की रिपोर्ट २३–१०–५८ में हुई और उसी समय अधिक भुगतान की जानकारी हुई ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मुअत्तल किया हुआ कर्मचारी २९–८–६० के पहले मुअत्तल किया गया या बाद में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--८-१०-५९ को, बतलाया तो।

श्री प्रतापसिंह--गबन की रिपोर्ट किन-किन अधिकारियों के खिलाफ है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--विशेषकर एकाउन्टेंट के। अलावा इसके कुछ और भी कर्मचारी हैं, जैसे आनरेरी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--अधिक भुगतान किसने प्राप्त किया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जिन एकाउन्टेंट का मैंने मुअत्तल होने का जिक्र किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कार्यवाही केवल एक ही आदमी के खिलाफ की जा सकी या अन्य लोगों के विरुद्ध भी करने की सोची जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--असिस्टेंट सेक्रेटरी को भी सस्पेंड किया हुआ है।

श्री नन्दराम--गबन की रिपोर्ट की जांच किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भी कराई गई थी, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जांच कराके ही सस्पेंड किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अक्तूबर ५८ में आडिट की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कब जांच कराना शुरू किया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--उसी समय, ३० नवम्बर को ही, गन्ना फेडरेशन को लिख दिया गया था, चूंकि एकाउन्टेंट उसके कर्मचारी हैं और उनका स्थानान्तरण शाहजहांपुर को हो गया था।

श्री रामायणराय--उक्त जांच किस अधिकारी द्वारा कराई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--डिस्ट्रिक्ट केन अफसर।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--एकाउन्टेंट को ८-१०-५९ को सस्पेंड किया गया। श्री सोबती, असिस्टेंट सेक्रेटरी, को भी सस्पेंड किया हुआ है। कुछ और लोगों को भी सस्पेंड किया था लेकिन उनके सस्पेंशन आर्डर्स फिलहाल स्टे कर दिये गये हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--लिखित उत्तर में एक व्यक्ति के मुअत्तल करने की बात है और अभी मंत्री जी ने २ कहा, इनमें कौन-सा उत्तर सही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जब उत्तर आया था उस समय १ ही था। गन्ना फेडरेशन के पास पेश्तर से लिखकर भेज रखा था, जो आटोनामस बाडी है, उसने बाद में सस्पेंड किया

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सचनायें

श्री अध्यक्ष--आज मैंने एक काम रोको प्रस्ताव को अनिश्चितता के कारण स्वीकार नहीं किया और नियम ५२ के अनुसार जो दिये थे उनमें से कोई स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनमें स्पष्टता नहीं थी। एक कुछ महत्व का मालूम होता था, लेकिन उसमें भी स्पष्टता नहीं है, इसलिये मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है।

अखिल भारतीय व्रज साहित्य मंडल मथुरा की बैठक में पुलिस के अनधिकृत प्रवेश से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मथुरा की व्रज साहित्यिक संस्था है, अखिल भारतीय साहित्य मंडल, पुराना भी है और रजिस्टर्ड भी है, इस प्रदेश के सभी लोग उसके नाम से भी परिचित हैं। उसके जनरल सेक्रेटरी श्री भंडारी थे और उसके अध्यक्ष श्री राजबहादुर, जोकि केंद्रीय सरकार की कम्युनिकेशन और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री में हैं। अभी गत जुलाई में मंडल ने अपने विधान को संशोधित और परिवर्तित करने का निश्चय किया और जो संशोधन और परिवर्तन हुआ, कहा जाता है कि उस संशोधित और परिवर्तित संविधान को मंडल की कार्यकारिणी समिति ने १९ जुलाई को स्वीकार किया। मालूम ऐसा होता है कि उस संशोधित और परिवर्तित संविधान को स्वीकार करने के फलस्वरूप कुछ मतभेद उसके सदस्यों में उत्पन्न हुआ। फलतः उसी दिन श्री गौरीशंकर अग्रवाल, जो मेम्बर हैं, मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने मुंसिफ, मथुरा की अदालत में एक दरख्वास्त दी और उसमें प्रार्थना यह की कि जो संशोधित विधान बना है उसे जनरल बाडी से स्वीकार कराना था, उसे कार्यान्वित करने पर रोक लगा दी जाय, अस्थायी इंजक्शन जारी कर दिया जाय। लिहाजा १९ जुलाई को मुंसिफ की अदालत से वह इंजक्शन जारी हो गया। लेकिन दूसरे ही दिन २० तारीख को मुंसिफ ने स्वयं अपने आर्डर को वकेट कर दिया और उसके बाद जनरल मीटिंग हुई। दूसरे दिन २० तारीख को ही, कहा जाता है, मंडल की साधारण सभा की बैठक हुई और उसमें यह भी कहा जाता है कि उस संशोधित संविधान को संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया। उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप श्री भंडारी जी जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे। साथ ही साथ उसी दिन २० तारीख को एक तरफ यह इंजक्शन वकेट हुआ, साधारण सभा की बैठक हुई, संशोधन स्वीकार हुआ, तीसरी तरफ उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज के यहां श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने मुंसिफ की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। और रिपोर्ट के अनुसार यह भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से उनकी अपील मंजूर कर ली गयी और उन्होंने यह आदेश दिया कि यह इंजक्शन जारी रहना चाहिये। लिहाजा इंजक्शन जारी हो गया। अब वह मामला डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में विचाराधीन है। इस बीच में कहा यह जाता है कि भंडारी जी ने जो मंडल का कार्यालय था, जिसमें ताला बन्द था, उस ताले पर एक अपना ताला भी बन्द कर दिया। ऐसा रिपोर्ट में है। इसके साथ ही साथ कार्यालय के व्यवस्थापक श्री सतीशचन्द्र जी ने कलेक्टर को एक दरख्वास्त दी कि कार्यालय के ताले पर भंडारी जी ने दूसरा ताला बन्द कर दिया है और यह कि १ सितम्बर को वह एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं। लगता ऐसा है कि मंडल के कार्यालय के ताले को तोड़ कर उस पर कब्जा किया जाय, लिहाजा कार्यालय पर पुलिस का पोस्टिंग कर दिया जाय ताकि किसी तरह का झगड़ा फसाद न होने पाये। कलेक्टर ने कहा कि अदालत में मामला मौजूद है लिहाजा अगर पुलिस की पोस्टिंग चाहते हो तो खर्चा जमा कर दीजिये। उन्होंने उसका खर्चा जमा कर दिया। १ तारीख के प्रातःकाल आर्म्ड गार्ड पोस्ट कर दिया गया। पहली तारीख को भंडारी जी ने एक मीटिंग बुलाई और वह मीटिंग, चूंकि कार्यालय पर ताला बन्द था इसलिये एक पेड़ के नीचे हुई बाद में मीटिंग डिसपर्स हो गयी। वह सारा का सारा मामला डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा के यहां विचाराधीन है। पुलिस की ओर से न तो भंडारी जी की मीटिंग में हस्तक्षेप किया गया और न किसी पर कोई आतंक जमाया गया। वह तो केवल कार्यालय पर पोस्टेड थी चूंकि व्यवस्थापक ने ऐसी मांग की थी और उसके लिये खर्चा जमा भी किया था। गार्ड इस विचार से पोस्ट किया गया था कि खयाल यह था कि ताला वगैरह तोड़ कर कब्जा करें इसलिये उनसे खर्चा लेकर गार्ड पोस्ट किया गया। बस इतना ही मामला इस वक्त मेरे सामने है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज ने नये विधान को लागू करने से रोक दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह तो मैंने निवेदन किया कि डिस्ट्रिक्ट जज ने यह फैसला किया कि इंजंक्शन जारी रहना चाहिये और जारी कर दिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जनरल मीटिंग के बारे में इंजंक्शन हुआ तो उसके बाद भी जो मीटिंग हुई उसमें मंडल के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजबहादुर जी मौजूद थे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें लगता तो ऐसा है कि श्री राजबहादुर जी शायद मौजूद नहीं थे क्योंकि जो मीटिंग २० तारीख को हुई उस मीटिंग में श्री राजबहादुर जी फिर अध्यक्ष चुने गये। विधान के अनुसार जायज हुआ या नाजायज हुआ, यह अदालत के तय करने की बात है। मैं नहीं जानता। केवल रिपोर्ट में बतलाया गया है कि जो २० तारीख को मीटिंग हुई उसमें श्री राजबहादुर जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन भंडारी जी जनरल सेक्रेटरी नहीं चुने गये। श्री राज बहादुर जी के वहां उपस्थित रहने की कोई सूचना इसमें नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इन मीटिंग्स की किसी भी मीटिंग में प्रदेश के कोई मंत्री, राज्य मंत्री महोदय मौजूद थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर १९,२० तारीख की मीटिंग्स की बात आप पूछ रहे हैं तो उनमें किसी के उपस्थित होने की सूचना मेरे पास नहीं है। जो वहां से रिपोर्ट आयी है यह यह है कि उस मीटिंग में संविधान के अनुसार तीन व्यक्तियों को अथाराइज कर दिया गया और एक प्रस्ताव पास हुआ कि इन तीन व्यक्तियों की इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाय और एक ट्रस्ट कमेटी भी बना दी गयी। उन तीनों में १—श्री राज बहादुर जी, २—डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी तथा ३—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सतीशचन्द्र, कार्यालय व्यवस्थापक, ने जो पहली तारीख को मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग की बैठक हुई ? यदि हुई, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बताया जाता है कि पहली तारीख को मंडल भवन के खुले मैदान में पेड़ के नीचे मीटिंग हुई। अब क्या रेज्योलूशन वगैरह हुआ, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उसका रजिस्टर्ड विधान है उसकी धारा २४ के अनुसार मंडल की स्थायी समिति का होना आवश्यक है जो हर तरह से प्रभुत्व सम्पन्न होगी और मंडल के समस्त अधिकार उसमें निहित होंगे, यह व्यवस्था होने के बावजूद बिना स्थायी समिति की स्वीकृति के माननीय राजबहादुर या प्रेसिडेंट ने स्वयं अपने मन से चुनाव कर लिया और जनरल मीटिंग नहीं बुलायी ?

श्री अध्यक्ष—यह मामला तो अदालत के सुपुर्द है, इसलिये उस मामले की जो मेरिट्स हैं उनमें तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, उसके अलावा आप भिन्न पूछ सकते हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि इसमें बतलाया गया है कि जो पहले सेक्रेटरी थे, फिर सेक्रेटरी नहीं रहे, तो क्या कोई संविधान में परिवर्तन किया गया या कोई नया चुनाव किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि उनके संविधान में संशोधन और परिवर्तन किया गया और संविधान की स्वीकृति के लिये २० तारीख को साधारण जरनल मीटिंग हुई। कहा जाता है कि उसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और उसकी स्वीकृति के फलस्वरूप भंडारी जी उसमें नहीं रहे। अब क्या हुआ, रजिस्टर्ड संस्थाओं के चुनाव और उनके डिटेल से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस प्रस्ताव के द्वारा यह २० तारीख की मीटिंग बुलायी गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ इतने से हो जाता है कि किसी ने दरख्वास्त दी और पहली तारीख को वहां पुलिस पोस्ट कर दी गयी। अब उस संबंध में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या विधान है, कौन चुना गया, यह सब मामला अदालत तय करे। सरकार से क्या मतलब ?

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि वहां कितनी पुलिस भेजी गई और पुलिस इस समय वहां पर है या हटा दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस तो कभी की हट गई, अब कोई आवश्यकता नहीं है, मामला अदालत में है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—जब अदालत द्वारा नया संविधान रोक दिया गया तो फिर नये मंत्री के कहने पर कलेक्टर ने पुलिस क्यों भेज दी, पुराना मंत्री ही माना जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट जज ने रोका है, लेकिन वे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर हमला होगा, कहीं तोड़-फोड़ हो जाय, या कुछ और बारदात हो जाये, तो उसके सिलसिले में उन्होंने कहा हस्तक्षेप किया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जब संविधान डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा रोक दिया गया, उस हालत में नये संविधान से नया मंत्री नहीं हो सकता, पुराना ही माना जायेगा, तो पुराने मंत्री को रोकने के लिये नये मंत्री द्वारा प्रार्थना करने पर पुलिस क्यों कलेक्टर ने डिप्यूट कर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पता नहीं कि अदालत का फैसला क्या होगा। उन्होंने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि नया हो या पुराना हो या जो पुराना हो वह कंटीन्यू करेगा। मामला केवल इतना है कि जो व्यवस्थापक अपने को कहते हैं सतीशचन्द्र माहेश्वरी, उनका पत्र कलेक्टर के नाम आया....

श्री अध्यक्ष—वह सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि यह व्यवस्थापक नये चुने गये हैं या पुराने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मैं नहीं जानता कि नये चुने गये हैं या पुराने हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस मांगी और जिन परिस्थितियों में मांगी उनको लिखा। उसके हिसाब से पोस्ट कर दी गई। कानूनन कलेक्टर को अगर ऐसा पता चले कि कहीं इस प्रकार से आपस के झगड़े की वजह से यह स्थिति होती है और कोई सुरक्षा की मांग करे तो कभी अपनी ओर से और कभी खर्च लेकर वह ऐसा कर देता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को ऐसी शिकायत मिली है कि उन्होंने कलेक्टर साहब से जाकर यह कहा कि इस कमेटी में ३ मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिये यह जरूरी है कि आज शाम को मीटिंग न होने दी जाय क्योंकि वह और लोगों को छांटने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह तो एक आक्षेप करना है। बाल की खाल निकालना और अर्थ का अनर्थ लगाना, यह तो गोविन्दसिंह जी हमेशा ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष—धूल में शायद वे लट्ठ लगा रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जिस व्यक्ति ने पुलिस की मांग सरकार से की वह व्यक्ति अधिकारी है, इस बात की जांच सरकार ने पुलिस भेजने के पहले कर ली थी अथवा पत्र पाने पर ही पुलिस भेज दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह कार्यालय मंत्री हैं। कार्यालय व्यवस्थापक नाम लिखा है, मालूम होता है कि कार्यालय मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि एक वैतनिक अधिकारी हैं मंडल के।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो सतीशचन्द्र माहेश्वरी जी का पत्र है उसमें क्या यह है कि ३० तारीख को ही.....

श्री अध्यक्ष—महीना भी बतलाइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जुलाई की। तो उस पत्र में क्या स बात का हवाला है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जो अपील हुई उसमें इंजंक्शन जारी हो चुका है और सब चीज रोक दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३० तारीख को किसी इंजंक्शन के ईश्यू होने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। २० जुलाई को उन्होंने मुंसिफ के फैसले के खिलाफ जो अपील की गई थी उसको मंजूर करते हुये इंजंक्शन ईश्यू किया था। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने २० जुलाई को इंजंक्शन ईश्यू कर दिया था और घटना ३० अगस्त की है यानी १ सितम्बर को वहां मीटिंग कर रहे थे भंडारी जी, और चिट्ठी यह लिखी गई थी कि वहां पुलिस भेज दी जाय, झगड़ा होने की आशंका है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इन तीन मंत्रियों के सिर पर जो बोझ है उसे हल्का करने के लिये माननीय सहकारिता मंत्री को भी नामजद कर देने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि उसमें जो तीन मंत्री बताये जाते हैं वे थे या नहीं ? और यदि थे, तो क्या गड़बड़ी उन्हीं के द्वारा हुई ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

सदस्यों द्वारा मंत्रियों को लिखे गये पत्रों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि देहात की जनता मंत्री जी के पास कोई शिकायत भेजती है और उसकी प्रतिलिपि हम लोगों के पास भेजती है और २, ३ महीने बाद जब हम मंत्रियों के यहां से पूछतांछ करते हैं तो मंत्रियों की ओर से न जनता को कोई जवाब जाता है और न हम लोगों को भेजा जाता है। सिवाय गृह मंत्री के पी० ए० के जो सूचना दे देता है और कहीं से कोई सूचना नहीं आती। कठिनाई यह है कि यदि आपके कार्यालय में सवाल भेजते हैं तो आपका दफ्तर सीमित महत्व का होने के कारण खारिज कर देता है। हमारी तो बड़ी कठिनाई है कि किस प्रकार से काम किया जाय। इसके सम्बन्ध में आप कोई व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि काफी प्रश्न स्वीकार किये जाते हैं और उसमें बहुत कुछ जो सदस्यगण पूछते हैं उनसे जनता को बहुत लाभ होता है। हजारों तरह के आर्डर्स सरकार की ओर से निकलते हैं। तो हर एक आर्डर के बारे में यहां प्रश्न हो, यह असम्भव है। लेकिन महत्व के प्रश्न तो आ ही जाते हैं। और बाकी प्रश्नों के बारे में आप मंत्री जी से पत्र-व्यवहार करें और उनसे जानकारी हासिल करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरे पास काफी पत्र ऐसे पड़े हैं जिनके उत्तर ही नहीं दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—बजट पर जिस समय आप भाषण दें तो सब शिकायतों की लिस्ट आप बना लें और खूब हमला करें, मंत्री जी पर। यही रास्ता हो सकता है। मैं तो हर बात हर समय करा नहीं सकता।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—बजट पेश होने में तो बहुत दिन हैं।

सदन का भावी कार्यक्रम

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष जी, उपनेता सदन से कहा गया था कि सदन का भविष्य का कार्य-क्रम सुना दिया जाय.....

श्री अध्यक्ष—तो आप बता दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१४ तारीख तक तो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक चलेगा, उसके बाद अगर समय बचेगा तो इंटरमीडियेट ऐजुकेशन रेगुलेशन.....

श्री अध्यक्ष—१४ तारीख में कोई समय नहीं बचेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१५ सितम्बर को कंसीडरेशन और पासिंग आफ सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, १९६०.....

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—मंत्री जी कृपा करके हिन्दी में कहें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१५ सितम्बर को सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार तथा पारण होगा। १६, १७ और १९ तारीख को तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस होगी, और २० तारीख से पित्र विसर्जन की छुट्टी हो जायगी। ६ अक्तूबर से फिर अधिवेशन बुलाने का इरादा है।

श्री अध्यक्ष—वह तो बाद का सवाल है, अभी तो १९ तक बैठना है। उसके बाद आप की इच्छा यह है कि ६ अक्तूबर को भी सदन बुलाया जाय। उस पर तो बाद में विचार करना पड़ेगा। जहां तक १९ तारीख की बात है, उसकी आपने सूचना दे दी। सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि जो असरकारी दिन हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो असरकारी दिन, आगे जो ६ तारीख से प्रोग्राम रखेंगे उसमें मैं कुछ रखूंगा क्योंकि काफी असरकारी काम जमा हो गया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, आगे दोनों दिन दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—नहीं, नहीं। ४, ५ दिन हो गये हैं। नये भी तो जमा हो गये हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, सब मिलेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, गैर-सरकारी दिनों के लिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सत्र में जितने गैर-सरकारी दिन हम लोगों को नहीं मिले हैं उन सबको आप ही जोड़ लें और दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—हमारे यहां सब हिसाब मौजूद है। इंटरमीडियेट ऐजुकेशन बिल की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसको भी विचार करना पड़ेगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मैं एक जानकारी करना चाहता था। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ६ तारीख से पुनः सदन बैठेगा। तो यह निश्चित हो चुका है या अभी विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—अभी निश्चित नहीं है। उसका निश्चय मैं करूंगा। सरकार की इस बात की प्रार्थना है कि १९ तारीख को काम खत्म कर देना चाहिये लेकिन अगर काम होगा तो मैं कह सकता हूं कि और बैठो और यह भी हो सकता है कि अगर उठने की इजाजत मैं दे दूं तो जो काम बाकी रहे उसके लिये उस हिसाब से सदन को फिर बुलाऊं जिसमें वह काम पूरा किया जा सके। ६ तारीख के बारे में तो बाद में निर्णय होगा। अगर आपको किसी बात की अड़चन हो तो मुझसे बताइयेगा, मैं एक, दो रोज इधर-उधर कर सकता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

खंड १९—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर विवाद जारी होगा। खंड १९ पर तो जितने संशोधन हैं वे सब उपस्थित किये जा चुके हैं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मुझे धारा १९ पर, जिसके करीब-करीब सभी संशोधन पेश हो चुके हैं और जिसके सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के भी कुछ विचार सुनने को मिल चुके हैं, कुछ थोड़ा सा कहना है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जो व्याख्या हुई है उस पर कुछ आलोचनायें भी इधर-उधर से हुई हैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया है कि हम इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही कराना उचित समझते हैं। उन्होंने जो अपनी विशेष दिक्कत बतायी वह यह कि सारा संगठन इस प्रकार से है कि उसमें बहुआंश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से आयेंगे, इसलिये यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुन लिये जायेंगे तो उसमें फिट इन नहीं होंगे। आज हमें इस बात को गौर करने की जरूरत है कि जब हम विकेन्द्रीकरण करने को तैयार हैं, प्रजातांत्रिक तरीके पर स्वायत्त शासन संस्थाओं को बनाने के लिये तैयार है, तो इस बात को किस तरह से मान्य किया जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय के लिये अप्रत्यक्ष तरीका ही उचित होगा, दूसरा उपाय ठीक नहीं होगा ? आज हमें यह विश्वास था कि हमारे जिला परिषदों के चुनाव कराने में बालिग मताधिकार का पूरा-पूरा हाथ होगा और जनता का उसमें हाथ रहेगा। ऐसी हालत में उस क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक को बड़े गौर से देख रहे थे और जब हमें यह देखना पड़ा कि इन जिला परिषदों का चुनाव इस प्रकार से होगा कि उसमें अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से आयेंगे और उनका अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जायगा तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर यह एक वज्राघात है। श्रीमन्, होना यह चाहिये था कि चुनाव बालिग मताधिकार के ऊपर होता और जनता का उसमें हाथ रहता। लेकिन, श्रीमन्, यह न होकर जो इनका निर्माण बताया गया है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जो बातें बताई गई हैं उनका परिणाम यह होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हीं सदस्यों में से चुने जायेंगे जो किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष सदस्य होंगे। ऐसा हो सकता है कि जो क्षेत्र समिति के ब्लाकों से आये हैं उनको मौका मिले लेकिन उनको दुबारा सभापति चुनने का मौका देना, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। होना यह चाहिये था कि उनका चुनाव उनके द्वारा होता जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और अध्यक्ष का चुनाव भी इसी तरह से होता। यह जनतांत्रिक प्रणाली लोकतंत्र के आधार पर होती। आज हम लोकतंत्र प्रणाली को पसन्द कर रहे हैं, बालिग मताधिकार द्वारा

---

†९ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

चुने हुये प्रतिनिधियों को पसन्द कर रहे हैं और विकेन्द्रीकरण की नीति के जरिये सारी सत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में देना चाहते हैं। लेकिन इस सबके होते हुये आज जो विधेयक लाया गया उसमें एक नया तरीका मंत्रि मंडल द्वारा निकाला गया है, तो उसे देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है। सारी कथनी के बाद अब उल्टी गंगा बहाई जा रही है और हमें उस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां हम २०, २५ साल पहले थे।

जिला बोर्डों के चुनाव पहले भी इसी तरह से होते थे और चुनाव हम जनता के जरिये नहीं करा सकते थे। आज हम फिर उसी जगह पहुंचाये जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज पहुंचे, चुने हुये आदमी पहुंचें और इस संबंध में जो पहले अनुभव प्राप्त किया गया है कि कुछ सालों पहले इन जिला बोर्डों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुये हैं और जो हमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जरा शान्ति कायम रखें, सुनें जरा। अगर बोलते हैं तो करीब-करीब बैठ कर बोला करें, यह न हो कि एक बेंच से चौथी बेंच पर संवाद हो।

श्री एस० जी० बत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य का भाषण समझ में नहीं आ रहा है, इसलिये मैं कहूंगा कि वह जरा साफ-साफ अल्फाज में कहें।

श्री अध्यक्ष—उनके कई विद्यार्थियों की समझ में नहीं आती हैं उनकी ऐसी बातें, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, हमारे कानपुर के माननीय सदस्य के सुनने में दिक्कत इसलिये होती है कि उनके कान कहीं दूसरी तरफ लगे रहते हैं। मैं यह कह रहा था कि अध्यक्ष के चुनाव के लिये आवश्यक है कि जनता से सम्पर्क कायम किया जाय। लेकिन यह तरीका जो आज हमारे सामने जिला परिषदों के चुनाव में अख्तियार किया गया है, वह उल्टी गंगा बहाई गई है और यह जनता के लिये बड़ी निराशाजनक बात होगी। ग्रामीण जनता विश्वास करती थी कि उसे दिन प्रतिदिन अधिकार दिये जायेंगे जिससे वह स्वायत्त शासन में अपने हाथ बढ़ा सकेंगे। लेकिन जब क्षेत्र समिति के चुनाव के साथ-साथ उसके प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पायेंगे या कम पहुंच पायेंगे तो उनका अल्पमत होगा और उसके साथ-साथ अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का भी चुनाव नहीं कर पायेंगे, तो उन्हें पूरी-पूरी निराशा हो रही है। मैं अपने क्षेत्र की भावना को प्रतिध्वनित करता हुआ कहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में निराशा है। वे यह सोचने लग गये हैं कि जब देश स्वतंत्रता की सांस लेने लगा है और उनको विकेन्द्रीकरण की तरफ ले चलने की बात कही जा रही है लेकिन जब वे सरकार के तरीकों को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। इस सारे विधेयक का केन्द्रविन्दु है कि इन परिषदों में जनता द्वारा चुने हुये सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठें। लेकिन जब वे दूसरी स्थिति देखते हैं तो यह पता लगता है कि यह जनता के प्रतिनिधि न हो कर अप्रत्यक्ष तरीके से आये हुये लोग होंगे। क्षेत्रीय समितियों में काम करने के माने यह नहीं है कि वह प्रत्यक्ष चुनाव अपना कराने में असमर्थ हैं। अगर १/३ उनके इंडायरेक्ट एलेक्शन से आये हुये हों और २/३ प्रत्यक्ष तरीके से चुने हुये हों तो उनको शिकायत नहीं हो सकती लेकिन उसके विपरीत जब दिखाई देता है और जब यह भी देखते हैं कि उनका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी नहीं होगा तब उनको यह कहने का मौका रहता है कि उलटी गंगा बहायी गयी है। अधिक न कह कर यह कहूंगा कि यह अप्रजातांत्रिक, अमौलिक और अलोकतांत्रिक है। मुझे विश्वास है कि सदन इस बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा से) अब आप अपने संशोधन पर क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देना चाहते हों तो दीजिये वरना कोई आवश्यक भी नहीं है कि आप उत्तर दें ही, अगर नहीं देना चाहते हों तो कहिये।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—मैं वापस लूंगा ।

***श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस की बहस को सुना । मुझे मंत्री जी की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई । मेरा अमेंडमेंट था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एलेक्शन पब्लिक से होना चाहिये । जो जिला परिषदें आज बनने जा रही हैं उन सब में जो मेम्बर्स होंगे वे इन्डाइरेक्टली चुनकर आवेंगे । अब अगर अध्यक्ष का चुनाव भी आप बराहरास्त पब्लिक से करायेंगे तो उसमें एक दिक्कत यह होगी कि आल इंडिया कांग्रेस के जैसे रिजोल्यूशन्स हैं उनमें और आपके जमाने में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आपने तफसरा किया है उसके मातहत यह था कि ऐसे नियम लोकल बाडीज ऐक्ट में लाना चाहिये उसी के मातहत हम यह चाहते हैं कि इसमें डायरेक्ट एलेक्शंस हों और उसमें सरकार का या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, कमिश्नर का, कोई हस्तक्षेप न हो । सरकार ने अब उन तमाम बातों को नजरन्दाज कर दिया । फिर भी यह बात है कि अगर चुनाव अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का होगा तो उस पर बहुत जल्द अविश्वास के प्रस्ताव आ जायेंगे और सरकार या उसके डिप्टी कलेक्टर या कमिश्नर उसको रिमूव कर देगा तो यह अध्यक्ष के शाया ने शान नहीं होगा । इसलिये इस खामी को नजर में रखते हुये हम डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं करेंगे । इस वक्त उनके सामने बिल था । बार-बार गौर करने के बाद यह बिल हाउस के सामने आया है । अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि बहुत सालों से इसका एलेक्शन भी नहीं हुआ है । ऐसी सूरत में हम इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करें, यह मुनासिब नहीं है । वह व्यक्ति जो जनता से बराहरास्त चुन कर आये, वह ज्यादा प्रभावशाली होगा । एम०एल०एज०, एम०पीज० या कोआपरेटिव फेडरेशन के जो भी मेम्बर होंगे, जब सब की सहायता प्राप्त होगी, ऐसी सूरत में जब कि पूरे जिले से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जायगा तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही हो सकेगा जिसको पूरे जिले का, और जो भी सदस्य हों उन सब का विश्वास हासिल हो । वह व्यक्ति जो बालिग मताधिकार से पूरे जिले से चुन कर आयेगा वह ज्यादा प्रभावशाली होगा । ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति किसी क्लिक में आने वाला नहीं होगा । वह इतना जोरदार होगा कि कलेक्टर या कमिश्नर उसके मामलात में दस्तंदाजी नहीं करेगा, तो उसमें ज्यादा पालिटिक्स नहीं रहेगी । इन तमाम बातों को देखते हुये, जनमत को देखते हुये और प्रजातंत्र को अगर हम सही मानी में चलाना चाहते हैं, तो यह जरूरी मालूम होता है कि इसका चुनाव बराहरास्त होना चाहिये ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

***श्री रघुवीरसिंह** (जिला एटा)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया । लेकिन मुझे इस सरकार से यह नहीं मालूम पड़ा कि जब सरकार समझती है कि विधान मंडल और संसदीय सदस्यों को जिला परिषद् में रहना आवश्यक है तो कोई कारण नहीं बताया कि वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिये क्यों खड़े नहीं हो सकते । या तो उनको रखना नहीं चाहिये था, जैसा कि सभी विरोधी दल चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो उनको इस पद पर खड़े होने से वंचित न किया जाय । उसमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि यदि कोई संसदीय या विधान मंडल का सदस्य इस पद के लिये निर्वाचित हो जायगा तो ऐसी सूरत में वह एक पद से इस्तीफा दे देगा ।

***श्री शिवराजबहादुर**—अध्यक्ष महोदय, इस बिल की दफा १९ के सबसेक्शन ५ के मुताबिक अभी तक ऐसा है कि कोई भी असेम्बली का या पार्लियामेंट का मेम्बर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है । या तो एम० एल० एज० या एम० पीज० को महज इसलिये लिया जाय कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराजबहादुर]

वह अपने तजुरबे की बिना पर सिर्फ राय दे सकें और उनको राइट आफ वोट न हो। लेकिन अगर राइट आफ वोट है तो इस तरह से क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का प्रेसीडेंट और प्रमुख के पद का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं कि अगर बहुमत चाहता है, तो यह उसकी स्वीट विल पर डिपेंड करता है। उनको प्रेसीडेंट या प्रमुख न होने देना मैं समझता हूं कि इसमें कानूनी खामी भी है। प्रेसीडेंट या प्रमुख होने की बात उसकी स्वीट विल पर डिपेंड करेगी, आया कि वह जिला परिषद् का अध्यक्ष रहना पसन्द करेंगे या क्षेत्र समिति का प्रमुख रहना पसन्द करेंगे। लेकिन उसको रोक देना, यह बड़ा गलत और अनुचित है। इसलिये उनको यह हक हासिल होना चाहिये।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---मैंने अपने विचार इस पर व्यक्त कर दिये हैं। मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---अध्यक्ष महोदय, इस खंड के अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है और इसके उप-खंड (१) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, किसको मत देने का अधिकार होगा, यह व्यवस्था की गई है। जैसी इसमें व्यवस्था है वह यह है कि जिला परिषद् के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

इसके सम्बन्ध में कई संशोधन आये हैं। एक तो माननीय श्री शिवराज बहादुर जी का संशोधन है। वह यह चाहते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद् के सदस्य न करें बल्कि जिले की जनता बालिग मताधिकार के आधार पर करे। उनके कहने की मंशा यह है कि केवल जो ग्राम्य-क्षेत्र हैं वहीं के वोटर या वहीं के रहने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव न करें बल्कि शहर के और जिले के भीतर सब जगहों के रहने वाले उसका चुनाव करें। अब बालिग मताधिकार वैसे ही माना जायगा या किसी सूची में उनका नाम दर्ज हो, इसकी कोई व्यवस्था संशोधन में नहीं है। वह सिर्फ यह कहते हैं कि सम्पूर्ण जिला उसका चुनाव करे। इसी सम्बन्ध में श्री देवनारायण भारतीय जी का यह कहना है कि केवल अध्यक्ष का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हो और उपाध्यक्ष का चुनाव मेंम्बरों के द्वारा हो। तीसरा संशोधन है श्री प्रताप सिंह जी का, वह कहते हैं कि ग्राम क्षेत्र के बालिग मताधिकार की जो सूची है उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाय। श्रीमान् जी, जिला परिषद् का जैसा गठन है उससे स्पष्ट है कि उसमें अधिकतर सदस्य ऐसे होंगे जो पदेन हैं या कोआप्टेड हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर के आये हैं। सही-सही बालिग मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आये हुए सदस्यों की संख्या कम है। ऐसी हालत में जब जिला परिषद् में अनेक प्रकार के सदस्य मौजूद हों, अध्यक्ष का चुनाव सम्पूर्ण जिले से बालिग मताधिकार के आधार पर कराना पूरे जिले से या सिर्फ ग्राम क्षेत्र से कभी ठीक नहीं होगा और उसमें बहुत कुछ सम्भावना यह है कि ऐसे अध्यक्ष अपने सदस्यों को साथ लेकर चल नहीं पायेंगे। अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिये जिसको अपने सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। जो बालिग मताधिकार के आधार पर चुना जायगा उसके लिये यह निश्चित नहीं है कि जितने तरह के सदस्य वहां होंगे उनका विश्वास उसे प्राप्त होगा ....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब इस तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से चुन कर जिला परिषद् में सदस्य आते हैं तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव अगर बालिग मताधिकार के आधार पर कराया जाय तो यह संभव नहीं होगा कि जिला परिषद् ठीक से चल सके। अगर सभी सदस्य बालिग मताधिकार पर चुने हुए हों, उस हालत में भी अगर अध्यक्ष का चुनाव

बालिग मताधिकार से कराया जाय तो भी काम ठीक से चलेगा, इसमें संदेह है। इसका टेस्ट हमने नगरपालिका में कर के देख लिया है। पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें सदस्यों का चुनाव सीधा हुआ था बालिग मताधिकार के आधार पर और अध्यक्ष का चुनाव भी उसी तरह से कराया गया था। लेकिन परिणाम यह हुआ कि अधिकतर जगहों पर ऐसा देखा गया कि अध्यक्ष के साथ सदस्यों का बहुमत नहीं है और जिसका परिणाम यह हुआ कि अध्यक्ष नगरपालिका को चला नहीं सके और जैसे ही समय पूरा हुआ उनके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आये और वे निकाले गये और दिक्कतें पैदा हुईं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिये कि जिससे काम न चल सके। बालिग मताधिकार से चुन कर आये हुए अध्यक्ष से जब काम नहीं चल सकता तो जब सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से आये हैं, कोआप्शन से आये हैं, उसमें विधान सभा के सदस्य भी हैं, इस हालत में उसके ठीक से चलने की संभावना बिलकुल नहीं रह जाती। माननीय सदस्यों को यह एतराज है कि यह सरकार जनतांत्रिक प्रणाली नहीं चाहती, अपनी राय उन पर थोपना चाहती है और बेजा लाभ उठाना चाहती है। मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उधर बैठने वालों का सवाल है, उनको भी इसमें विश्वास नहीं है। वह स्वयं समझते हैं कि अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव बालिग मताधिकार से कराया जाय तो वह कमेटी, जिस के लिये चुनाव हुआ है, चल नहीं सकती। मिसाल के लिये, जिले में पी० एस० पी० का सबसे बड़ा अधिकारी मंत्री होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और उसका चुनाव प्रारम्भिक वोटर करते हैं। वहां चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर माननीय गेंदा सिंह जी को इसमें विश्वास है कि सीधा चुना हुआ आदमी अच्छा होगा तो उनको उन के दल में ऐसा करने से किस ने रोक रखा है? सोशलिस्ट पार्टी में भी ऐसी ही व्यवस्था है। जिले का पदाधिकारी सीधे नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष चुनाव से आता है। जहां उन की मरजी से काम चलता है वहां से प्रत्यक्ष चुनाव को मानना नहीं चाहते, लेकिन यहां कहते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिये। अगर अपने दल में वह पहले ऐसा कर लेते तो यहां ऐसा सवाल उठाते, वह उचित होता। इसलिये जाहिर है कि वह जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने से काम ठीक नहीं चलेगा और यह कर के देख भी लिया गया है। इसलिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करा कर कठिनाई पैदा कराना अच्छा नहीं होगा। उनका चुनाव, जिन सदस्यों का विश्वासपात्र बन कर उनको काम करना है उन्हीं के द्वारा कराना ठीक रहेगा।

इसी के साथ एक संशोधन इसके उपखंड (२) में किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो पदेन सदस्य होंगे उनको वोट देने का अधिकार न होगा। लेकिन इस उपखंड (२) में यह कहीं बैठता नहीं। इस प्रकार का संशोधन उपखंड (१) में हो सकता था, लेकिन वह उपखंड (२) में कराना चाहते हैं जहां यह व्यवस्था की गयी है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिये कौन खड़े होंगे। तो यह चूंकि यहां बैठता नहीं इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

उपखंड (२) के बारे में कई संशोधन हैं। एक तो रामदुलारे मिश्र जी ने दिया था लेकिन चूंकि उन्होंने उसे वापस ले लिया है इसलिये उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे हैं श्री ब्रजनारायण जी तिवारी का। इसमें लिखा है कि अध्यक्ष के लिये कौन पात्र होंगे। जो जिला परिषद् का सदस्य हो या जो खंड १८ के उपखंड १ के भाग (७) के अन्तर्गत जिला परिषद् की सदस्यता के लिये पात्र हो वह जिला परिषद् के अध्यक्ष पद के लिये खड़ा हो सकेगा। श्री ब्रजनारायण तिवारी जी यह चाहते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—यह आप कहां से पढ़ रहे हैं, ब्रजनारायण तिवारी जी का संशोधन कहां है? वह तो मूव हुआ ही नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—तो मैं उसको छोड़े देता हूं।

इसके बाद, श्रीमन्, उपखंड (४) में फिर संशोधन है और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात कही गयी है। इसके अनुसार जिला परिषद् के उपाध्यक्ष का चुनाव परिषद् के सदस्यों में से

[श्री जयराम वर्मा]

जायेगा और अगर वह परिषद् का सदस्य होने के लिये पात्र न रह जाय या और किसी तरह से वह पद ग्रहण करने के लिये पात्र न रह जाय तो वह उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। इस सम्बन्ध में यह संशोधन है कि इस उपखंड को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, अगर इसको निकाल देते हैं तो फिर उपाध्यक्ष चुनाव के लिये कोई व्यवस्था ही नहीं रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन भी उन्होंने पेश नहीं किया है। आप तो अब जो श्री अमर नाथ मिश्र का संशोधन है और जो श्री रघुवीर सिंह (एटा) के संशोधन हैं उनका जवाब दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, अमरनाथ मिश्र का भी यही संशोधन है कि खंड १९ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय। अगर इसको निकाल दिया जायेगा तो फिर उपाध्यक्ष कौन होगा? उसके लिये क्या व्यवस्था होगी? इसलिये मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

अब दूसरा श्री रघुवीर सिंह जी का है खंड १९ के उपखंड (५) में। इसमें यह व्यवस्था है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया जायेगा इसी सम्बन्ध में श्री रामेश्वर प्रसाद का भी एक संशोधन है और वह यह चाहते हैं कि विधान मंडल के सदस्य तथा संसद के सदस्य के साथ-साथ उसमें नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट भी जोड़ दिया जाय। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब जो रघुबीरसिंह जी का संशोधन है उसके अनुसार वे यह चाहते हैं कि इसमें जो शब्द "नहीं" है उसको निकाल दिया जाय। इसको निकाल देने से यह इस प्रकार हो जायेगा—"पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी संसद् अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जायगा।" "नहीं" निकाल दिया जाय। इसका मतलब यह होगा कि जहां पहले दुहाई दी जा रही थी कि विधान मंडल और संसद के सदस्यों को इतने अख्तियार क्यों दिये जा रहे हैं, वहां उधर से यह प्रस्ताव आ रहा है कि उनके अलावा कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—जी हां, क्या वह चाहते हैं कि यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हों?

श्री रघुवीरसिंह—ऐसी बात नहीं है, मेरी भावना यह है कि अगर वह चाहें तो वह खड़े हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो उसके लिये ठीक परिवर्तन करना चाहिये था।

श्री रघुवीरसिंह—अगर मंत्री जी कहें तो मैं संशोधित करके भेज दूं?

श्री अध्यक्ष—ठीक है। उनका मतलब यही है कि वह चाहते हैं कि अगर खड़े होने की इजाजत रहे और अगर वह खड़े हो जाते हैं और चुन जाते हैं तो वह विधान सभा या विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दें। इसका यही अर्थ समझ करके उत्तर दिया जायगा।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, पहले ही मैं कह चुका हूं कि पहले ही उपखंड में यह है कि विधान मंडल या संसद या नगरपालिका के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिये अयोग्य माने जायंगे, तो अगर उनकी मंशा वही है जैसी आपने बतलायी तो भी वह चीज नहीं हो सकती। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, इसमें मंत्री जी को क्या आपत्ति है, वह सदस्य ही न रहने दें?

श्री जयराम वर्मा—श्री शिवराज बाहदुर का जो संशोधन था कि उपखंड (५) निकाल दिया जाय, उसका अर्थ यह होगा कि विधान मंडल और संसद के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो सकते हैं, तो उसके बारे में राय मैं दे चुका हूं।

फिर, श्री रामेश्वर प्रसाद का संशोधन है १०९ पर, जोकि उपखंड (६) में है। जो उपखंड (५) में संशोधन है उसका यह आनुषंगिक संशोधन है, इसलिये मैं उसको स्वीकर करता हूं।

उसके बाद ११०–कक पर श्री नागेश्वर द्विवेदी का है कि उपखंड (७) की पहली पंक्ति में "परिषद्" के स्थान पर "परिषद् के सदस्य" रख दिया जाय, वह मैं स्वीकार करता हूं, वह चीज छूट गयी थी। यह जो कुंवर श्रीपालसिंह का है कि "परिषद्" की जगह "पारिषद्" रख दिया जाय, तो इस शब्द का हमने कहीं प्रयोग नहीं किया है इसलिये उसके प्रयोग से गड़बड़ी पैदा हो सकती है, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—माताप्रसाद जी का जो है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी व्यवस्था पहले से हो गयी है। वह चाहते हैं कि नगरपालिका के प्रेसीडेंट अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो सकें, तो रामेश्वर प्रसाद जी का संशोधन इसी प्रकार का स्वीकार कर चुका हूं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन मैंने स्वीकार किये हैं उनको यह सदन स्वीकार करे और जो दूसरे संशोधन हैं उनको अस्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में "जिनका निर्वाचन" के पश्चात् के समस्त वाक्यांश को पृथक कर दिया जाय और उनके स्थान पर "वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्पूर्ण जिला से होगा" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्वाचन" से, तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "जिसकी" तक के शब्द निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"क्रमशः बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा तथा परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) की पंक्ति दो में "जिला परिषद् के सदस्यों" को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाये—

"जिले के ग्राम क्षेत्र वयस्क मताधिकार"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६,

विपक्ष में—५८।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (२) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे—

"किन्तु पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—१०४–कक पर जो संशोधन है वह तो वापस हो गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (५) की पंक्ति दो में शब्द "कोई सदस्य" तथा "अध्यक्ष" के बीच में शब्द "अथवा कोई नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (५) की तृतीय पंक्ति का शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय और इस खंड के अन्त में शब्द "परन्तु निर्वाचन होने के पश्चात् उसे संसद अथवा राज्य विधान मंडल से त्याग-पत्र देना होगा" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (६) में प्रथम पंक्ति से शब्द तथा अंक " या (३)" निकाल दिये जायं और छठी व सातवीं पंक्तियों में शब्द "यथास्थिति" और शब्द तथा अंक " या खंड (३) " निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ का उपखंड (६) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (७) की पहली पंक्ति में शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द " पारिषद्" रख दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (७) की पहली पंक्ति में " परिषद्" के स्थान पर " परिषद् के सदस्य " रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री माताप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या ११०-ककक वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—खंड ३, १८ और १९ के बारे में माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इनके ऊपर विस्तृत विवाद हो । चूंकि अभी दो-ढाई सौ खंड बाकी हैं इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आगे के खंडों में जो महत्वपूर्ण संशोधन हों उन्हीं को माननीय सदस्य प्रस्तुत करें क्योंकि परसों शाम तक इस विधेयक को पारित होना है । ऐसी अवस्था में मैं फिर से एक बार यह संकेत कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण उन्हीं संशोधनों को मूव करें जो अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हों, बाकी न करें । अगर बहुत संशोधन बाकी रह गये तो आज और कल ही इस पर विवाद हो सकेगा और परसों पूरा दिन राय लेने में लग जायगा । क्योंकि मेरा पुराना अनुभव यह बताता है कि अगर १०-२० खंड भी रह जाते हैं तो उन पर राय लेने में ३-४ घंटे लग जाते हैं, इसलिये परसों सुबह से शाम तक बिना विवाद के मतदान लूंगा और संशोधनों के ऊपर कोई बहस न हो सकेगी । जो अपने संशोधनों पर राय लिवाना चाहेंगे वे मेरे नाम लेने पर खड़े हो जायेंगे और उन पर मैं राय ले लूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, यह तय हुआ था कि निम्नलिखित खंड महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर विवाद हो—

खं० २३, २९, ३१ से ३५, ३९ से ४१, ४३ से ५५, ६४, ८७, ८९, ११०, ११५, ११९ से १२१, २३३ से २३६, शिड्यूल १ और शिड्यूल २ का पार्ट 'ए' और 'बी'।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(कुछ क्षण पश्चात्)

अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मैं लेना शुरू कर देता हूं।

खंड २० में आप कोई संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन आप स्वीकार कर रहे हैं, कृपा करके प्रस्तावक को कह दें कि वे उपस्थित कर दें। मैं उसके ऊपर राय ले लूंगा, बाकी किसी के ऊपर राय नहीं लूंगा।

खंड २०

जिला परिषद् और उसके सदस्यों का कार्यकाल

२०—(१) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती जिला परिषद् का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर समस्त जिला परिषदों अथवा किसी भी जिला परिषद् का कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्यकालों का योग एक वर्ष से अधिक न हो।

(२) प्रथम जिला परिषद् का कार्यकाल धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक से प्रारम्भ होगा और प्रत्येक पुनस्संघटित जिला परिषद् का कार्यकाल उस दिनांक से प्रारंभ होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे।

(३) धारा १८ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल जिला परिषद् के कार्यकाल के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भ होगा तथा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके अनुमेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और, इस धारा में अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जिला परिषद् के कार्यकाल तक होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उस सदस्य का कार्यकाल, जो उस रिक्ति की पूर्ति करे, उस दिनांक से प्रारम्भ होगा जब वह उक्त रिक्ति की पूर्ति करने का अधिकारी हो जाय।

(४) [क]—कोई व्यक्ति जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (१), खंड (३), खण्ड (८) या खण्ड (९) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य हो जाय, उस पद पर जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, आसीन न रहने पर सदस्य न रहेगा।

[ख] धारा २७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) और (४) से (६) तक में किसी में अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य हो जाय, संबद्ध खंड अथवा उपधारा के अधीन चुने जाने के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा।

[ग] कोई व्यक्ति जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य हुआ हो जिला परिषद् का सदस्य होने के लिये अनर्हित हो जाने पर सदस्य न रहेगा।

*श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड २० के उपखंड (२) में शब्द "जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "जब राज्य सरकार पुनस्संघटन गजट में विज्ञापित करे" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है, मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं:—

खंड २० के उपखंड (४) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"मद (ख) धारा २७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) और (४) से (६) तक में से किसी के अधीन अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य हो, सम्बद्ध खंड अथवा उपधारा के अधीन चुने या अनुमेलित किये जाने के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा।"

श्रीमन्, जो लोग इसमें चुने हुये आयेंगे अगर वे उस क्वालिफिकेशन के नहीं रहे तो वे सदस्य नहीं रहेंगे। जो कोआप्शन के जरिये सदस्य आयेंगे उनके लिये भी यही चीज रहेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) में शब्द "जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "जब राज्य सरकार पुनस्संघटन गजट में विज्ञापित करे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (४) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"मद (ख) धारा २७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई व्यक्ति जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) और (४) से (६) तक में से किसी के अधीन अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य हो, सम्बद्ध खंड अथवा उपधारा के अधीन चुने या अनुमेलित किये जाने के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल

२१—(१) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, जिला परिषद् के अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायगा तथा जिला परिषद् के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जिला परिषद् के कार्यकाल के व्यतीत होने के पश्चात् तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि पुनस्संगठित जिला परिषद् द्वारा उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होने के दिनांक से एक वर्ष का होगा किन्तु जिला परिषद् के कार्यकाल से आगे न बढ़ेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला परिषद् के कार्यकाल के व्यतीत होने के समय अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि पुनस्संघटित जिला परिषद् द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि परिषद् का कार्यकाल व्यतीत होने के समय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं या परिषद् का कार्यकाल व्यतीत होने के पश्चात् और पुनस्संघटित परिषद् द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित होने के पूर्व अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार, अध्यक्ष निर्वाचित होने तक, अध्यक्ष के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो आप कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)—श्रीमन्, यह तो बहुत महत्वपूर्ण खंड है, इसमें मैं ५ मिनट में अपना संशोधन पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपको रोक नहीं सकता, आप अपनी पार्टी का अनुशासन नहीं मानते हैं तो न मानें।

श्री रघुवीर सिंह—ऐसी कोई बात नहीं है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको अधिकार है।

श्री रघुवीर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (१) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय। ये प्रतिबन्ध विधेयक में इस प्रकार से हैं—"प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जिला परिषद् के कार्यकाल के व्यतीत होने के पश्चात् तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि पुनस्संघटित जिला परिषद् द्वारा उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाय"। और दूसरा इस प्रकार से है "प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला परिषद् के कार्यकाल के व्यतीत होने के समय अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो उपाध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि पुनस्संघटित जिला परिषद् द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय"।

श्रीमन्, इसमें मुझे यह निवेदन करना है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को काफी बड़े-बड़े अधिकार होते हैं जैसा कि अनुसूची २ (क) और (ख) में दिया हुआ है। मुख्य-मुख्य मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सस्पेंशन करना, छोटे-छोटे कर्मचारियों को पदच्युत करना, ठेके आदि का कार्य, कहीं कर लगाना, इस तरह के तमाम अधिकार हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के भी अधिकार उस को होंगे जब वह विघटित हो जाएगी। ऐसा अध्यक्ष जो कि इतना शक्तिशाली होगा क्या वह तरह-तरह से जनता की भावनाओं को नहीं कुचल डालेगा ? यह मानी हुई बात है कि उस अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के दल के लोग दूसरा जो निर्वाचन होगा उसमें खड़े होंगे, क्या वह अपने दल के हितों की पूर्ति के लिये जनता की भावना को नहीं कुचल डालेगा ? अगर उनको रखा जाएगा तो पार्टी के हित की पूर्ति के लिये वह जो कुछ भी करेगा वह थोड़ा है। इसके अतिरिक्त यह भी होगा कि जहां कहीं किसी दूसरे दल के लोग चुनने को होंगे वह नहीं चुने जा सकेंगे बल्कि उसी दल के चुने जाएंगे जिसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस विधेयक के साथ और जनता के साथ न्याय नहीं होगा। मेरे संशोधन से मंत्री जी की नीति पर कोई प्रभाव मेरी समझ में नहीं पड़ता है, यदि वह इसको मान लें तो अच्छा है।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, प्रश्न यह है कि जब परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो जाय उस वक्त किसके द्वारा काम चलाया जाय। उसके लिये व्यवस्था यह की गयी है कि जब तक पुनस्संघटित जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव न हो जाय तब तक वही अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा और काम करता रहेगा. . . . .

श्री अध्यक्ष--वह सिर्फ जानना यह चाहते हैं कि जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव चलता रहे, परिषद् खत्म हो जाएगी और सिर्फ यह अध्यक्ष बना रहेगा, ऐसी अवस्था कभी आएगी क्या, और आएगी तो कितने रोज को आएगी।

श्री जयराम वर्मा--मतलब तो यही है कि परिषद् का समय समाप्त हो जाएगा तो परिषद् का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा और तब तक काम करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाय. . . . .

श्री अध्यक्ष--कितने दिन तक ?

श्री जयराम वर्मा--महीना, दो महीना लगता है। श्रीमन्, यह बात कही जाती है कि जो चुना हुआ व्यक्ति है, अधिकार उसके हाथ में रहना चाहिए। तो अगर हम चुने हुये आदमी के हाथ में अधिकार रखना चाहते हैं बजाय इसके कि वह काम किसी अधिकारी को सौंपा जाय तो अच्छी बात है। अगर अधिकारी को अधिकार देते हैं तो कहा जाता है कि प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है और जब चुने हुये आदमी को रखते हैं तो उस पर भी एतराज है। इसलिये सरकार चुने हुए आदमी को ही रखना चाहती है।

श्री रघुवीरसिंह--मैं एक जानकारी और चाहता हूं। क्या जिला परिषद् की जीप उसी अध्यक्ष के पास रहेगी या नहीं ? क्या उस जीप का वह दुरुपयोग नहीं करेगा ?

श्री जयराम वर्मा--अभी तो कहीं कोई व्यवस्था है नहीं कि जीप रहेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया। जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२-२७

जिला परिषदों का संघटन तथा पुनस्संघटन और निर्वाचन व्यय की वसूली

२२--(१) राज्य सरकार धारा १८ के अनुसार प्रत्येक जिले के लिये प्रथम जिला परिषद् के संघटन तथा प्रथम और प्रत्येक अनुवर्ती कार्यकाल की समाप्ति पर अथवा इस अधिनियम के अधीन जब अन्यथा अपेक्षित हो उसके पुनस्संगठन का प्रबन्ध करेगी।

(२) किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट के पद, या धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) या खंड (७) में निर्दिष्ट सदस्य के स्थान की रिक्ति से, अथवा पूर्वोक्त उपधारा (१) के खंड (४) से (६) तक के अधीन प्रतिनिधि का चुनाव न होने से, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संगटन में कोई बाधा न पड़ेगी : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड (३) तथा (७) के अधीन जिला परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई स्थानों की पूर्ति कर ली गई हो।

R.A. 3017

(३) परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनके पुनरीक्षण तथा निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में किया गया समस्त व्यय, उस दशा के अतिरिक्त जब राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेश दिये गये हों, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से जिला निधि पर भारित होगा और उससे वसूल किया जा सकेगा।

वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्वाचन से संबद्ध विषयों का विनियमन

२३—(१) धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन निर्वाचनों से संबद्ध समस्त विषय राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथा गजट में विज्ञापित आदेश या आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

(२) पूर्वोक्त उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश या आदेशों द्वारा विनियमित किये जाने वाले विषयों के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय भी हो सकते हैं :—

(१) निर्वाचकों की अर्हतायें तथा अनर्हतायें;

(२) खण्डों के लिये निर्वाचक-नामावलियां, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) निर्वाचक-नामावली तैयार करना और उसे प्रकाशित करना तथा उसका आकार और भाषा;

(ख) संबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर निर्वाचक-नामावली में कोई वर्तमान प्रविष्टि ठीक करना;

(ग) निर्वाचक-नामावली में लिपिक या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियां ठीक करना तथा ऐसी प्रविष्टियां निकालना जिनसे इस अधिनियम के अथवा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता हो;

(घ) निर्वाचक-नामावली में उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करना जो रजिस्ट्रीकरण के पात्र हो गये हों तथा उन व्यक्तियों के नाम काटना जो रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्हित हो गये हों;

(३) मतदान का अधिकार;

(४) निर्वाचन-संचालक (स्थानी निकाय) द्वारा निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण;

(५) मतदान की प्रणाली और रीति;

(६) निर्वाचन का संचालन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:—

(क) निर्वाचनों के लिये विज्ञप्ति जारी करना;

(ख) निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, मतदान अध्यक्षों तथा मतदान अधिकारियों और लिपिकों (क्लर्कों) की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्तव्य;

(ग) नाम-निर्देशन, जांच, नाम वापस लेने तथा मतदान के लिये दिनांक निश्चित करना;

(घ) नाम-निर्देशन पत्र का आकार तथा उसे प्रस्तुत करने की रीति, वैध नाम-निर्देशन की अपेक्षायें, नाम-निर्देशन पत्रों का परीक्षण तथा नाम वापस लेना;

(ङ) निर्वाचन-अभिकर्त्ताओं, मतदान-अभिकर्त्ताओं तथा गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा उनके कर्त्तव्य;

(च) सामान्य निर्वाचनों की प्रक्रिया जिसमें मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है तथा निर्विरोध निर्वाचन के समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) मतदाताओं की पहचान;

(ज) मतदान का समय;

(झ) मतदान का स्थगन तथा पुनः मतदान;

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति;

(ट) मतों की जांच तथा गणना, जिसमें मतों की पुनर्गणना सम्मिलित है, और मतों की संख्या की समानता की दशा में अनुसरणीय प्रक्रिया तथा निर्वाचन फलों की घोषणा;

(ठ) किसी जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नामों की विज्ञप्ति तथा जिला परिषद् का सम्यक् संगठन;

(ड) जमा की गयी धनराशियों की वापसी या जब्ती;

(ढ) निर्वाचन अध्यक्षों, मतदान-अभिकर्त्ताओं अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो निर्वाचक होते हुए किसी ऐसे मतदान-केन्द्र पर कार्य के लिये प्राधिकृत या नियुक्त किया गया हो, जहां वह मतदान करने का अधिकारी न हो;

(ण) वह प्रक्रिया जिसका ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के संबंध में अनुसरण किया जायगा, जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाये जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति मत दे चुका हो;

(त) मतदान बक्सों, मत-पत्रों तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कागज-पत्रों की अभिरक्षा, उनके परिरक्षण की अवधि तथा ऐसे कागज-पत्रों का निरीक्षण करना और उन्हें प्रस्तुत करना; तथा

(थ) किसी निर्वाचित सदस्य के स्थान की रिक्ति की विज्ञप्ति;

(७) एक ही व्यक्ति के एक से अधिक खण्डों से निर्वाचित होने के परिणाम;

(८) निर्वाचन का न हो पाना;

(९) निर्वाचन संबंधी अपराध;

(१०) सदस्यों के निर्वाचन पर आपत्ति, जिसके अन्तर्गत निम्न-लिखित हैं:—

(क) याचिका का आकार तथा उसकी अन्तर्वस्तु;

(ख) अनुतोष जिसका याची द्वारा दावा किया जा सकता है;

(ग) न्यायालय या अधिकरण जो निर्वाचन-याचिका सुनेगा और उस पर निर्णय देगा;

(घ) प्रत्यारोप;

(ङ) अपेक्षित उपबन्धों का पालन न होने के कारण याचिका अस्वीकृत करना;

(च) याचिकाओं की सुनवाई की प्रक्रिया;

(छ) याचिकाओं का स्थानान्तरण;

(ज) याचिका की सुनवाई तथा उसका निर्णय;

(झ) निर्वाचन को शून्य (void) घोषित करने के आधार;

(ञ) आधार, जिन पर निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जा सकता है;

(ट) मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया;

(ठ) आदेशों तथा निर्णयों का अंतिम होना;

(ड) आदेशों तथा निर्णयों की सूचना देना;

(ढ) सदस्यों तथा अध्यक्ष के निर्वाचन में ऐसे भ्रष्टाचार जिन्हें इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये भ्रष्टाचार समझा जायगा;

(ण) अधिकरणों के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक;

(त) निर्वाचन-याचिकाओं का अवसान (abatement) और वापस लिया जाना;

(थ) अनुपस्थिति अथवा पैरवी न किये जाने के कारण अथवा न्यायालय के आदेशों तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और तदन्तर्गत दिये गये आदेशों का पालन न किये जाने के कारण निर्वाचन-याचिकायें खारिज करना;

(द) निर्वाचन-याचिकाओं की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ध) अधिकरण के अधिकार;

(न) परीक्षण (trial) का स्थान;

(प) प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना;

(फ) जमा की गई प्रतिभूति की वापसी तथा जब्ती;

(ब) अधिकरण द्वारा प्रदत्त व्यय की वसूली;

(भ) पक्ष-प्रतिस्थापन;

(म) निर्वाचन-याचिकाओं के अभिलेखों का प्रणिधान (consignment) तथा निर्दान (weeding out); तथा

(य) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में व्यवस्था करना राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग-पत्र

२४—(१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) तथा (४) से (७) तक तथा उपधारा (२) के अधीन कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा पद त्याग कर सकता है। यह नोटिस अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को संबोधित होगा तथा जिला परिषद् के मुख्य कार्याधिकारी को दिया जायगा ।

(२) अध्यक्ष का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति जिला परिषद् के कार्यालय में प्राप्त हो जाय और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब नोटिस जिला परिषद् के मुख्य कार्याधिकारी को दिया जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

२५—(१)) यदि धारा १८ के अधीन चुना, निर्वाचित अथवा अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल व्यतीत होने के पूर्व, उसका स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये दूसरे सदस्य को धारा १८ की शर्तों के अधीन तथा उसके द्वारा या उसके अधीन नियत रीति से, यथास्थिति, चुनकर या निर्वाचित या अनुमेलित करके, की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यथास्थिति महिला सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के होने वाले सदस्यों की संख्या पहले से ही पांच या अधिक हो तो रिक्ति की पूर्ति के लिये कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा।

(२) यदि जिला परिषद् का कार्यकाल व्यतीत होने के पूर्व अध्यक्ष का स्थान उसकी मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो रिक्ति की पूर्ति करने के लिये अध्यक्ष का निर्वाचन नियत रीति से उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये किया जायगा ।

(३) यदि उपाध्यक्ष का स्थान मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो रिक्ति की पूर्ति करने के लिये उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जायगा और ऐसे उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष या जिला परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने तक, इसमें जो भी पहले पड़े, होगा ।

सदस्य के रूप में चुने जाने, निर्वाचित या अनुमेलित किये जाने के लिए अनर्हता

२६—ऐसा व्यक्ति,जो धारा १३ में उल्लिखित अनर्हताओं में किसी से ग्रस्त हो, धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (४) से (७) तक के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुना जाने या निर्वाचित किये जाने अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य के रूप में अनुमेलित किये जाने के लिये अनर्हित होगा ।

सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद

२७—(१) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (१), खंड (३), खंड (८) या खंड (९) के अधीन जिला परिषद का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

(२) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति :—

(क) धारा १८ के अधीन जिला परिषद् का सदस्य विधितः चुना गया अथवा अनुमेलित किया गया है या नहीं, या

(ख) सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने के लिये पात्र रह गया है या नहीं, अथवा धारा २० के प्रयोजनों के लिये जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्हित हो गया है या नहीं, या

(ग) धारा १९ के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिये अनर्हित हो गया है या नहीं,

तो वह विवाद न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं वोटिंग २ बजे बाद होगी । आप अब अपने-अपने संशोधन पेश करते जायंगे और जो संशोधन पेश होंगे उनके ऊपर राय ली जायगी २-२ मिनट से ।

श्री जयराम वर्मा—मैं एक बात जानना चाहता हूं । मुझको कम से कम पहले से मालूम हो जाय कि कौन-कौन खंड लिये जायंगे क्योंकि मेरे लिये दिक्कत होगी अगर कहा गया कि यह नहीं वह लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—अब इसमें परेशानी हो या जो कुछ हो । नियम यह है कि हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने संशोधन पेश करें । यों आपस में पार्टीज के लोग तय कर लेते हैं, अनुशासन में पार्टीज अपने सदस्यों को बांध देती हैं, लेकिन मैं नहीं बांध सकता अगर कोई सदस्य पार्टी के अनुशासन में भी नहीं बंधना चाहता । तो संशोधन पेश करने का चूंकि उसको अधिकार है इसलिये मैं उसको रोक नहीं सकता । इसलिये मैं आपको फेहरिस्त बता दूं जो उन्होंने सुनायी, आम तौर से ऐसा चलेगा । लेकिन हो सकता है किसी खंड पर कोई सदस्य खड़े हो जायं और कहें कि मैं संशोधन पेश करूंगा तो उसको मैं इजाजत जरूर दूंगा और वह तकलीफ आपको जरूर बरदाश्त करनी होगी क्योंकि आपने विधेयक पेश किया है ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :--

खंड २२ के उपखंड (३) की पंक्ति चार में शब्द "निधि" व शब्द "पर" के बीच शब्द "के उस फंड पर जो राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिये प्रदान किया गया हो" 'उस' रख दिया जाय।

उपखंड (३) इस प्रकार है :--

"परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनके पुनरीक्षण तथा निर्वाचनों के संचालन के संबंध में किया गया समस्त व्यय, उस दशा के अतिरिक्त जब राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेश दिये गये हों, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से जिला निधि पर भारित होगा और उससे वसूल किया जा सकेगा।"

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुये।)

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे चुनाव का खर्चा सरकार उन जिला परिषदों से लेना चाहती है, लेकिन उचित यह होता यदि सरकार इस चुनाव का जो व्यय है वह एक अलग चुनाव व्यय रख कर उससे खर्च करती। यह देखा गया है, जैसा कि गांव पंचायतों का चुनाव होता है, चुनाव कराने के लिये सरकार अलग एक फंड मन्जूर करती है और उसी से खर्च होता है। यहां भी परिषद् का चुनाव अलग फंड से हो तो अच्छा होता। अन्यथा यह सारा व्यय जिला परिषद् का होगा और इसका बोझ ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। दूसरे यह कि इस चुनाव से बहुत कुछ आय भी होगी। तो इस आय व्यय का पूरा हिसाब अगर प्रान्तीय सरकार के कोष से लिया जाय तो अच्छा होगा। अन्यथा इसमें जो व्यय की ही बात कही गयी है, आय की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि जैसा मैंने संशोधन रखा है वह स्वीकार कर लिया जाय तो इसके लिये सरकार को एक अलग फंड बनाना पड़ेगा और उससे ही इसका व्यय होगा।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि निर्वाचक सूची और दूसरे जरूरी कामों के लिये जो खर्च होगा वह जब तक राज्य सरकार अन्यथा व्यवस्था न करे जिला परिषद् के ऊपर जायगा। लेकिन माननीय अवस्थी जी एक नयी व्यवस्था कराना चाहते हैं। वह जिला परिषद् का खर्च होगा, उसके लिये और कहां से रुपया लाया जायगा? इसलिये जो व्यवस्था की गयी है वह मुनासिब है और इसमें संशोधन की गुंजायश नहीं है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--अधिष्ठाता महोदय, धारा २३ राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह चुनाव के सम्बन्ध में कोई आज्ञा बनाये। इसलिये मैं इस धारा के अन्तर्गत यह संशोधन पेश करता हूं :--

खंड २३ के उपखंड (१) में "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "निर्वाचन आयोग" रख दिया जाय।

हमें संदेह है कि राज्य सरकार चुनावों के सम्बन्ध में ठीक आज्ञा नहीं बनायेगी और इस अधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि इस आज्ञा को बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दे दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। वह निष्पक्ष भाव से और सही ढंग से उस आज्ञा को बनायेगा। जब दूसरे चुनाव का कंट्रोल निर्वाचन आयोग करता है, उसके सम्बन्ध में आदेश जारी करता है तो क्यों नहीं इस चुनाव के बारे में भी निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया जाय? ऐसा अधिकार राज्य सरकार को देना मैं बहुत अनुचित समझता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन उसे स्वीकार करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

खंड २३ के उपखंड (१) की पंक्ति दो में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "प्रदेशीय निर्वाचन आयोग, जो राज्यपाल द्वारा इस कार्य के लिये एक स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त हो और जो किसी उच्च न्यायालय में ५ वर्ष कार्य सम्पादन कर चुका हो के" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, राज्य सरकार चुनाव के सारे तरीके को अपने हाथ में लेना चाहती है। हमारे संशोधन का अर्थ यही है कि नियमों का विनियमन जो होगा उस सम्बन्ध में जभी निष्पक्ष रूप से कार्य हो सकेगा जब निर्वाचन आयोग द्वारा काम हो। निर्वाचन आयोग जो मुकर्रर हो और राज्यपाल की घोषणा के मुताबिक करें और स्वतंत्र अधिकारी हो और जिसको न्यायालय में काम करने का अनुभव प्राप्त हो वह इस कार्य को करे। इसलिये इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि एक अनुभवी न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा घोषित अधिकारी के द्वारा निर्वाचन के विनियमन का कार्य हो और उसमें सरकार द्वारा पक्षपात होने का संदेह न रह जाय। इतना ही कहकर मैं संशोधन को उपस्थित करता हूं और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

खंड २३ के उपखंड (२) का उपखंड (१), (३) तथा उपखंड (९) निरसित किया जाय तथा उपखंड (१०) के भाग (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ), (ञ), (झ), (म), तथा (ढ) और (त) व (ध) भी निरसित किये जायं।

श्रीमन्, आप देखें कि माननीय मंत्री जी जो स्कीम सदन में लाये हैं उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था की गई है और उसमें लिखा है कि:—"धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन निर्वाचनों से सम्बद्ध समस्त विषय राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथा गजट में विज्ञापित आदेश या आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

(२) पूर्वोक्त उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश या आदेशों द्वारा विनियमित किये जाने वाले विषयों के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय भी हो सकते हैं:

(१) निर्वाचकों की अर्हतायें तथा अनर्हतायें, यानी उनकी क्वालीफिकेशन और डिस्क्वालीफिकेशन क्या होंगी ?

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक किसी कानून में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में यह पावर नहीं दी गई है और न मतदान का अधिकार दिया गया है, या यह शक्ति दी गई है कि निर्वाचन सम्बन्धी अपराध क्या होंगे इसके डिटरमिन करने का अधिकार नहीं दिया गया है कि दावा कौन करेगा किन कारणों पर चुनाव याचिका हो सकेगी, या न्यायालय का अधिकरण जो निर्वाचन याचिका सुनेगा और उस पर निर्णय देगा, याचिका की सुनवाई तथा उसका निर्णय कैसा होगा, निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार क्या होंगे, आदि। श्रीमन्, यह जितनी भी चीजें हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन सरकार यह ताकत ले रही है कि कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, इसको वह तय करेगी, एक्जीक्यूटिव तय करेगी और एक आर्डर द्वारा यह तय होगा। इसके अलावा आर्डर रोज बरोज बदले जा सकते हैं और इसके व्यक्तियों में विभेद किया जा सकता है। मान लीजिये कल एलेक्शन हो और आज मंत्री जी एक किस्म का आर्डर निकाल देते हैं तो वह लागू होगा कि फलां आदमी क्वालीफाइड है और फलां आदमी नहीं है, फलां करप्ट प्रैक्टिस है, इससे श्रीमन्, बड़ा अंधेर होने का डर है। उसके बाद आर्डर फिर बदला जा सकता है।

श्रीमन्, हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो १९२२ में पास हुआ था जिसको बड़ा reactionary कहा कहा गया और आज कहा गया कि हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रेलाइ-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेशन करने जा रहे हैं ताकि जनता के हाथ में ताकत हो और जनता को बल मिले। एक तरफ तो मंत्री जी का यह विकेन्द्रीकरण को भुलाने वाला नारा है और दूसरी तरफ पुराने ऐक्ट में अधिक अच्छी व्यवस्था प्रोवाइडेड फार है और इसमें अधिनियम में यह सारी बातें दी गई हैं कि किस तरह से चुनाव होगा तथा वह कब तक होगा जिसके लिये वह कह रहे हैं कि यह बड़ा दकियानूसी है और हम उससे अधिक अधिकार दे रहे हैं। लेकिन पुराने ऐक्ट में भी यह विधान है और इसमें सारी ताकतें तत्कालीन सरकार अपने हाथ में न लेकर अधिनियम में लाई, अधिनियम को सरकार अकेले छू नहीं सकती। जब दो साल पूर्व हम से सरकार ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करने जा रहे हैं तो इसका संशोधन विधेयक भी सरकार को लाना पड़ा। अब सरकार यह सोचती है कि हम को बार-बार आदरणीय सदन के सामने जाना पड़ता है और झंझट तथा आलोचना होती है, लिहाजा हम चुपचाप नई व्यवस्थानुसार जो चाहेंगे कर लेंगे। आज एक आर्डर निकाल दिया, कल दूसरा आर्डर निकाल दिया, तो यह गलत चीज होगी। हो सकता है कि आज मंत्री जी बड़े योग्य हों, बड़े कुशल शासक हों, जनता के लिये उन्हें बड़ा प्रेम हो, कल को गलती से इनसे कम तजुर्बे वाला हममें से कोई उधर बैठ जाय और जो हथियार आज सरकार ने अपनी एग्जिक्यूटिव के हाथ में दे दिया है, उनका दुरुपयोग करें तो कैसा होगा। तो यह सारी चीजें अधिनियम के द्वारा होनी चाहिये। केवल एक आर्डर मात्र दे देना, यह गलत होगा। माननीय मंत्री जी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के लिये रूल्स या आज्ञा द्वारा व्यवस्था न करें। मैंने आगे संशोधन भी दिया है, अधिनियम में इसकी व्यवस्था की जाय, वरना इस हेस्टी लेजिस्लेशन का बड़ा दूर तक जा कर असर पड़ेगा। जो बिल वापस ले लिया गया है उसमें भी कई जगह ऐसी व्यवस्था थी जैसा मैं कह रहा हूं। नगर निगम विधेयक, जो १९५८ में पास हुआ उसमें भी इसकी व्यवस्था है। दफा ६० और उसके आगे की दफाओं में सारी बातें आ गयी हैं। माननीय मंत्री जी तब आज यह अनोखा कानून क्यों बनाना चाहते हैं, वे सारी लेजिस्लेचर की ताकत अपनी मुट्ठी में क्यों रखना चाहते हैं? वह ऐसी बात न करें बल्कि इसको डिलीट करें। उसके द्वारा साफ-साफ इस अधिनियम में व्यवस्था हो जाय।

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, खंड २३ के उपखंड (१) में यह व्यवस्था है कि निर्वाचन सम्बन्धी समस्त विषय राज्य सरकार के आदेश द्वारा विनियमित किये जायेंगे और इन आदेशों का विज्ञापन होगा। राज्य सरकार के स्थान पर संशोधन यह है कि निर्वाचन आयोग रख दिया जाय। एक तो यह निर्वाचन आयोग से उनका कोई और निर्वाचन आयोग बनाने का मंशा है या जो इस वक्त है उससे मंशा है, क्योंकि उसके बाद एक दूसरा संशोधन है माननीय मोतीलाल अवस्थी और माननीय गेंदासिंह के नाम पर जिससे शक होता है कि इस निर्वाचन आयोग से मंशा नहीं है बल्कि किसी और निर्वाचन आयोग की बात दिमाग में है। उसी तरह से निर्वाचन आयोग या किसी अन्य आयोग के आदेश के द्वारा यह सब निर्वाचन विनियमित कराना चाहते हैं। माननीय मोतीलाल जी के अनुसार राज्य सरकार बजाय अपने हाथ में लेने के यह निर्वाचन की व्यवस्था प्रदेशीय निर्वाचन आयोग को सुपुर्द करे, जिस की नियुक्ति राज्यपाल करे और वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में कम से कम पांच वर्ष काम कर चुका हो। यह जो शर्तें लगायी जा रही हैं, ऐसी शर्तों से काम में कोई आसानी नहीं होगी, बल्कि काम में और दिक्कत पैदा हो जायगी। इस तरह की व्यवस्थायें तो राज्य सरकार के आदेश से होती रहती हैं, इसलिये अगर यह व्यवस्था की गई है तो कोई अनुचित बात नहीं की गयी है। माननीय विष्ट जी ने इस पर आपत्ति की है कि निर्वाचकों की अनर्हताओं के बारे में सरकार ने अधिकार ले रखा है। इसमें सिर्फ इतनी चीज रखी गयी है कि मतदाता की योग्यतायें होंगी, इसकी यदि व्यवस्थायें की गयी हैं तो यह कौन सी बात कर दी गयी है जिस पर आपत्ति की जा रही है। अगर इसी विधेयक में यह रख दिया जाता कि वोटर की क्या क्वालिफिकेशन्स और डिस्क्वालिफिकेशन्स होती हैं और अभाव सम्बन्धी अन्य बातें किस प्रकार होंगी तो यह बहुत बड़ा बिल हो जाता इसलिये सरकार ने यही उचित समझा कि इसका विनियमन अपने आदेश के जरिये से करने की व्यवस्था हो। यह उचित ही है और कार्य को सुचारु बनाने के लिये

[श्री जयराम वर्मा]

ही ऐसी व्यवस्था की गयी है। अतः इन संशोधनों को मैं अस्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं सदन से कि वह इनको अस्वीकार कर दे।

*श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, जो संशोधन माननीय अमरनाथ जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उप मंत्री जी के विद्वतापूर्ण भाषण को सुन कर भी मैं यह नहीं समझ पाया कि इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन के विनियमन का अधिकार लेने पर सरकार विचार कर रही है तो फिर जब हम निर्वाचन आयोग की बात कहते हैं तो सरकार को उसमें आपत्ति क्यों हो सकती है। हम नहीं कहते कि सरकार अलग से आयोग बनाये। एक आयोग है। जब चुनाव होता है तो वह घोषणा करता है और जो उसके द्वारा घोषणायें होती हैं वह सबको मान्य होती हैं। हम तो सरकार के काम को हल्का करना चाहते हैं इस माने में कि इस में किस तरह से चुनाव होंगे और मतदान प्रणाली किस तरह की होगी आदि आदि। मंत्री जी शायद कहें कि सभी जानते हैं लेकिन अगर जानते हुए भी सरकार के हाथ में अधिकार दे दिया गया तो सरकार जिस तरह से अपना काम करती है, कई बार आर्डिनेंसेज निकलते रहते हैं तो इस तरह से सरकार के हाथ में अधिकार देना उचित नहीं है। हम यह नहीं कहते कि सरकार हमेशा ही ऐसा करेगी लेकिन दूध का जला छाछ फूंक-फूंक कर पीता है। सन् १९४८ से लेकर आज तक सरकार ने जिस तरह से जनतंत्र का गला घोंटा है वह सब को विदित है और यह मेरा सरकार पर आरोप है। यह आरोप सरकार पर है किसी मंत्री पर नहीं। सन् १९४८ से चला आ रहा था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स लेकिन जो ऐक्ट था उसके स्थान पर एक बिल यहां पर लाया गया और कहा गया कि यह बहुत काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं है। माननीय विचित्र नारायण जी शर्मा ने कहा कि इसमें बहुत सी धारायें ऐसी हैं जिनके आधार पर हम लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं दे सकते इसीलिये एक ऐसा जिला बोर्ड ऐक्ट बनाना होगा जिसमें जनता की आवाज को स्थान दिया जा सके और वह संशोधन विधेयक यहां उपस्थित हुआ और संयुक्त प्रवर समिति को भी गया। बिना इस हाउस की राय के आर्डिनेंस के जरिये उसको अन्तरिम जिला परिषद का रूप दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह हमें इसका भरोसा दें कि ऐसा भविष्य में फिर नहीं होगा। जब वह ऐक्ट हमने पास किया तो उस ऐक्ट के आधार पर चुनाव हो जाने चाहिये थे। मान्यवर, एक ऐक्ट असेम्बली ने पास किया, कैबिनेट उसके ऊपर कोई चीज नहीं होती है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक काम कैबिनेट को सौंपा था तो क्यों नहीं कैबिनेट ने हाउस को कांफिडेंस में लिया? इसको देखते हुये हमें आज भी खतरा है कि अगर हम सरकार को सारा अधिकार दे देते हैं तो कल को यह चुनाव हो भी सकेगा या नहीं। सरकार यह कह सकती है कि इस खंड के अधीन अभी काम होना है, वह हम नहीं कर पाये—बड़ा आसान बहाना है—यह कह दिया जायगा कि बार्डर में हमें खतरा है, इस समय देश में एक यूनिटी की आवश्यकता है, चुनाव होगा तो भेदभाव बढ़ेगा। इसलिये ऐक्ट तो जिला परिषद् का पास हो गया लेकिन अभी खंड २३ के मुताबिक हम चाहते हैं कि तमाम लिस्टें तैयार करें या बार्डर पर जो चीजें हो रही हैं उसकी देखभाल करनी है, यह माननीय मंत्री जी को कहना पड़ेगा। आज अगर असेम्बली यह पास कर देती है कि सारे अधिकार खंड २३ के अन्दर सरकार को दे दिये जायं तो मान्यवर, मुझे भय है कि सरकार कल को यही कहेगी।

माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी पर मुझे भरोसा है लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है। माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी स्वयं तस्लीम कर चुके हैं कि वह एम० एल० एज और एम० एल० सीज को इसमें नहीं रखना चाहते थे लेकिन रूलिंग पार्टी ने उनको मजबूर किया, उनके ऊपर कैबिनेट का दबाव पड़ा, और पार्लियामेंटरी पद्धति में यह प्रैक्टिस है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें मंत्री की कोई एक स्वतंत्र इच्छा नहीं रह जाती। कैबिनेट उसके फैसले को बदल सकती है। तो कल को इसका कौन सा भरोसा है। यह फैसला जो आज आप ले रहे हैं यह तो सरकार के हाथ की बात होगी। इसलिये यह संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस जनतांत्रिक प्रयोग को सफल बनाना है, आप चाहते हैं कि हमारा यह प्रथम प्रयोग सफल हो और दूसरे प्रदेश के लोग भी इसका अनुकरण कर लाभान्वित हों इस उत्तर प्रदेश के प्रयोग से तो आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में कम से कम अधिकार होना चाहिये जिससे कि हमारी ये जिला परिषदें बिना गन्दी दलगत राजनीति के चल सकें। अगर सरकार को यह अधिकार मिल जाता है तो फिर उसमें राजनीति चलने लगेगी। फिर यह जो जनतंत्र का सपना है, जो गांव का रहने वाला आज यह सोचता है कि जो यह पेड़ लग रहा है उसमें एक दिन फल लगेगा और वह उस फल का रसास्वादन करेगा, तो न तो वह पेड़ ही लग पायेगा और न फल ही लगेगा, रसास्वादन करने की तो बात दूर रही। इसलिये सरकार फिर इस पर सोचे। निर्वाचन आयोग का फैसला सभी दलों को मान्य होता है। उसी के द्वारा यह कार्य कराया जाय जिससे कि यह प्रजातांत्रिक प्रयोग, सफल हो सके और आज जो जनतंत्र हमारा खतरे में पड़ा हुआ है, तानाशाह जो इसके ऊपर निगाह लगाये हुये हैं, उनकी निगाह अपने आप झुक जाय और वह वापस हो जायं अपने इरादे से। यह तभी हो सकता है जबकि हम एक स्वतंत्र किस्म की संस्था को इस किस्म का निर्वाचन कराने का अधिकार दें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे नम्र निवेदन और आदरणीय सदन के विचारों का आदर करते हुये इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जो अपने संशोधन में रखी है स्वतंत्र आयोग रखने की बात उसमें कुछ थोड़े से पारिभाषिक शब्द भी मैंने रख दिये हैं कि यह आयोग प्रांतीय स्तर पर होगा, राज्यपाल की घोषणा के मुताबिक ही होगा और उसमें कुछ जूडिशल माइंड यानी न्याय करने की भी बुद्धि या अनुभव होना चाहिये। इस प्रकार का आयोग मुकर्रर हो जो इस निर्णय को निष्पक्ष रूप से करे। मैं इस संशोधन को फिर प्रेस करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी की बात सुन कर मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैं उम्मीद करता था कि मैंने जो नेक सलाह नेक दोस्त के नाते दी थी उसको वह अवश्य स्वीकार करेंगे। आज तक दुनिया की तवारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि जहां एग्जीक्यूटिव को इतनी बड़ी ताकत दी गयी हो। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वोटर की क्या होगी यह राजाज्ञा द्वारा कहीं निर्धारित नहीं किया जाता। सारी बातें जैसे योग्यता, अनहर्ता, एलेक्शन नल ऐंड वायड करने के लिये कौन सी बातें हो सकती हैं, आदि बातें मूल विधेयक में होनी चाहिये। जिला बोर्ड के अधिनियम को आप ले लजिये, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को आप ले लीजिये, सभी में आपको यह व्यवस्था मिलेगी और आज कौन सी कयामत बरपा हो जायगी अगर यह विधेयक भी उसी तरह से न बनाया जाय। माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि अगर थोड़ा सी पावर इस कानून में ले लेंगे तो कौन सी आफत आ जायगी। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मान लीजिये कि यह आज्ञा निकल जाय कि इन इन कारणों से एलेक्शन पिटीशन वायड हो जायगा, तो उस दिन तक पिटीशन फाइल करने वालों के लिये एक कानून होगा और उसके बाद वालों के लिये दूसरा अगर उस बीच मंत्री जी के दिमाग में कभी कोई दूसरी बात आ गयी तो फिर उस में बदलाव हो सकता है और इस प्रकार कोई स्थिरता नहीं रहेगी। सब के लिये एक कानून हो, हर एक को विश्वास हो कि यही बात चलेगी, यह बात मेरा संशोधन मान लेने पर ही संभव हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच सरकार के कर्मचारी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इस ताकत के होने से। क्या यह उचित होगा? मैं मंत्री जी को चैलेंज कर सकता हूं कि अन्य हर चुनाव संबंधी कानून में, मूलभूत ऐक्ट में यह सारी व्यवस्थायें की जाती रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

हमारा अनुभव यह है कि नियम बनाने में भी माननीय मंत्री जी अधिनियम की सीमा को लांघते रहे हैं और आज तो नियमों तक में भी यह प्राविधान नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि चुनाव संबंधी सारी व्यवस्था नियमों में की जायगी जो विधान मंडल में पेश होंगे क्योंकि उन पर बहस-मुबाहसा हो सकता है।

इसमें कहा गया है कि आर्डर्स होंगे, हुक्म होंगे और वह गजट में प्रकाशित कर दिये जायेंगे और वह यथेष्ट समझे जायंगे। उन पर कोई बहस-मुबाहसा नहीं होगा। यह कितनी गलत चीज है। इतनी ताकत माननीय मंत्री जी न लें। यह तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उपहास करना है। अगर यही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है तो भगवान् ही मालिक है। मंत्री जी इसको अच्छी तरह से सोंचे। यह बहुत बड़ी पावर है जिसको आज तक किसी ने नहीं लिया। विदेशी शासक भी, जो देश को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, इस तरह की ताकत को अपने हाथ में नहीं लिये। उन्होंने इंग्लैन्ड की डेमोक्रेसी के आधार पर काफी ताकत लोगों को जिला बोर्ड ऐक्ट में दी और पहले हमारे लोगों ने वहीं जाकर अपनी बातें उन तक पहुंचायी। मंत्री जी जो यह ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि उसमें क्या जस्टीफिकेशन है। अगर मैं कहूं कि यह तानाशाही का कानून है तो बुरा न होगा। बहुमत के बल पर वह जो चाहें करा सकते हैं। वह कह सकते है कि जिसे हम चाहेंगे नामांकित कर देंगे और किसी को एतराज करने का हक न होगा। ठीक है, वह हो सकता है। अपने बहुमत के बल पर माननीय मंत्री जी मनचाहा कानून बना सकते हैं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम अल्पमत में हैं और जब तक अल्पमत में रहेंगे इसकी सजा भुगतते रहेंगे, किन्तु जनता की आवाज बुलन्द करने के लिये हमें यह कहना पड़ेगा कि यह कानून अन्याय और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला कानून है। सरकार हर अधिकार को अपने हाथ में लेती जा रही है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि जनता का भला हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, तो आप इतने अधिकारों को अपने हाथों में न ले और जो संशोधन है उसे स्वीकार करें।

श्री अमरनाथ—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन पर जिन माननीय सदस्यों ने अपना भाषण दिया है और उसका समर्थन किया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे संशोधन को माननीय मंत्री जी ने समझा ही नहीं है। निर्वाचन आयोग से मेरा मतलब भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से है। जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते है तो ऐसी सूरत में इस तरह की आज्ञा देने का अधिकार राज्य सरकार को देना, राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव को देना, उचित नहीं है। मुझे माननीय मंत्री जी पर बिलकुल भी संदेह नहीं है। आपको मालूम है कि जो भी अधिनियम बनते हैं उसके अन्तर्गत यह लिखा रहता है कि कोई भी आज्ञा जो बनायी जायेगी वह विधान मंडल के सामने रखी जायेगी, लेकिन इस तरह की जो बात विधेयक में रखी गयी है उसके लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वह विधान मंडल के सामने रखी जायेगी। इसके न होने से उसकी कोई सीमा ही न रह जायेगी और सरकार फिर जो भी आज्ञा निकालेगी उनमें ज्यादातर राजनीतिक बातों का खयाल रखा जायेगा और अपनी पार्टी (शासक पार्टी) के हित को ध्यान में रखा जायेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो इस संबंध में इस संशोधन को मान लें और उसमें निर्वाचन आयोग ही रखने की कृपा करें। निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष आयोग है और वही सारे चुनाव की व्यवस्था करता है और वही उसकी आज्ञा वगैरह भी देता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन मान लेने की कृपा करें।

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)**—श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से इस बहस को सुना। अमरनाथ जी जो चाहते है कि इसमें निर्वाचन आयोग रख दिया जाय तो वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोग तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा बना है हम उसको कैसे रख सकते हैं। अगर हम उसको रखते हैं तो हमें उसके लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। हम उसमें सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट का कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। इस समय हम तार द्वारा भी तो उनकी राय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक वकील की हैसियत से माननीय विष्ट जी ने भी उसका समर्थन किया..

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैंने निर्वाचन आयोग की बात नहीं कही। मेरा तो स्वयं का संशोधन था।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब दूसरी बात यह है कि खंड २३ (१) में यह लिखा है कि धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन निर्वाचनों से संबद्ध आदेशों द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथा गजट में विज्ञापित आदेश या आदेशों द्वारा विनियमित होंगे। तो इसका किस तरह से चुनाव हो। इसमें सिर्फ यह करना है कि गजट के अन्दर छप जायंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं हो सकता कि कांग्रेस के होंगे तो उनके ऊपर यह लागू होगा और दूसरे होंगे तो यह लागू होगा। हजारों आदमी उसके नीचे काम करेंगे जो वोट्स रेकार्ड करेंगे और निशान लगायेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात की कल्पना कर लेना और एक हिस्टीरिया की सूरत पैदा हो जाना कि एक आदमी एक दम से अपने ऊपर काबू छोड़ बैठे, मैं इसके सिवा कुछ समझ नहीं सका। सिर्फ साबित करने के लिये कि चुनाव फरवरी में होने वाला है और यह इतना अधिकार जो हमको दे रहे हैं इस संबंध में जो यह शक किया जाता है कि हम इतनी अदम्य ताकत अपने हाथ मे ले रहे हैं उसका दुरुपयोग हो सकता है तो इसलिये ताकि निश्चित हो जाय कि सरकार अपनी किसी ताकत का दुरुपयोग नहीं करती है वह फरवरी तक इन्तजार करें, हम इस ताकत को अपने हाथ में रख रहे हैं फिर हमें आशा है कि उनकी बुद्धि बदल जायगी और इन्सान के अन्दर वह विश्वास करना सीख जायंगे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं —

खण्ड २४ के उपखण्ड (२) में शब्द "जब नोटिस जिला परिषद् के मुख्याधिकारी को दिया जाय" के स्थान पर शब्द "जब त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय" रख दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा मतलब यह है कि जो सदस्य या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो जो अभी तक इसमें है कि मुख्य कार्याधिकारी को जब नोटिस मिल जायगा तो समझा जाय कि त्यागपत्र हो गया, मैं संशोधन करता हूं कि त्यागपत्र को परिषद् के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो जाय, उस वक्त से समझा जाय कि उस सदस्य या उपाध्यक्ष का त्यागपत्र हो चुका। मैं समझता हूं काफी स्पष्ट है और रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैं रामेश्वरप्रसाद जी के संशोधन को जो ११६-क पर है, स्वीकार करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं —

खण्ड २५ के उपखण्ड (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि महिला सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पहले से ही क्रमशः ५ या धारा १८ की उपधारा (२) के भाग (२) के अधीन निर्दिष्ट संख्या से कम न हो तो रिक्ति की पूर्ति के लिये कोई अनुमेलिन नहीं किया जायगा।"

मेरा तात्पर्य इस संशोधन से यह है कि जिला परिषद् के चुनावों में इंडायरेक्ट या डायरेक्ट चुनाव से जो सदस्य जिला परिषद् के लिये आयेंगे उसमें अगर महिला सदस्यों की

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

संख्या ५ से कम हो, अथवा हरिजन सदस्यों की संख्या ५ से कम हो तो ऐसा प्राविजन है जो पहले स्वीकार हो चुका है कि परिषद् को दोनों प्रकार के सदस्यों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जिससे दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या ५ हो जाय। मैं इसके तहत में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि अगर परिषद् में डायरेक्ट या इनडाइरेक्ट चुनाव से पांच की संख्या के बराबर महिलायें आ जायं या हरिजन सदस्य निर्दिष्ट संख्या के बराबर आ जायं तो फिर अनुमेलन का प्राविजन न रहे क्योंकि उनका कोटा पूरा हो जायगा। मैं समझता हूं यह बहुत सीधा संशोधन है, मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—खन्ड १८ में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार यह आनुषंगिक संशोधन जरूरी था। यह आनुषंगिक संशोधन है मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—इस पर वोटिंग बाद में होगा।

***श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड २७ के उप-खंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, यह उप-खंड (१) इस प्रकार से है "यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा १८ की उप-धारा (१) के खंड (१), खंड (३), खंड (८), या खंड (९) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।"

श्रीमान्जी, इस बिल को देखने से मैं तो यह समझा हूं कि सारा काम राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इससे अच्छा तो यही होगा कि सरकार यह एलान कर दे कि जनतन्त्र को खत्म कर के वह डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। खंड १८ के उप-खंड (१) में जिला परिषद् के सदस्यों की सूची दी हुई है उसमें (१) में "जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख" है, (३) में "जिले में समस्त नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेंट" है (८) और (९) में "लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो, तथा राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान जिले में स्थित हो या दिया हुआ हो।" श्रीमान जी, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद् या नगरपालिका के जो सदस्य होंगे उनको सभी जानते होंगे लेकिन इस बात को तय करने का अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। मैं कहता हूं कि अगर किसी बे पढ़े-लिखे आदमी से भी आप पूछें तो वह बता देगा कि उस क्षेत्र से कौन लोक सभा का सदस्य है और कौन विधान सभा का सदस्य है। अवस्थी जी चाहते हैं कि राज्य सरकार के बजाय जिला न्यायाधीश तय करे यदि कोई विवाद हो। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार अपने हाथ में यह अधिकार क्यों ले रही है कि वह यह तय करे कि वह मेम्बर है या नहीं। सीधी सी बात है। मैं तो मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जनतन्त्र को खत्म कर के डिक्टेटरशिप लेलें। बेकार रोज जो यह इतना खर्च होता है यह सब भी बच जायगा। इतना कह कर मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***श्री विचित्रनारायण शर्मा**—वह स्वयं कहते हैं कि इसको तो बिना पढ़ा लिखा भी जानता है और अन्धा भी जानता है, तो न्यायाधीश का रखना बिलकुल गलत है।....

श्री बालकराम—लेकिन विवाद में बात आवे तब न?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--न्यायाधीश के पास जाने से तय नहीं हो सकेगा और तब तक सारा एलेक्शन भी खत्म हो जायगा। सरकार के पास सब फैक्ट्स और फीगर्स आते रहते हैं। कोई पार्लियामेन्ट का या यहां का सदस्य है या नहीं, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। सवाल सिर्फ यह उठेगा कि किस जगह का रहने वाला है। यह सरकार निश्चय कर देगी कि आजमगढ़ का रहने वाला है या बलिया का है या मेरठ का, सहारनपुर या मुज्जफनरनगर का है। इसे वह स्वंय कहते हैं कि गंवार भी जान सकता है। तो इतनी छोटी सी बात के लिये न्यायाधीश को तंग करना मेरी समझ में नहीं आता है।

***श्री गेंदासिंह**--श्रीमन, मैं न्यायाधीश के संशोधन का समर्थन करता हूं। न्यायाधीश के नाम से इतनी उदासीनता नहीं होनी चाहिये। शर्मा जी ने कहा कि अन्धा भी जान सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि कलेक्टर अन्धा नहीं होता है .....

श्री अधिष्ठाता--जस्टिस इज ब्लाइड। यह संशोधन जिला न्यायाधीश का है जिलाधीश का नहीं है।

श्री गेंदासिंह--इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर की आंख बड़ी तेज होती है। उसके सामने जस्टिस प्रधान काम नहीं होता है। न्यायाधीश को यह अधिकार देने में कि कौन आदमी जिला परिषद् का सदस्य होना चाहिये, कोई खतरा नहीं है और न कोई काम बढ़ता है। इस समय किसी मिनिस्टर के और उसके नीचे शासनाधिकारी, दोनों के कार्यक्षेत्र में बटवारा करना बड़ा कठिन है। इसलिये जो नाशुकरे काम मिनिस्टरों के सिर पर आ जाते हैं और उन पर बगैर दबाव पड़े रुकता नहीं है और अनुचित कामों के लिये दबाव ही पड़ा करता है, इसलिये उनसे मैं मिनिस्टरों को बचाना चाहता हूं। आज से लेकर ४, ५ अक्तूबर तक का समय बड़ा ऐतिहासिक है। उसके भीतर कई चुने हुये प्रतिनिधियों की जान कच्चे धागे से लटक रही है और वह सोच रहे हैं कि इस बीच में मार गये तो मार गये। और यह काम न्यायाधीश के जिम्मे रहे तो कोई मेम्बर किसी मिनिस्टर को तंग नहीं करेगा। सरकार ने यह बहुत हल्का काम बताया तो फिर न्यायाधीश को देने में क्या दिक्कत हुई है। क्या ऐसा करने से चुनाव देर से होगा ? हमारी समझ में तो नहीं होगा। इसलिये सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये।

***श्री बालकराम**--मंत्री जी ने कहा कि इसमें केवल यही देखना है कि कहां का रहने वाला है। इतने छोटे से काम को सरकार अपने हाथ में ले रही है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि इस बात को तो हर आदमी जानता है कि कोई सदस्य कहां का रहने वाला है। जब वह एलेक्शन लड़ने के लिये नामजदगी कराता है तो पहिले ही जांच के समय यह बात साबित हो जाती है कि वह फलां जगह का रहने वाला है, फलां इसका बाप है इत्यादि। ये सब बातें तय होजाने पर ही यह तय होता है कि वह विधान सभा एत्यादि का इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं ? अगर पहली ही उसकी गलती हो तो वह पहले ही खत्म हो जाता है। मान लीजिये कि जिला परिषद् बनने जा रहा है सन १९६१ में। इससे पहले सन ५७ में एलेक्शन में यह बात तय हो गई कि बालकराम, कहां का रहने वाला है, क्या इसके पिता का नाम है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या इसकी आयु है। इसके लिये अगर कोई जिला परिषद् के चुनाव के समय एतराज करे तो उसके लिये न्यायाधीश ही काफी है, सरकार तक यह बात आने की आवश्यकता नहीं है। इन तमाम बातों को घुमाफिरा कर सरकार द्वारा उनको अपने हाथ में लेने का मतलब केवल यही होता है कि बजाय जनतन्त्र के वह डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। इस बिल के पढ़ने से मुझे ऐसा ही लगता है। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इस संशोधन को मान ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।)

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं गेंदासिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि इसे जरा गौर से फिर पढ़ लें, तब इस प्रकार की बातें कहें। इसमें व्यवस्था यह है कि अगर इस तथ्य के बारे में एतराज हो कि खंड १८ के उप-खंड (१) की मद, (१) (३) (८) और (९) के अधीन उल्लिखित कोई सदस्य जिला परिषद् का सदस्य है या नहीं, तो यह प्रश्न सरकार को भेजा जायगा। यानी, अगर यह प्रश्न है कि कोई प्रमुख जिला परिषद् का सदस्य है या नहीं, किसी ने मीटिंग में एतराज कर दिया कि यह व्यक्ति जिला परिषद् का सदस्य है या नहीं, किसी नगरपालिका के मेम्बर के बारे में, किसी एम० एल० ए० या लोक-सभा के सदस्य के बारे में यह एतराज हो जाय कि यह सदस्य नहीं है तब यह मामला सरकार को रिफर होगा। विधान सभा का सदस्य या लोक सभा का सदस्य तभी जिला परिषद् का सदस्य हो सकता है जबकि उसका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले के किसी भाग में हो। यदि विधान परिषद् के सदस्य या राज्य सभा के सदस्यों के बारे में यह प्रश्न पैदा होता है कि वह जिला परिषद् का सदस्य है या नहीं तो भी यह प्रश्न राज्य सरकार के पास आयेगा। अगर किसी मीटिंग में यह प्रश्न उठा दिया जाय कि कोई सदस्य जिला परिषद् का सदस्य नहीं है और वह न्यायाधीश के पास भेजा जाय तो उसके फैसला होने में २–४ महीने लग जायेंगे। क्या इतने समय तक जिला परिषद् की मीटिंग न होगी ? इस तरह से काम में अड़चन पड़ जाने का डर है इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे केसेज राज्य सरकार को अभिदिष्ट किये जायं और राज्य सरकार उस पर अपना निर्णय दे और वह निर्णय अन्तिम, बन्धनकारी होगा। श्रीमन्, अगर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि खंड १८ के अन्तर्गत जो जिला परिषद् के सदस्य हैं उनका चुनाव वैधानिक रूप से हुआ है, या नहीं या किसी सदस्य में अनर्हता पैदा होती है, या नहीं, इस प्रकार के कानूनी सवाल पैदा होने पर प्रश्न न्यायाधीश को भेजे जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जयराम वर्मा—मेरे कहने का मतलब यह था कि जब तथ्य के बारे में कोई आपत्ति की जाती है तो वह राज्य सरकार को अभिदिष्ट होगी लेकिन अगर वैधानिकता के बारे में आपत्ति होगी तो वह न्यायाधीश को अभिदिष्ट होगी। अगर फैक्ट्स के बारे में न्यायाधीश के पास अभिदिष्ट की जायगी तो उसका समय बेकार जायगा तथा कार्यवाही में भी अड़चन पैदा होगी। इसलिये जो व्यवस्था की गई है वह मुनासिब है। जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड २७ के उप-खंड (२) के भाग (ख) में शब्द 'धारा २० के प्रयोजनों के लिये' बीच से निकाल कर भाग के प्रारम्भ में रख दिया जाय।"

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन से जो इस खंड का जुम्ला है वह अच्छा सा बन जाता है, इसलिये यह संशोधन रखा गया है भाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—इस तरमीम से शब्दावली ठीक हो जाती है इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अब श्री मोतीलाल अवस्थी के संशोधन पर, जो खंड २२(३) में है, वोट लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २२ के उप-खंड (३) की पंक्ति चार में शब्द "निधि" व शब्द "पर" के बीच शब्द "के उस फंड पर जो राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिये प्रदान किया गया हो," 'उस' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ के उप-खंड (१) में "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन आयोग" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ के उप-खंड (१) की पंक्ति दो में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "प्रदेशीय निर्वाचन आयोग, जो राज्यपाल द्वारा इस कार्य के लिये एक स्वतन्त्र अधिकारी नियुक्त हो और जो किसी उच्च न्यायालय में ५ वर्ष कार्य सम्पादन कर चुका हो के" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ के उप-खंड (२) का उपखंड (१), (३) तथा उप-खंड (९) निरसित किया जाय तथा उप-खंड (१०) के भाग (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ), (ञ), (झ), (म), तथा (ढ) और (त) व(घ) भी निरसित किये जायें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मन्त्री जी शायद इस पर विचार कर रहे हैं। इस में क्वालिफिकेशन, डिसक्वालीफिकेशन के ऊपर बात कर लें, तब तक के लिये नहीं तो इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४ के उप-खंड (२) में शब्द "जब नोटिस जिला परिषद् के मुख्याधिकारी को दिया जाय" के स्थान पर शब्द "जब त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २५ के उप-खंड (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि महिला सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पहले से ही क्रमशः ५ या धारा १८ की उप-धारा (२) के भाग (२) के अधीन निर्दिष्ट संख्या से कम न हो तो रीति की पूर्ति के लिये कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७ के उप-खंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द "धारा २० के प्रयोजनों के लिये" बीच से निकाल कर भाग के प्रारम्भ में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८

अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव

२८—(१) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष में अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(२) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा और जिला परिषद् के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायगा जिसका जिला परिषद् पर क्षेत्राधिकार हो।

(३) तदुपरान्त कलेक्टर—

(१) जिला परिषद् की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये जिला परिषद् के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (१) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा ; तथा

(२) सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायगी जिसमें इस धारा के अधीन दिये गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश (यदि कोई हो) प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायगा जो सदस्यों की बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

(४) कलेक्टर जिले के जिला न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश स्वयं अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है।

(५) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायगी।

(६) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी जिला परिषद् को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो और यह घोषित करेगा कि उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद किया जा सकता है ।

(७) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जायगा ।

(८) यदि ऐसा वाद-विवाद, बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो तो दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायगा । वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।

(९) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा ।

(१०) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त, बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुये मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा कलेक्टर को भेजेगा ।

(११) यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ हो तो—

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन, उसका नोटिस जिला परिषद् के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित कराकर भी करायेगा; और

(ख) अध्यक्ष उस दिनांक के जब उक्त नोटिस जिला परिषद् के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा ।

(१२) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो, अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से एक वर्ष व्यतीत न हो जाय तब तक उसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(१३) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा ।

श्री अमरनाथ—अधिष्ठाता महोदय, मैं १२१ नम्बर का संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि १२२ नम्बर का कर रहा हूं ।

खंड २८ के उपखंड (२) में "एक तिहाई" के स्थान पर "एक चौथाई" रख दिया जाय। मैं बहस नहीं करूंगा । आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी ने इस तरह का फैसला किया है कि इस धारा पर बहस नहीं होगी ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, इस पर और कई संशोधन हैं वह पहले पेश हो जायं, तभी मैं जवाब दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है ।

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं :—
खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे सदस्यों" रख दिये जायं।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

मेरा यह संशोधन उस खंड से संबंधित है जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविजन है। मूल अधिनियम में यह प्राविजन है कि अगर जिला परिषद् के उस समय के कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य लिख करके कोई अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ देंगे तो उस पर कार्यवाही हो सकेगी। मैं यह चाहता हूं कि जिला परिषदों में स्टेबिलिटी रहे और जल्दी-जल्दी अविश्वास के प्रस्ताव न आयें इसलिये इसकी आधी संख्या कर दी जाय। क्योंकि एक तिहाई या जैसा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से संशोधन आया है कि एक चौथाई रख दी जाय, ऐसा करने से यह होगा कि वहां बहुत से लोग इसी तलाश में रहा करेंगे और अध्यक्ष को परेशान करने के लिये एक चौथाई या एक तिहाई लोगों के दस्तखत कराके दिया करेंगे और बहस करेंगे चाहे नतीजा कुछ न हो। ऐसा करने से कम से कम ऊपर से नीचे तक का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा। इस विधेयक की मंशा है कि परिषद् का काम सुचारु रूप से चले और चूंकि जनतांत्रिक ढंग से चलना है इसलिये यह अड़चन पैदा न की जाय। आधे सदस्य रख दिये जायं।

श्री अमरनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी ने तय किया है कि जिन धाराओं पर बहस होना है उनमें जो महत्वपूर्ण संशोधन होंगे उनको मूव कर दिया जायगा और उन पर बहस होगी इस धारा २८ के बारे में निश्चित है कि बहस नहीं की जायगी, लेकिन इसका जो संशोधन मूव करना है मूव कर दिया जायगा अतः मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

अगर आपकी आज्ञा हो तो दूसरे संशोधन भी पेश कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां।

श्री अमरनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, खंड २८ के उपखंड (३) में "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

खंड २८ के उपखंड (४) का प्रतिबन्ध उपधारा (३) के अन्त में रख दिया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (८) की पंक्ति २ में जहां जहां शब्द "दो घंटे" आया है तथा पंक्ति ३ में शब्द "दो घंटों" आया है वहां क्रमशः शब्द "चार घंटे" तथा "चार घंटों" रख दिया जाय।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को मान लेंगे।

***श्री बालकराम**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोती लाल जी के निम्न संशोधन पेश करता हूं :—

खंड २८ के उपखंड (३) के भाग (१) की पंक्ति चार में शब्द "तीस दिन" के स्थान पर "पन्द्रह दिन" रख दिया जाय।

खंड २८ के उपखंड (३) के भाग (२) की पहली पंक्ति में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

खंड २८ के उपखंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह विवाद उक्त विषय पर बुलायी गयी साधिकार बैठक में पूरे दिन ५ घंटे होगा।"

खंड २८ के उपखंड (११) के अन्तिम शब्द "दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ" के स्थान पर "आधे सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ हो" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने १२४–क नम्बर का संशोधन पेश किया है इसकी वजह यह है कि अगर जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये तो जिलाघोश बजाय ३० दिन के, जैसी कि इस विधेयक की मंशा है, १५ दिन के अन्दर मीटिंग बुलाये यह हमने इसलिये रखा है ताकि उस प्रस्ताव पर जल्दी कार्य समाप्त हो और जिला परिषद् के कार्य में कोई बाधा न पड़े। मंत्री जी यही दलील देंगे कि १५ दिन के अन्दर परिषद् के मेम्बरों को इत्तला नहीं मिल पायेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि १५ दिन से पहले उनके पास इत्तला पहुंच जायगी और इसीलिए यह संशोधन पेश किया है। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसे मंजूर करें।

बाकी संशोधन जो मैंने पेश किये हैं उन पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा।

*श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (३) के पश्चात् स्पस्टीकरण की पंक्ति ५ में "शब्द रहा हो" के आगे का अंश निकाल दिया जाय।

*श्री शिवराजबहादुर---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपनी तरमीम पेश करता हू---

खंड २८ के उपखंड (११) के शब्द "यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या से कम से कम दो तिहाई, के समर्थन से पारित हुआ हो तो" निकाल कर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं---

"यदि प्रस्ताव जिला परिषद् की उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ हो तो।"

श्री रामेश्वरप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (११) के अन्त में "सदस्यों के स्थान पर शब्द "तत्कालीन सदस्यों" रख दिया जाय।

श्रीमन् मेरा संशोधन काफी स्पष्ट है सिर्फ तत्कालीन शब्द और रख दिया जाय। इससे यह और स्पष्ट हो जायगा।

श्री रघुवीरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (११) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से एक अधिक" रख दिया जाय।

श्रीमान् मुझे यह निवेदन करना है कि यह व्यवस्था दोषपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिनियम में इस प्रकार दिया है कि "यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ है"। यह इसलिये दोषपूर्ण है कि अगर किसी अध्यक्ष के विरुद्ध दो तिहाई सदस्य न हों तो वह नहीं हटाया जा सकता है। परन्तु जब यह मानी हुई बात है कि यदि आधे से एक अधिक उसके विरोध में हो तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता यहां तक की बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी बाधा पड़ेगी। इसी कारण से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दो तिहाई के स्थान पर आधे से एक अधिक सदस्य रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जिला परिषद् का अध्यक्ष इस विधेयक द्वारा बड़ा शक्तिशाली होगा, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदच्युत करना, ठेके देना, यह महत्वपूर्ण काम हैं जो इसके सुपुर्द हैं। इसीलिये जहां अध्यक्ष को इतने अधिकार दिये जांय वहां उस पर उचित नियंत्रण भी होना चाहिये। सरकार ने तो अपना नियंत्रण कर लिया है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब इसी विधेयक में चर्चा चल रही थी तो मंत्री जी ने कहा था कि आये दिन ऐसी शिकायतें आती रहती थीं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं, इसलिये हमने उन पर नियंत्रण रखने के लिये कुछ अधिकार लिये हैं। जहां सरकार ने स्वयं अधिकार लिये हैं वहां सरकार सदस्यों को अधिकार देना क्यों नहीं चाहती है? इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह न्याय संगत बात है और यह आधे से एक सदस्य अधिक वाला मेरा प्रस्ताव पास हो जाना चाहिये, अन्यथा जिला परिषद्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरसिंह]

के काम में रोड़े अटकेंगे। श्रीमन्, मसल मशहूर है कि "अधिक शक्तिशाली घोड़े को कटीली लगाम लगाई जाती है।" इसलिये मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव को पास करेगा।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (१२) में शब्द "उसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय।

मान्यवर, उपाध्यक्ष एक साल के लिये ही होगा इसलिये इसके रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। यह इसलिये कि उपाध्यक्ष के खिलाफ एक साल के भीतर अविश्वास का प्रस्ताव आ नहीं सकता। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि खाली अध्यक्ष ही मान लें।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैं भी इसके सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सिद्धांतों पर क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में हम पहले विवाद कर चुके हैं और यह बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था है। इन संशोधनों में श्री रामेश्वर प्रसाद जी का जो संशोधन १२२-कक्क पर है जहां पर यह है कि १/३ के स्थान पर १/२ कर दिया जाय उसको मैं स्वीकार करता हूं। इसके अतिरिक्त जो "तत्कालीन" शब्द को बढ़ाने का है, १२८-क पर है, जिसे भी श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने रखा है, उसको भी मैं इसलिये स्वीकार करता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव तत्कालीन सदस्यों की आधी संख्या पर आ सके और दूसरे संशोधन में जो "तत्कालीन" शब्द जोड़ने की बात है वह शब्द छूट गया था। यह दोनों मैं स्वीकार करता हूं। इसके अतिरिक्त श्री लाल बहादुर जी ने १३१-कक वाला संशोधन रखा है उसको मैं इसलिये स्वीकार करता हूं क्योंकि उसमें अध्यक्ष तो एक ही होगा। यह शब्द "उसी" निरर्थक है और साथ ही उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक साल ही होगा, उसमें अविश्वास का प्रस्ताव आने का प्रश्न नहीं है। उन्होंने "उसी" शब्द को निकालने के लिये कहा है और उपाध्यक्ष को भी हटाने के लिये कहा है। इसलिये मैं उसको स्वीकार करता हूं।

अब जहां तक संख्या कम कर देने का प्रश्न है, उसके कर देने से रोज के लिये झंझट खड़ी हो जायगी और अध्यक्ष कोई काम नहीं कर सकेगा, इसलिये संख्या कम करना मुनासिब नहीं होगा। इसके सम्बन्ध में बीच में कहीं नोटिस की बात भी कही गयी है। इसमें है कि प्रस्ताव मिल जाने पर तीस दिन के अन्दर कोई तारीख कलेक्टर नियत करेगा। एक माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह १५ दिन हो जाय। उसमें बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि सदस्यों को १५ दिन के अन्दर नोटिस नहीं मिल पायेगा। एक संशोधन में १५ दिन के नोटिस के स्थान पर ८ दिन के नोटिस देने की बात कही गयी है। ८ दिन में तो इत्तिला भी नहीं पहुंच पायेगी। देहातों में इस तरह की व्यवस्था किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी यह चाहते हैं कि अगर कोई मामला अदालत में चला गया और यह अविश्वास का प्रस्ताव स्थगित हो गया तो इसमें कहा गया है जितने समय तक स्थगित रहेगा उतने समय की गणना इसमें नहीं होगी और वह समय भी नहीं जोड़ा जायगा जो १५ दिन का समय नोटिस आदि में लगे। माननीय गेंदासिंह जी चाहते हैं कि यह १५ दिन वाला समय जोड़ा जाय। लेकिन न जोड़ने का एक कारण है---कि मान लीजिये ३० दिन करीब करीब खत्म होने को आ गया २८ दिन हो गये तब स्थगन आदेश हुआ। इस आदेश की वापसी में १५ दिन नोटिस आदिमें और लग सकते हैं। अब १५ दिनकी नोटिस न देना मुनासिब नहीं है और वह समय इसमें लग सकता है। माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि १५ दिन का समय जो लिया जा रहा है वह हटा दिया जाय। लेकिन इसका मानना किसी तरह से भी सम्भव नहीं है, इसलिये कि अगर वह मान भी लिया जाय तो उसके अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव आना असम्भव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेगा। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अपने संशोधन को समझकर वापस ले लेंगे।

जैसा मैंने कहा कि मैं रामेश्वर प्रसाद जी वाले और लालबहादुर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार कर रहा हूं और उन संशोधनों को, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया था, स्वीकार नहीं कर सकता था। अतः सदन से प्रार्थना करता हूं कि जिनको मैंने स्वीकार किया है उनको स्वीकार कर ले और जिनको मैं अस्वीकार करता हूं अगर माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस नहीं लेते तो उनको अस्वीकार करने की कृपा करे।

श्री रघुवीरसिंह---मैं आपके द्वारा मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह यह है कि जहां उन्होंने इस विधेयक में चर्चा चलायी है कि अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की जिला परिषद् से बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं इसलिये सरकार कुछ शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। तो क्या मंत्री महोदय स्वयं उसको नियंत्रण में रखना चाहते हैं ? सदस्यों के हाथ में अविश्वास के प्रस्ताव की शक्ति नहीं देना चाहते हैं ताकि आगे अविश्वास का प्रस्ताव अधिकतर न पास किया जा सके।

श्री जयराम वर्मा---अविश्वास का प्रस्ताव सदस्यों के हाथ में है। दो तिहाई के बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। लेकिन हम खिलवाड़ नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो संशोधन रामेश्वर जी का है उसे नहीं मानना चाहिये। माननीय वर्मा जी रामेश्वर जी का संशोधन मान लेते हैं और हम लोगों का संशोधन कभी भी नहीं मानते हैं। कुछ तो माना करें। श्रीमन्, कभी कभी तो समझौता हो जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना संशोधन रामेश्वर प्रसाद जी के पास भेज दिया कीजिये।

श्री गेंदासिंह---लेकिन श्रीमन्, रामेश्वर प्रसाद जी बड़ा जहरीला संशोधन पेश करते हैं जिससे जनता का अधिकार छिनता है। वह हमारा संशोधन उपस्थित नहीं करेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। रामेश्वर जी का ऐसा संशोधन आ गया है कि अगर उसका विरोध न किया जाय तो बड़ा अन्याय हो जायगा। इसलिये वर्मा जी और शर्मा जी इस पर अपनी राय बदलें और रामेश्वर जी का संशोधन अस्वीकार कर दें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव रोज का खिलवाड़ हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने इस अधिनियम में व्यवस्था की है कि साल भर के अन्दर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुन जाने के, कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता। उसके बाद जब कभी अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, अगर वह असफल हो गया तो फिर साल भर तक नहीं आ सकता। तो रोज खिलवाड़ नहीं होगा। माननीय मंत्री जी बिल्कुल लंगड़ी दलील देते हैं।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने ग्राम सभाओं की उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि दो तिहाई.....

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार ने की है।

श्री रूर्मसिंह---सरकार ने। तो आज तक किसी भी गांव सभा में अविश्वास का प्रस्ताव आ ही नहीं सका। बेईमान से बेईमान प्रधान ग्राम सभा की प्रधानी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह खिलवाड़ न बनायें इस विधेयक को। जो रघुवीर सिंह ने संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार करें और बेईमान लोगों को हटाने में इस विधेयक में व्यवस्था करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी...।

श्री उपाध्यक्ष—यह घोषणा न करियेगा कि उनका संशोधन आप मूव किया करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बार बार आग्रह किया कि जो मैंने प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार न किया जाय, इसलिये जरूरी होगा कि मैं अपने स्पष्टीकरण के साथ गेंदासिंह जी से फिर निवेदन करूं कि वह अपना निश्चय बदल लें। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव जनता के लिये अहितकर है। मेरा प्रस्ताव जनता के हित में है। अगर एक तिहाई या एक चौथाई की संख्या रखी जाय तो बहुत आसानी हो जायगी। अगर एक तिहाई या एक चौथाई मेम्बर लिख कर दे देंगे तो इस प्रकार वह बहुत परेशान कर सकते हैं। चूंकि अविश्वास का प्रस्ताव दो तिहाई के बहुमत से पास होगा, इस लिये जरूरी कर दिया है कि अगर आधे सदस्य लिख कर दे देंगे तो अविश्वास का प्रस्ताव डिस्कस हो सकेगा। इस प्रकार उन आधे सदस्यों के लिये यह जरूरी रखा है कि वह एक तिहाई सदस्य अपनी तरफ और करें नहीं तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसमें कायदे कानून की बहुत बड़ी बात नहीं है। न न्यायाधीश या डिप्टी कमिश्नर के हक की बात है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, सीधी सी बात है कि वहां मजबूती रहे—और मैं भी इसी राय का हूं—इसलिये जनतंत्र के लिये जनता के हित में इसको मान लें। वरना जनता का तमाम समय वेस्ट होगा और कार्य प्रणाली में भी बार बार आघात होगा। इसलिये बहुत सादर मैं निवेदन करता हूं वह उसे मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) में "एक तिहाई" के स्थान पर "एक चौथाई" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे सदस्यों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (३) में "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (३) के भाग (१) की पंक्ति चार में शब्द "तीस दिन" के स्थान पर "पन्द्रह दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (३) के भाग (२) की पहली पंक्ति में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (३) के पश्चात् स्पष्टीकरण की पंक्ति ५ में शब्द "रहा हो" के आगे का अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (४) का प्रतिबन्ध उपधारा (३) के अन्त में रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"यह विवाद उक्त विषय पर बुलायी गयी साधिकार बैठक में पूरे दिन, ५ घंटे होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में--१२,
विपक्ष में--३९ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (८) की पंक्ति २ में जहां-जहां शब्द "दो घंटे" आया है तथा पंक्ति ३ में शब्द "दो घंटों" आया है वहां क्रमशः शब्द "चार घंटे" तथा "चार घंटों" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (११) के शब्द "यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या से कम से कम दो-तिहाई के समर्थन से पारित हुआ हो तो" निकाल कर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"यदि प्रस्ताव जिला परिषद् की उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ हो तो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (११) के अन्त में शब्द "सदस्यों" के स्थान पर शब्द "तत्कालीन सदस्यों" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (११) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से एक अधिक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (११) के अन्तिम शब्द "दो तिहाई के समर्थन से पारित हुआ" के स्थान पर "आधे सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ हो" रख दिया जाय ।

(प्रन उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१५
विपक्ष में--४४ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (१२) में शब्द "उसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २९

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना

२९--(१) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष, जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों का जान-बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अपने कर्त्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया गया है तो राज्य सरकार यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में जिला परिषद् का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है ।

(२) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही की जा चुकी हो, निलम्बित कर सकती है और इस प्रकार उसे निलम्बित अवस्था में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने या जिला परिषद् के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से कार्यवाही के पूरी होने तक के लिये विवर्जित कर सकती है ।

(३) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २९ का उपखण्ड (१) निरस्त करके उसके स्थान पर निम्नांकित जोड़ा जाय--

"(१) राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को निम्नांकित किसी एकाधिक कारण से अपदस्थ कर सकती है:--

(अ) जो जिला परिषद् की लगातार हुयी तीन बैठकों या तीन महीने की अवधि में बिना परिषद् को यथेष्ट कारण बताये अनुपस्थित रहे, अथवा

(ब) जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन सदस्य बने रहने से अनर्ह हो गया हो, अथवा

(स) जिसने किसी ऐसे विषय में जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें वह अपने वाद ग्राहक (client) निर्देष्टा (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से अभिरुचि (Professionally) रखता हो, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष या किसी समिति के सदस्य के रूप में मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर अथवा उसके विषय में कोई प्रश्न पूछकर कार्य किया हो ।

(द) जो जिला परिषद् की राय में उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में वह अपने कर्त्तव्य-पालन करने में असमर्थ हो गया हो,

(घ) जो जिला परिषद् की राय में उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य-पालन में घोर दुराचारी रहा हो ।

(न) जो बिना राज्य सरकार की आज्ञा लिये ही जान-बूझ कर प्रत्यक्ष अथवा, अप्रत्यक्ष रूप से किसी साझेदार द्वारा परिषद् की कोई सम्पत्ति या उसमें कोई हिस्सा अथवा अधिकार अथवा उससे सम्बन्धित कोई का धारण किये गये हो अथवा जो परिषद् के मातहत किसी लाभ के स्थान अथवा नौकरी में हो ।

(प) जो जिला परिषद् का सदस्य होते हुये किसी मुकदमें में जिसमें जिला परिषद् की कोई सम्पत्ति विवादास्पद हो समिति के विपरीत पक्ष में विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता या कर चुका हो ।

(फ) जो पूर्णतया परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने लगा हो या जिसकी बाहर बदली हो गयी हो ।"

जिन कारणों से मैं चाहता हूं कि यह संशोधन आये, वह बिलकुल स्पष्ट हैं । इसके पढ़ने से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूं । इसमें राज्य सरकार ने एक ताकत मांगी है कि जब राज्य सरकार की राय में किसी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष ने उसकी राय के मुताबिक काम नहीं किया हो तो ब्रीच आफ ड्यूटी के कारण अपदस्थ हो सकता है । मैंने उसका जो माप-दंड रखा है वह यह रखा है कि फलां-फलां चीज वह करें, यह-यह दोष करे तब निकाला जायगा, ऐसी बात नहीं कि जब केवल राज्य सरकार चाहे तब उसे निकाला जाय। पहले भी सरकार आजादी के बाद कुछ कानून लायी और उनके बनाने के पहले वह कहती थी कि यह जनहित में है, यानी जनता को धोखा देने के लिये कहा गया था कि जनता के हित में ऐसा है, लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने खुले, नेकेड, शब्दों में रख दिया कि जब हमारी राय में ऐसा हो तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कान पकड़ कर निकाल देंगे ।

वैसे तो माननीय मंत्री जी मेरा संशोधन मानेंगे ही क्या, वह तो ऐसे ही संशोधन मान सकते हैं जैसे कि श्री रामेश्वर प्रसाद के हों, लेकिन फिर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज खण्ड २४ में ऐसा संशोधन मंजूर किया गया है कि उपाध्यक्ष का इस्तीफा तब मंजूर होगा जब वह त्यागपत्र उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं स्वीकृत हो जाय ।

श्री नवलकिशोर—नहीं, अध्यक्ष द्वारा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जो संशोधन छपा है वही रामेश्वर जी द्वारा पढ़ा गया, उसमें यही है, हमने भी वही सुना । उसकी कोई संशोधन सूची श्रीमन् के यहां आयी हो तो मैं नहीं जानता । तो माननीय मंत्री जी को ऐसा संशोधन मुबारक हो कि उपाध्यक्ष स्वयं अपना इस्तीफा स्वीकार करे । आज तक जितने कानून पास हुए उसमें ऐसी ही भावना निहित रही हैं ।

अब यह जो व्यवस्था की गई है कि सरकार ऐसी राय की हो कि फलां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना कर्त्तव्य नहीं किया है तो उसे निकाल दिया जायगा, तो क्या यह यथेष्ट कारण होंगे ? सरकार की राय के औचित्य के थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि सारा जोर इसी पर है। मौदहे का चुनाव हुआ, सरकार द्वारा कातिल कांग्रेसी प्रत्याशी के प्रचार के लिए छोड़े गए । बिरला जी को बिजली दी गई पूरब के जिलों का गला काट कर, स्कूल के बच्चों पर प्रिवेंशन डिटेंशन ऐक्ट लागू रहे जब कि वह डाकुओं, देशद्रोहियों, विद्रोहियों पर लागू नहीं होता। ये हैं कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्यों के नमूने। जनहित के नाम पर जनसंघ की व अन्य म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज को एक के बाद एक खत्म कर दिया गया । इसी जुलाई-अगस्त में मिर्जापुर में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी थी उसको जनहित में इसलिये अपदस्थ किया गया कि उसने साइकिल का टैक्स दो रुपये से घटाकर एक रुपया कर दिया। यह श्रीमन्, हमारा कसूर था । लेकिन वैसा कसूर नहीं था, जैसा कि फैजाबाद की म्युनिसिपैलिटी के ऊपर आरोप है कि २,९३,३२६·२६ रुपया बिजली का टैक्स नहीं दिया, २,९९,६२४ रुपया जुलाई, १९६० तक कर्जे की किस्त नहीं अदा की और तीस या चालीस हजार रुपये मकान बनवाने के लिये दिये गये उसके उन्होंने मकान नहीं बनवाये, २२,००० रुपया प्रावीडेंट फंड का खा गई इसको उपमंत्री ने भी इसी सदन में मंजूर किया है । वह चूंकि कांग्रेसी म्युनिसिपैलिटी थी इसलिये भंग नहीं की गई । श्रीमन्, बहराइच में पी० एस० पी० की म्युनिसिपैलिटी है उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि वहां पर कोई सेनिटरी इंसपेक्टर या अन्य कर्मचारी था उसके लिये बोर्ड ने प्रस्ताव किया कि उसको निकाल दिया जाय, फिर दूसरे बोर्ड ने यह प्रस्ताव किया कि ऐसा करना अधिकार के बाहर था और फिर तीसरे बोर्ड ने कहा कि नहीं पहला प्रस्ताव ठीक है । वह श्रीमान्, कार्यान्वित भी नहीं हुआ लेकिन बोर्ड पर चार्ज लगा दिया गया कि तुमने यह किया, बोर्ड को क्यों न निकाल दिया जाय ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

श्रीमन्, अलमोड़े की म्युनिसिपैलिटी का जिक्र करूं, पहले वहां पंचायत की म्युनिसिपैलिटी थी उसे इसलिये खत्म कर दिया गया कि वह विरोधियों की थी। भूतपूर्व मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने वहां पर खुलेआम कहा कि फिर विरोधियों को वोट देने का मजा देखो क्या होता है। लेकिन श्रीमन्, झांसी की नगरपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में एक नहीं बीस पैम्फलेट्स निकल चुके हैं। नेता विरोधी दल और दूसरे लोगों ने कहा कि उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया ? वहां पर एकाउंटिंग का मामला गड़बड़ है, लोज पर रिश्तेदारों को जमीनें दी गई हैं, जीप का दुरुपयोग है, खरीदारी में गड़बड़ी है, सी० आई० डी० से उसकी जांच हुई और वह सच पाया गया लेकिन उन पर सिर्फ दो बातों पर चार्जशीट लगी पर आज तक उसको कांग्रेसी होने के नाते अलग नहीं किया गया। इससे साफ स्पष्ट है कि जहां विरोधी लोगों की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको ही यह सरकार हटाना चाहती है, कांग्रेसियों की नहीं, इसीलिये यह धारा लाई गई है।

श्रीमन्, प्रस्तावित परिषदों में कुछ सदस्य कोआपरेटिव से आयेंगे, कुछ भारत सेवक समाज से आयेंगे जो काँग्रेस के प्रचार का साधन हैं और दूसरी जो गांधी प्रचारक निधि जैसी जो संस्थायें हैं जिसका रुपया कांग्रेस के प्रचार में लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—गांधी प्रचारक निधि को इस विषय में लाना उचित नहीं है, उनके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—भारत सेवक समाज के रखे गये हैं। तो श्रीमन्, इसका कम्पोजीशन इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कांग्रेस वालों का बहुमत रहे। अध्यक्ष जो छांटा जायगा वह जनता द्वारा चुने हुये तथा इन अनुमेलित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जायगा। तो श्रीमन्, चुने हुये आदमियों को सरकार अपने हाथ से निकाल रही है यह कहां तक न्याय है ? मैं यहां पर एम० एल० ए० चुनकर आया हूं, अगर मैं यहां पर अपने फर्ज अदा न करूं तो क्या सरकार मुझको निकाल सकती है ? परिषद् अध्यक्ष कोई नामिनेटेड आदमी नहीं होगा जिसे सरकार ने बनाया हो। जब सरकार उसे बना नहीं सकती तो फिर निकाल कैसे सकती है ? गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स काडंक्ट रूल्स तक में यह है कि जो एप्वांइंटिंग एथारिटी होता है वही निकाल सकता है, कोई लोवर एथारिटी नहीं निकाल सकता। तो फिर सरकार को उसे ठोकर मारकर निकालने का क्या अधिकार है ? यह श्रीमन्, जनतंत्र नहीं है, कुछ और भले ही कह लिया जाय। ऐसी निरंकुश ताकत रखना उचित नहीं है। श्रीमन्, मिर्जापुर में सरकार चाहती थी कि विंध्याचल में जिस प्रकार से एक जमाने में जजिया टैक्स लगता था उसी प्रकार से म्युनिसिपल बोर्ड टैक्स लगाये, जब वह टैक्स नहीं लगा तो यह कार्यवाही की गई। श्रीमन्, मुझे पता लगा है कि वह बोर्ड डेफिसिट में नहीं रन कर रहा है। वहां के बोर्ड पर यह झूठा चार्ज लगाया गया कि वहां सड़कें ठीक से नहीं बनी हैं। श्रीमन्, उसका प्रतिवाद 'आज' में छपा था कि जितनी सड़कें इस जमाने में विन्ध्याचल (मिर्जापुर) में बनीं उतनी पहले नहीं बनी। अलबत्ता एक बात जरूर है कि मंत्री जी ने अपने तानाशाही फरमान में यही लिखा। जनसंघ के नेमिशारण्य बोर्ड के बारे में भी ऐसा ही हुआ। मंत्री जी की तो एक ही मंशा रहती है और वह यह कि सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत किया जाय। अगर माननीय मंत्री जी जरा भी इंसाफ करना चाहते हैं तो हमारे संशोधन को मान लें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने डेलीगेटेड लेजिसलेशन में बहुत ज्यादा अधिकार दे दिये है। अपने संशोधन में हमने दिया है कि अगर कोई आदमी इलेक्शन पिटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गया है या और किसी कारण से डिसक्वालीफाई हो गया है, कांसीक्यूटिवली तीन मीटिंग अटेंड नहीं करता है आदि, तो वह आदमी अलग कर दिया जायगा। या कोई सदस्य किसी दूसरे अपने आदमी में इन्टेरेस्टेड है और इस संबंध में वाद-विवाद में भाग लेता है जो कायदे के खिलाफ है तो उसको अल्हैदा कर दिया। अगर वह अपना कर्त्तव्य-पालन करने से विमुख हो गया है और इस बारे में परिषद् की राय मानी जायगी न कि गवर्नमेंट की क्योंकि उसी ने उसको चुना है। अगर गवर्नमेंट ने उनका नामांकन किया होता तो गवर्नमेंट अकेले

उनका निर्णय कर सकती थी । इसके आगे मैंने अपने संशोधन में बताया है कि कोई आदमी यदि परिषद् से ठेका लेता हो, अपने नाम से अथवा किसी और के नाम से तो उसको हटा दिया जाय । लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं सकती, क्योंकि सरकार की तरफ के बैठने वाले बहुत से सदस्य अपने नाम से नहीं तो दूसरों के नाम से ठेका लेते हैं और काम स्वयं कराते हैं । लेकिन मैं एक अदना प्रतिनिधि की हैसियत से उनसे न्याय की बात कहता हूं । अगर माननीय मंत्री जी थोड़ा-सा भी इंसाफ चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं कि दुनिया को ऐसा लगे कि उनके साथ जस्टिस की जा रही है, तो मेरे इस संशोधन को मान लें वरना उनका बहुमत है, वे जो चाहें करें ।

*श्री प्रतापसिंह--मान्यवर, इसके पूर्व कि मैं अपना संशोधन उपस्थित करूं, मैं चाहता हूं कि जहां शब्द "न्यायाधीश" लिखा हुआ है उसके स्थान पर "जिला न्यायाधीश" कर दिया जाय ।

इसके बाद मेरा संशोधन इस प्रकार हो जायगा--

"खण्ड (१) में जहां कहीं भी शब्द 'राज्य सरकार' आया है वहां शब्द 'जिला न्यायाधीश' रख दिया जाय ।"

मान्यवर, इस समय जिस खण्ड पर विवाद हो रहा है उसके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है । उन्हें हटायेगा कौन ? राज्य सरकार । इस खण्ड में राज्य सरकार चार कारणों से हटायेगी । पहला यह है कि अगर वह जानबूझ कर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है । इसकी नाप-तौल कौन करेगा ? सरकार । आज भी यह देखा गया है कि अगर कोई अध्यक्ष उनकी पार्टी का नहीं है तो सरकार उनके ऊपर अनेकों आरोप लगाती है, जवाब तलब करती है लेकिन अगर वही हुक्मरां पार्टी का होता है तो चाहे वह गलत काम ही क्यों न कर रहा हो, उसके बारे में शोर मचने पर भी कहा जायगा कि जांच की जा रही है । दो वर्ष हो गये, झांसी के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध इसी सदन के ४८ मेंबरों ने विचित्र नारायण शर्मा जी को ही प्रार्थना-पत्र दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उसके बारे म क्यों कार्यवाही नहीं हुई ? तो इस तरह से वह अपने कर्त्तव्य का पालन जानबूझ कर कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका निर्णय सरकार कैसे करेगी ? इससे तो यही अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकार अपने ही हक में निर्णय करेगी ।

दूसरा यह है कि अपने कर्त्तव्य का पालन करने से इन्कार करे । मान्यवर, आपका भी तजुर्बा होगा कि कोई भी अध्यक्ष या प्रेसीडेंट जो जिला परिषद् का चुना जायगा, वह अपने कर्त्तव्य का पालन करने से मना नहीं कर सकता है । क्योंकि जिस चीज के लिये वह चुना गया, वह जानता है कि उसके प्रति उसका क्या अधिकार और कर्त्तव्य है । लेकिन अगर कहीं कोई विरोधी दल का अध्यक्ष आ गया हो जो अपना कार्य कर रहा हो, लेकिन उनके हित में काम न कर रहा हो तो वहां क्या होगा, कि इस धारा २९ का वहां इस्तेमाल होगा । इस धारा २९ के अनुसार सरकार अपने विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा हथियार अपने हाथ म ले रही है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपने तजुर्बे की बात बतलावें कि आज तक की क्या हालत रही है । आज तक जितने लोकल बाडीज के प्रेसीडेंट्स थे उनमें से किसी अध्यक्ष को आपने ऐसा पाया जिसने कि अपने कर्त्तव्य का पालन करने से इंकार किया हो ? अगर है तो हमको बतलायें । अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि कर्त्तव्य न पालन करने की या कर्त्तव्य-पालन करने से इन्कार करने की बात बिलकुल ऐसी है जो मेरी समझ में नहीं आती । माननीय मंत्री जी को भी यह पता है कि कोई भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने से इन्कार नहीं कर कर सकता है । कोई भी व्यक्ति जो चुना हुआ हो, जन-प्रतिनिधि हो, कभी भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने से इन्कार नहीं कर सकता है ।

तीसरी बात यह है कि अगर वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो इसका क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया ? इस तरह का अधिकार लेकर जिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सरकार चाहेगी, जवाब-तलबी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

नोटिस भेज देगी । माननीय मंत्री जी बतलायें कि इस तरह के नोटिस भेजने की गुंजायश इस विधेयक में कहां है । वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह का दुरुपयोग है, यह कहीं स्पष्ट नहीं है ।

चौथी बात यह है कि अगर अध्यक्ष अपने कर्त्तव्य में अनाचार का दोषी पाया जाय । अभी तक इस विधेयक में है कि अगर किसी अपराध में दोषी पाया जाय, तो उसमें सभी अपराध आ जाते हैं, लेकिन यहां जो अनाचार शब्द रखा गया है उसकी परिभाषा कौन करेगा ? मैं समझता हूं कि यह जो धारा है इसमें जिला न्यायाधीश का रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि वही निर्णय करेगा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्य का पालन करता है या नहीं करता है । मैं तो इसी प्रदेश के ऐसे टाउन एरियाज के उदाहरण देना चाहता हूं जिनके प्रेसीडेंट कांग्रेस के नहीं हैं और उस टाउन एरिया के पास अपनी जमीन नहीं है और तीन साल से वह दरख्वास्त देती रही है कि विकास कार्य के लिये हमें यह जमीन दी जाय तो सरकार कहती है कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । तो यह सारी चीजें हैं । अगर कल को ही सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के प्रति इस तरह की शिकायत उस टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी से की जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि कल को ही उसके पास नोटिस पहुंच जायेगा कि आप अपने कर्त्तव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं । अगर इस तरह की कोई नोटिस जाय तो उसकी अपील के लिये भी कहीं गुंजायश नहीं है । अगर कहीं अपील की गुंजायश इस विधेयक के अन्दर है तो माननीय मंत्री जी हमको बतलावें ।

मैं आपको बतलाऊं कि मैसूर में सरकार ने उपाध्यक्ष, तथा अध्यक्ष व मेम्बर को भी सरकार के फैसल के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे रखा है । लेकिन आपने यहां विधेयक के अन्दर यह प्राविजन रखा है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिसके खिलाफ भी सरकार चाहे नोटिस भेज सकेगी कि अपने-अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है इसलिये आपको अपने पद से हटा दिया जायगा । मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति गलत है । मैसूर में जहां जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सबसे पहले शुरू हुआ वहां यह प्राविजन रखा गया है कि जो भी फैसला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेम्बर के पक्ष का नहीं हो उसकी अपील की गुंजायश वहां है । वहां तो अपील की व्यवस्था है लेकिन यहां पर सरकार सारा अधिकार अपने हाथ में ही लेना चाहती है । जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेम्बर चुनाव लड़ कर आवे और सरकार उससे नाराज हो जाय तो कह सकती है कि तुमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है इसलिये तुमको यह नोटिस दी जा रही है । इस तरह से विकेन्द्रीकरण की जो पवित्र मंशा है उसके खिलाफ यह बात जाती है । कौन जानता है कि कल के चुनाव में सब जगह विरोधी दल के अध्यक्ष ही आ जायं । सारे विरोधी पक्ष के उपाध्यक्ष आ जायं, और लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेन्ट हो और सारे जिला परिषदों में प्रेसीडेन्ट और वाइस-प्रेसीडेंट विरोधी हों, उस समय क्या होगा ? सरकार के सलाहकार बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं, वह चाहते हैं कि उन्हीं का राज्य कायम रहे इसलिये इस धारा २९ को रखा गया है । किसी से कहा जायगा कि तुमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, किसी से कहा जायगा कि तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, और किसी से कहा जायगा कि तुमने इस तरह की गलती की । तो यह सारा अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है कि अगर कल को कांग्रेस के लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन कर न आयें तो वह इस धारा का उपयोग कर सकेगी और जिला परिषदों को भंग करके दुबारा चुनाव करा सकेगी । इस तरह से जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को हम सफल नहीं बना सकते । उसका ठेका कांग्रेस का ही नहीं है, बल्कि हमारा, आपका और सबका है । इसलिये अगर जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनाना है तो अवसर देना चाहिये, न्याय मांगने का हक होना चाहिये, इसलिये हम जिला न्यायाधीश को अधिकार देना चाहते हैं ताकि मंत्री जी को यह परेशानी न हो कि विरोधियों के लिये यह अन्याय कर दिया । हम चाहते हैं कि मंत्री जी इसको माने और यह बतावें कि जिनके खिलाफ आप नोटिस सर्व करेंगे, उनके लिये अपील का प्रावीजन क्यों नहीं रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--पहले संशोधन पेश हो जायंगें तब माननीय सदस्यों को मौका दिया जायगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--मननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) की पंक्ति ७ में शब्द "भेजे जाने" के स्थान पर "प्राप्त होने" रख दिये जायं और पंक्ति ८ में शब्द "तीस" के स्थान पर "पैंतालीस" रख दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन उसी संशोधन के अनुरूप है जो कि धारा १६ में मैंने दिया था और जिस पर कि काफी विवाद हो चुका है । इस संशोधन के जरिये से मैंने यह मंशा जाहिर करनी चाही है कि जो पत्र सरकार से परिषद् को भेजा जाय उसके वहां प्राप्त होने के दिन से उसकी मियाद जोड़ी जाय । दूसरा यह है कि जहां तीस दिन आपने रखा है उसके स्थान पर पैंतालीस कर दें ताकि परिषद् को जांच-पड़ताल आदि करने का मौका मिल सके और सरकार को सही जवाब मिल सके । इस सम्बन्ध में काफी विवाद हो चुका है, इसलिये मैं ज्यादा वक्त न लेकर अपना संशोधन पेश करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

***श्री शिवराजबहादुर**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) को पृथक् कर दिया जाय । मुझे तो इसको देखकर बड़ी हैरत होती है । मैं समझता हूं कि जिस वक्त तक यह बिल और दफा कायम है, मंत्री जी को भी याद रखा जायगा । श्रीमन्, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है । यह कहा गया कि खिलवाड़ न हो और आये दिन अविश्वास का प्रस्ताव न आता रहे, इसी वजह से एक संशोधन जो हाल में मंजूर हुआ है उसमें यह है कि जब भी अविश्वास का प्रस्ताव लायें तो कम से कम आधे आदमी जब हों, उनकी इच्छा से मूव किया जायगा । एक साल तक तो आ ही नहीं सकता । एक साल बाद आ जाय और फेल हो जाय तो फिर एक साल बाद आयेगा । एक तरफ तो चुने हुये लोगों के जरिये से एक साल तक नहीं हटाया जा सकता, दो साल तक नहीं हटाया जा सकता, एक तरफ तो हम रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह है कि सरकार की राय में अगर यह बात आ जाय कि उसने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है, या पालन करने में कोई ताखीर की है, दुराचार किया है तो सरकार उसको हटा सकती है । सिर्फ ओपीनियन शब्द का इस्तेमाल किया है । राय डिफर करती है । हो सकता है कि सरकार की राय अपनी जगह पर बिलकुल गलत हो और दूसरे कि राय सही हो । लेकिन सरकार की राय ही सही मानी जायेगी । कहीं सुपरशेसन है, कहीं रिमूवल मेम्बर्स का है, अध्यक्ष को निकालो, उपाध्यक्ष को निकालो । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस ताकत को अपने हाथ में रखना चाहती है । जिन लोगों ने उसे उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनाया है उनको तो अलग रख रहे हैं, जुडिशियरी को भी अधिकार नहीं दे रहे हैं कि न्याय ले सके, सरकार ही उसको निकालेगी और उसकी कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होगी । नतीजा यह होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा यही कोशिश करेगा कि सरकार की राय अच्छी बनी रहे, चाहे वह अपना कार्य करे या न करे, हर वक्त मिनिस्टर साहब की खुशामद में लगे रहेंगे, अच्छे अच्छे रेड्रेसेज दिये जायेंगे और हमेशा सरकार के मुहताज रहेंगे आटोनामी बिलकुल इसमें खत्म हो जायेगी । समझ में नहीं आता किस वजह से सरकार अपने हाथ में अख्तियार लेना चाहती है । मैं यह नहीं कहता कि जहां सरकारी पार्टी के अलावा अपोजीशन के लोग हों, वहीं ऐसा होगा । इनकी राय के खिलाफ जो आदमी होगा उसको सरकार मजबूर कर कर सकती है । अगर वह इस्तीफा नहीं देगा तो उसे हटा देगी । आज सरकार कांग्रेस की है, कल को दूसरी पार्टी की हो सकती है क्योंकि सरकारें तो बदलती रही हैं, लेकिन यह चीज देखी जायगी । रोज तमाशा नहीं है कि आये दिन हम अमेंडमेंट लाते रहें । १०, १२ साल के बाद एक बिल पेश हुआ है, ऐक्ट बनेगा फिर उसका निफाज होगा और फिर चुनाव होगा । इन तमाम मश्किलात का मुकाबला करने के बाद जिला परिषद् का चुनाव होगा, जिला परिषद् के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जायेंगे, उसके बाद उनकी किस्मत और जिला परिषद् की बदकिस्मती यह होगी कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराजबहादुर]

जिस दिन सरकार की राय में आया कि यह काम गलत कर रहा है तो उसको निकाल बाहर किया जायगा। इसलिये डेमोक्रेसी की तरक्की के लिये यह निहायत जरूरी है, लाजिमी है कि सरकार सोच-समझ कर इसको डिलीट कर दे और अपने हाथ में अख्तियार हरगिज-हरगिज न रखे ।

श्री रामेश्वरप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं ।

खण्ड २९ के उपखण्ड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "इस प्रकार उसे" के उपरान्त आगे के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"कार्यवाही के पूर्ण होने तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने या जिला परिषद् के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है ।"

मैं समझता हूं यह बिलकुल ठीक है और से मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय प्रताप सिंह जी ने इस दफा २९ में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैं समझा हूं धारा २९ का मतलब यही है कि जब राज्य सरकार की राय में यह जाहिर हो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उनको हटा सकती है । मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह बड़ा वेग है और इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि माननीय विचित्र नारायण शर्मा ऐसा देवता आदमी इस स्थान पर बैठा रहेगा । सम्भव है कोई दूसरा मिनिस्टर इस स्थान पर बैठ जाय । इसका मतलब तो यह है कि जब जिसकी राय में आये और वह राय भी माननीय विचित्रनारायण शर्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि वे स्वयं तो वहां जाकर देखेंगे नहीं, जब वहां के कलेक्टर की उस अध्यक्ष से लड़ाई हो जाय तो उसी की रिपोर्ट माननीय शर्मा जी को देखनी पड़ेगी, यहां से उनको कोई जानकारी नहीं होगी । मतलब यह होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बजाय सरकार के कलेक्टर के अधिकार में हो जायेंगे, महज उसी की रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही करेगी। अगर किसी कलेक्टर से अध्यक्ष की लड़ाई हो गई है तो उसका रहना हराम हो जायगा और फिर तीन वर्ष तक चुनाव में खड़े होने का अधिकार उसको नहीं रह जायगा । बोर्ड की तो सरकार यों ही राय ले लेगी और ३० दिन के अन्दर उसे राय देनी पड़ेगी, चाहे रास्ते में ही नोटिस गायब हो जाय, उस तक पहुंचे भी नहीं । तो मैं मंत्री जी से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को जरूर मान लें ।

दूसरे, ऐसा अधिकार लेने से जनतंत्र में हमेशा शंका पैदा होती है कि सरकार यह अधिकार अपने हाथ में क्यों ले रही है । आप सौ आदमियों की वहां एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने जा रहे हैं, ७० से कम तो कहीं नहीं होंगे । तो अगर वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसके लिये वे काफी हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उस अध्यक्ष को निकाल दें । लेकिन सरकार ने उन पर भरोसा न करके सिर्फ अपने कलेक्टर पर भरोसा किया है कि वह जब चाहे उनकी चुरकी दबाये ताकि अध्यक्ष सरकार की राय के बाहर न जाय और अगर कभी वह ईमानदाराना तरीके से काम करना चाहे तो यह सरकार उनके लिये दूभर कर देगी और नहीं करने देगी ।

इसलिये मैं मंत्री जी से, जो ऐसे स्थान पर हैं और जो इस बात को समझ सकते हैं कि कितना अन्यायपूर्ण अधिकार सरकार लेने जा रही है, निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य मान लें और सरकार को कठिनाइयों से बचायें ।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मैं अपना संशोधन जो १३६ पर है, श करना चाहता हूं । थोड़ी गलती जरूर हुई है कि जिस समय आपने मेरा नाम पुकारा मैं उस समय खड़ा नहीं हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं । आप इस पर बोल लीजिये ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इसकी ऐसी सूरत है कि दूसरे संशोधन इसको कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इसको रखे देता हूं और आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप भाषण दे लीजिये। मेरी भी कुछ कठिनाइयां हैं। जिस समय मैंने आपको पुकारा, आप खड़े नहीं हुये तो वह खत्म हो गया। ऐसी सूरत में आप राय दे लीजिये।

श्री गेंदा सिंह—अगर श्रीमन्, मंत्री जी राजी न हुये ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बात कर लीजिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दफा २९ में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें एक को छोड़कर जो रामेश्वर प्रसाद जी ने पेश किया है, बाकी सबका मैं विरोध करता हूं। श्री गोविन्दसिंह विष्ट के संशोधन के सम्बन्ध में यह है कि उन्होंने ७/८ आइटम्स दे दिये हैं कि अगर ऐसी बातें हों तो अध्यक्ष को हटाया जाय। उन्होंने सिद्धान्त को तो माना है, उससे उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आइटम्स में दिये हैं। मैं नहीं मानता हूं कि यही कारण एक्जास्टिव हैं और इनके अलावा ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है कि उसको हटाया न जाय। लिहाजा डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, मुझे प्रतापसिंह जी के संशोधन से बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनका संशोधन कोई माने नहीं रखता है। इनका संशोधन यह है कि जहां "राज्य सरकार" लिखा है वहां "न्यायाधीश" कर दिया जाय। तब धारा २९ में जहां यह लिखा है कि यदि "राज्य सरकार की राय में" के स्थान पर हो जायगा कि "न्यायाधीश की राय में" किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो कहां ऐसा कानून है कि न्यायाधीश उसके संबंध में कागनीजेंस ले सकता है ? जब क्षेत्र समिति के ऊपर विवाद चल रहा था तो गेंदासिंह जी ने न्यायाधीश के सम्बन्ध में संशोधन पेश किया था और इसके संबंध में वसूल तय भी हो गया था। लेकिन उनके एक साथी ने यहां भी वही रक्खा और कहा कि उनके अधिकार में था ऐसा रखना, लेकिन "न्यायाधीश" शब्द यहां पर फिट नहीं होता है, अगर इस संशोधन को मान लिया भी जाय तब भी किसी जिला जज को अधिकार नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किसी मेम्बर के मिस-कंडक्ट के मामले के सम्बन्ध में कोई कागनीजेंस ले। यह अधिकार तो हमेशा गवर्नमेंट का रहा है।

मेरे एक साथी ने कहा कि गवर्नमेंट ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर "कांग्रेस राज्य सरकार" लिखा होता तब तो मैं मान लेता कि इतनी बड़ी पार्टी की सरकार सारी ताकत लेना चाहती है। जब हम जनतंत्र को मानते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि पार्टियों की सरकारें बनेंगी। केवल उसमें प्रश्न यह है कि जो भी सरकार होगी उसको यह ताकत होगी, चाहे वह पी०एस०पी० हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी की हो, चाहे जनसंघ की हो। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को बुनियादी ताकत अपने हाथ में लेना पड़ेगी और यह भी मानी हुई बात है कि जो विरोधी पक्ष के भाई हैं उनके मन में सरकार की हर चीज में संदेह होना भी स्वाभिमान ही है। लेकिन सरकार रहेगी बावजूद हमारे शक और सुबहा के। मैं समझता हूं कि यह एक साधारण क्लाज है और जो भी गवर्नमेंट होती है उसको नियंत्रण की इतनी शक्ति होती है जिससे लोग अपनी शक्ति का मिसयूज न कर पायें।

हमारे साथी शिवराज बहादुर जी ने संशोधन पेश किया कि इसकी उपधारा (१) को बिलकुल निकाल दिया जाय। उन्हीं के दल में हमारे एक साथी सहमत हैं कि मिसकांडक्ट पर आदमी हटाया जा सकता है जैसा उन्होंने कहा है कि इस उपधारा को निकाल दिया जाय तब फिर आप जो अध्यक्ष बना देंगे वह स्वतंत्र होगा। जो चाहे करे, सुबह या शाम को, बुरा या भला उसको कोई छूने वाला नहीं है, तो मेरे दोस्त बड़े मशहूर वकील हैं, मैं समझता हूं कि वे इस बात को महसूस करेंगे कि इसके बिलकुल हटा देने से कोई माने इसके नहीं रह जायेंगे।

जहां तक माननीय गोविन्दसिंह जी के संशोधन की बात है, मैं कह चुका हूं। वे मिस-कांडक्ट को हटाने के तो पक्षपाती हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार को कुछ कम अधिकार रहे और

[श्री नवलकिशोर]

उसके लिये आठ उन्होंने प्रतिबन्ध रूप शर्तें अपने संशोधन में रखी हैं । वे बहुत योग्य आदमी हैं लेकिन चाहे कितना भी योग्य आदमी क्यों न हों कोई ऐसी एक्जास्टिव लिस्ट नहीं बना सकता जिसमें सब ओमीशन्स और कमीशन्स का जिक्र आ जाय जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को अध्यक्ष को हटाना पड़े । हमारे अध्यक्ष चुनकर आयेंगे तो उनको हटाने में किसी को खुशी नहीं होगी । हमारे कुछ मित्रों ने मिसालें भी दी हैं, मैं उनके अन्दर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह मंत्री जी का क्षेत्र है, उसका उत्तर वे देंगे लेकिन ऐसी शिकायतें आती हैं जिनमें अध्यक्षों और उपाध्यक्षों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया गया है और वे अपने कर्त्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, ऐसे मौके पर दुख के साथ कार्यवाही करना राज्य सरकार का फर्ज हो जाता है । उनका जवाब तलब करना सरकार का फर्ज है और अगर वह जवाब संतोषजनक न हो तो कार्यवाही की जाय । यह उचित बात है और इसको इसमें रहना चाहिये ।

प्रतापसिंह जी चले गये, लेकिन मैं उनके बड़े भाई गेंदासिंह जी से कहूंगा कि उनको प्रेरित करें कि ऐसे संशोधन न आवें जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्थान पर न्यायाधीश रखा जावे । मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह के प्रस्ताव न लावें और श्रीमन् से प्रार्थना करूंगा कि इसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करें कि जो महत्वपूर्ण धारायें हैं उनके लिये और अधिक समय देने का प्रयत्न करें ।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मंत्री जी इसके लिये सहमत हो गये हैं कि यह प्रस्ताव कर दूं । अब आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "उपाध्यक्ष" के आगे के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

"के मामले को निर्णय के लिये अपनी सिफारिश के साथ निर्णयक पंच को भेज देगी । जो यह निर्णयक पंच तीन जजों द्वारा बनेगा ।"

श्रीमन्, अगर खण्ड २९ को पूरा पढ़ लिया जाय तो बात स्पष्ट हो जायगी ।

"खण्ड २९ (१) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष, जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों को जानबूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अपने कर्त्तव्य के पालन में अनाचार का दोषी पाया गया है तो राज्य सरकार यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में जिला परिषद् का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है।"

इस में से जहां यह आया है कि "राज्य सरकार यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" इस जगह से आगे वाला हिस्सा निकाल दिया जाय । मैं यह चाहता हूं कि उसके स्थान पर यह रख दिया जाय —"राज्य सरकार यथासम्भव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले को निर्णय के लिये अपनी सिफारिश के साथ निर्णायक पंच को भेज देगी । यह निर्णायक पंच तीन जजों द्वारा बनेगा ।"

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जितने अब तक संशोधन पेश किये गये हैं या जो कठिनाई माननीय नवलकिशोर जी को थी, जो उन्होंने अभी बताई, माननीय प्रतापसिंह जी के संशोधन के सिलसिले में वह सारी कठिनाई दूर हो जाती है, इस संशोधन की वजह से--यह काम सरकार के सुपुर्द कर दिया गया है कि उसको देखने वाली सरकार होगी, वह देखेगी कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया या नहीं किया, दुरुपयोग किया या क्या किया । यह काम तो सरकार करेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन जब सरकार के नोटिस में यह बात आ गई तो सरकार उसके मामले को स्वतः नहीं देखेगी बल्कि सरकार इस काम के लिये निर्णायक पंच मुकर्रर करेगी, जिसको आर्बिट्रेशन कहा जाय या जो कुछ भी कहा जाय, इस प्रकार का निर्णायक पंच जो सारे सूबे के लिये बनेगा वह जजों में से बनेगा । इसमें मैंने सरकार के हाथ खुले छोड़ दिये हैं कि चाहे वह जिला जज रखे या उच्च न्यायालय का जज रखे । तीन जजों के निर्णायक पंच के सामने सरकार इस मामले को रख देगी और वह निर्णायक पंच जैसा उचित समझेगा वैसा फैसला करेगा । उस पर सरकार कार्यवाही करेगी । उसको एग्जीक्यूट करने का काम सरकार के हाथ में रहेगा । एक बात यह कही जा सकती है कि इस विधेयक में इस बात की भी गुंजायश की गई है कि उससे स्पष्टीकरण भी मांगा जाय, जिला परिषद् की भी राय मांगी जाय । तो सारी कार्यवाही निर्णायक पंच भी कर सकता है । हम ऐसा समझते हैं कि जिला परिषद् के अध्यक्षों को जिस प्रकार से सरकार ने अविश्वास के पंजे से छुड़ाया है, और जनता के अधिकारों को कम किया है, इसलिये कि वह स्वतंत्रतापूर्वक इस काम को पूरा कर सकें जो उनके जिम्मे सुपुर्द किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि उसी दलील को इस समय सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि उसको निर्भय कर दिया जाय शासन की पूरी जिम्मेदारी को संभालने के लिये ।

श्रीमन्, यह कहा नहीं जा सकता कि जनता तो गुटबन्दी कर सकती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए और एक वर्ष के अन्दर अगर हम उसके लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाने का विधान कर देंगे तो उसके काम में बाधा पड़ेगी । तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उसकी रक्षा उस तरफ से की जा रही है नीचे के लोगों से, उसी प्रकार उसकी रक्षा ऊपर के लोगों से भी करवायी जाय । ऊपर के लोगों से उसकी रक्षा की जानी चाहिए । इसकी बड़ी सख्त जरूरत है । सारे देश भर में जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को देखने से—मैं माननीय मंत्री जी का जिक्र नहीं करना चाहता—लेकिन श्रीमन् मैं यह जरूरत करना चाहता हूं कि शासनाधिकारियों की प्रवृत्ति अब जैसी है, मैं कहता हूं कि कैसे बनती है, किस तरह वह लोगों को मजबूर करती है वैसा करने के लिए, वह कोई मुझे ही नहीं मालूम है, सबको मालूम है । तो इसलिए उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो कि एक डिसेंट्रालाइजेशन की भावना हमारी है, उसको कार्य रूप देते हुए, विकेन्द्रित शासन पद्धति चलाने के लिए मैं समझता हूं कि ऊपर से उन चुने हुए लोगों की रक्षा जरूर होनी चाहिए और यह चीज तभी हो सकती है जब ऊपर से शासनाधिकारियों को उनके ऊपर तलवार चलाने का अधिकार न रहे ।

श्रीमन्, इस बात पर आप विचार करें कि कलेक्टरों और अध्यक्षों के बीच में कितने क्लेश होंगे, कितने संघर्ष होंगे ? आपस में वह एक दूसरे से टकरायेंगे और श्रीमन्, सरकार को सूचना देने वाले सरकार की तरफ से जांच करने वाले कलेक्टर और कमिश्नरों के अलावा दूसरे कोई नहीं हैं और कोई दूसरी मशीनरी नहीं है । तो वह जो पक्षपात की बात है पक्षपात से ऊपर ये कलेक्टर और कमिश्नर किसी भी हालत में नहीं हो सकते और मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर भी पांच वर्ष में चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ता है तो उसको जजी का अधिकार नहीं दिया जा सकता । मिनिस्टर अपने चुनावों में जीतने के लिए जैसा कि असेम्बली का मेम्बर या पार्लियामेंट का मेम्बर जानता है वह सारी कोशिश वह भी करता है, इस हाउस में कितनी बार उसकी चर्चा हो चुकी है कि किसी मिनिस्टर के इलाके में ही जब जरूरत से ज्यादा गर्मी आयी चुनाव में तो उस वक्त उस मिनिस्टर को कहां से कहां जाना पड़ा क्या-क्या करने के लिए ? तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन जिला परिषदों के अध्यक्षों के हाथ में अगर ताकत रहे, वह अगर इनसे इंडिपेंडेंट रहें तो हमारे देश में प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा हो सकेगी । इन बातों को कहते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर तलवार लटकाने का अधिकार इन शासनाधिकारियों को नहीं होनी चाहिए । अगर उनको निकालना ही ह तो राज्य सरकार शिकायत करने वाली हो सकती है और राज्य सरकार इस पंच निर्णायक के सामने जाकर अपनी शिकायत रख सकती है । वहां से उसका फैसला कराने का रास्ता उसके सामने खुला हुआ है, लेकिन राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए ।

श्री अमरनाथ—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड २९ के अन्तर्गत जो माननीय प्रतापसिंह जी ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा है इसकी बहुत ही अहमियत है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को निम्न कारणों पर हटा सकती है।

वह कारण ये हैं कि यदि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों का जान-बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अपने कर्त्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया गया है। इन चार आधारों पर राज्य सरकार उसको हटा सकती है और इसकी सीमा जो है वह राज्य सरकार निश्चित करेगी कि किस सीमा तक अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, जब कि राज्य सरकार की राय में वह हटाया जाने योग्य है। हम तो यह समझते हैं कि राज्य सरकार यहां से बैठे-बैठे कोई काम नहीं करेगी। बल्कि जिलाधिकारियों की राय से यह बात करेगी। अगर उनके देखने में आता है कि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस प्रकार का है कि शासक पार्टी का नहीं है या वहां पर उसका (शासक पार्टी का) बहुमत नहीं है, बल्कि विरोधी दल का है, यानी कांग्रेस का बहुमत नहीं है, तो वहां वह इसका प्रयोग करेगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कौन अध्यक्ष है जो राज्य सरकार के इशारे पर कोई काम न करता हो। भले ही राज्य सरकार कोई गलत आदेश देती हो तो कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसा हो सकता है कि जो उसके आर्डर को न माने। तो राज्य सरकार अपने फायदे के लिये, अपनी पार्टी के हित में, हमें सन्देह है कि इस प्रकार का आदेश देगी और वह उसके अनुसार काम करेंगे। जो विरोधी लोगों के बोर्ड होंगे उनके अध्यक्षों के हटाने के लिये यह अधिकार उपयोग में लाया जायगा। अब तक कई स्थानों पर इस तरह की बात की गयी है। जहां शासक पार्टी के लोगों के बोर्ड हैं, अध्यक्ष हैं, वहां वे हटाये नहीं गये भले ही उन्होंने अनेकों बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हो। इसलिये हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के अधिकार सरकार को दिये जायं। हम चाहते हैं कि यदि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उस मामले को किसी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाय।

नवलकिशोर जी कह रहे थे कि जिला न्यायाधीश को ऐसे अधिकार हासिल नहीं हैं, मगर हम इसके जरिये उनको यह अधिकार देना चाहते हैं ताकि वे इसे देखें। दूसरी बात यह भी है कि राज्य सरकार उस कार्यवाही के दौरान में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को निलंबित कर सकती है और उस जिला परिषद् की कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है। इतने अधिक अधिकार राज्य सरकार ले रही है, लेकिन उसकी अपील तक की व्यवस्था नहीं है। एक अधिकारी के खिलाफ इतना बड़ा ऐक्शन हो, उसे हटाने की बात हो, लेकिन उसके लिये अपील का रास्ता न हो, यह उचित नहीं है और इसलिये मैं प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और जहां तक राज्य सरकार को अधिकार देने की बात है उसका विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंण्ड २९ के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि अगर राज्य सरकार की राय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों और कृत्यों का जानबूझ कर पालन न करते हों, पालन करने से इन्कार करते हों, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हों या अधिकारों के उपयोग में अनाचार के दोषी पाये जायं, तब राज्य सरकार उनसे स्पष्टीकरण मांग कर जिला परिषद् की राय पूछ कर उस पर विचार करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकती है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिला परिषद्, क्षेत्र समितियां और दूसरी स्थानीय संस्थायें अपनी जगह पर ठीक काम करें। इसकी जिम्मेदारी किसी न्यायाधीश पर नहीं हो सकती और न न्यायाधीश इस तरह से उनका काम देख सकते हैं। उनके लिये बड़ी कठिनाई होगी और प्रतापसिंह जी जैसी व्यवस्था चाहते हैं वह कभी संभव हो नहीं सकती। अगर वहां कोई गड़बड़ी होगी तो माननीय सदस्य भी उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डालेंगे और बार-बार यह कहा जायगा कि सरकार उसमें ठीक से कार्यवाही नहीं कर रही है। यह अक्सर कहा भी जाता है।

इसी सम्बन्ध में एक संशोधन गोविन्दसिंह विष्ट जी ने पेश किया है और उसमें उन्होंने कारण गिनाये हैं। श्रीमान जी, जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, उसमें बहुत-सी चीजें छूट गयी हैं और उन्होंने कारण कैसे गिनाये हैं, इसको भी देख लिया जाय। पहले में वे कहते हैं कि राज्य सरकार ऐसे को अपदस्थ कर सकती है जो जिला परिषद् की लगातार हुयी तीन बैठकों या तीन महीने की अवधि में बिना परिषद् को यथेष्ट कारण बताये अनुपस्थित रहे। यह अध्यक्ष के बारे में है। श्रीमन् यह सम्भावना बहुत कम पैदा होगी कि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित न हो, यह नहीं हो सकता कि वहीं बैठक को बुलाये और वही उसमें उपस्थित न रहे। यह तो गलत बात है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिये।

दूसरी बात यह कही गयी है कि जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन सदस्य बने रहने से अनर्ह हो गया हो। श्रीमन् इसकी व्यवस्था तो खण्ड १९ में कर दी गयी है। जब हमने खण्ड १९ में इसकी व्यवस्था कर ही दी है तब इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

तीसरी बात कही गयी है कि जो जिला परिषद् की राय में उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में वह अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गया हो। श्रीमन्, इसके लिये भी जिला परिषद् को अधिकार दिया गया है कि वह उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है। अभी-अभी इसकी व्यवस्था की गयी है कि अविश्वास का प्रस्ताव आधे सदस्यों के हस्ताक्षर से आयेगा और दो तिहाई के बहुमत से पास होगा। फिर इस तरह के संशोधन को रखने की क्या जरूरत है। अगर वह अपने कर्तव्य का पालन न कर रहा हो तो उसके विरुद्ध आप अविश्वास का प्रस्ताव ला ही सकते हैं।

श्रीमन्, एक बात और कही गयी है कि जो पूर्णतया समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने लगा हो या जिसकी बाहर बदली हो गयी हो। मेरी तो समझ में, श्रीमन्, नहीं आता कि इसका क्या मतलब है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो क्षेत्र से बाहर रहने लगा हो, तो क्या उसकी बदली हो जायेगी? यह सब तो ऐसी चीजें गिनाई जा रही हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। कुछ तो इनमें ऐसी चीजें हैं जिनकी व्यवस्था हो चुकी है। इसलिये खण्ड २९ के उपखण्ड (१) को किसी भी प्रकार से बदलना उचित न होगा।

एक संशोधन और श्री शिवराज बहादुर जी का है जिसमें वह यह चाहते हैं कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) को निकाल दिया जाय। उसमें श्रीमन्, यह है कि जब ऐसी बात हो तो वह जिला परिषद् से परामर्श लेने के बाद हटायेगी। इसी धारा के दूसरे भाग में यह है कि अगर उसके विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही की जा रही हो तो राज्य सरकार उसे निलम्बित कर सकती है तब तक के लिये जब तक कि उसकी कार्यवाही पूरी न हो जाय। तो माननीय सदस्य दूसरे उपखण्ड को तो रखना चाहते हैं, किन्तु पहले को निकालना चाहते हैं। अगर उपखण्ड (२) रहता है तब उपखंड (१) को हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिये यह संशोधन भी उचित नहीं है।

जो माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन है उसके अनुसार वह उपखंड (२) को तो रखना चाहते हैं किन्तु उपखंड (१) में वे यह चाहते हैं कि सरकार जो निर्णय करे उसे सलाह के लिये पंच को भेज दें। माननीय सदस्य के सामने पूरा नकशा है, पूरे नकशे को देख कर अपने सुझाव देना चाहिये। इन संशोधनों को तो देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन अच्छी तरह से सोच विचार कर नहीं देते। अगर इस तरह का संशोधन मान लिया जाता है तो श्रीमन्, अर्थ का अनर्थ हो जायगा। अगर उपखण्ड (१) में यह बात मान ली जाय और उपखण्ड (२) और (३) ऐसे ही रहने दिये जायं, तो इससे तो बात और उलटी हो जायेगी और कुछ मतलब भी न निकलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अगर देखती है कि ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो बदनामी सरकार को होगी और सरकार को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, इसके लिए उन्हें काम करना है।

[श्री जयराम वर्मा]

इसके अलावा सदस्यों को यह शक है कि जब सरकार के हाथ में अधिकार रहेगा तो जिनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी वह अदालत में नहीं जा सकेंगे। श्रीमन्, अगर मैलाफाइडीज़ के कारण पाये जाते हैं तो वह हाईकोर्ट में जा सकते हैं और अक्सर लोग जाया करते हैं। तो यह कहना कि अदालत में नहीं जा सकेंगे, ठीक नहीं है। उसके लिए गुंजायश हाईकोर्ट में जाने की है मैलाफाइडीज़ के कारणों पर।

यह भी दोष लगाया गया कि सरकार जब अपने पक्ष की कोई जिला परिषद् होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी, दूसरी पार्टी की होगी तो कार्यवाही करेगी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि फैजाबाद की नगरपालिका कांग्रेस की नगरपालिका है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह काम को चला सके। कार्यवाही करने के बाद उधर के ही विरोधी दल के सदस्य हमारे पास पहुंचे कि उसके खिलाफ कार्यवाही न की जाय। उसी फैजाबाद में कई कांग्रेस पार्टी के विधान सभा के सदस्य हैं, कोई नहीं आया, लेकिन उधर के आये कि कोई कार्यवाही न की जाय। तो लोग उधर से आते हैं और दोष इधर लग जाता है। झांसी का उल्लेख किया गया। झांसी की नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही हो रही थी और एक श्री लखपतराम शर्मा उसके सदस्य हैं,

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उनके कहने पर कार्यवाही हुई, सी० आई० डी० से जांच करायी गयी। इसी बीच में नगरपालिका के अध्यक्ष ने श्री लखपतराम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और वह मामला अदालत के सामने विचाराधीन है। सरकार उसमें कार्यवाही कैसे कर सकती है? अदालत का जो फैसला होगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। इसमें तो सरकार की मजबूरी है। उसके बारे में सरकार के ऊपर दोष लगाना अन्याय करना है।

एक सदस्य--मिर्जापुर की बात कहिये?

श्री जयराम वर्मा--सब के बारे में इसी तरह की बातें हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि जितने संशोधन रखे गये हैं उनको मानने से विधेयक इम्प्रूव नहीं होगा, बल्कि खराब हो जायगा, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि जितने संशोधन हैं उनमें से एक भी मान लेने से खराबी पैदा हो जायगी, अतः मैं यह निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि वह अपनी पूरी की पूरी धारा ही हटा लें मय संशोधनों के, तो अच्छा हो जायगा, क्योंकि यह धारा क्या है--दोधारी तलवार है। इस धारा को दोधारा कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह इसलिए कि इसमें वह शक्ति दी जा रही है सरकार के हाथ में जिसके द्वारा परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वह बिल्कुल कठपुतली बना सकती है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार उसका प्रयोग कैसे करेगी और कौन-सी सरकार करेगी? अगर हमारे माननीय विचित्र नारायणशर्मा के जैसे गांधीजी के योग्य शिष्य कोई मंत्री हुए तो मैं मानता हूं कि वह इसका प्रयोग सही जगह पर करेंगे, लेकिन अगर उनकी जगह पर दूसरा कोई मंत्री हो गया जिसने चाहा कि इसका प्रयोग हम नाजायज़ ढंग से करें तो कोई तरीका ऐसा नहीं है जो उसको रोक सके कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब अगर यह धारा देखी जाय तो इसमें शुरू से आखिर तक बिल्कुल अधिकार सरकार के मुट्ठी में दे दिया गया है। कहा गया है "राज्य सरकार की राय में"। अब राज्य सरकार की परिभाषा कौन करे। बड़ी मुश्किल तो यह है कि हम सरकार किसको कहें? मंत्री जी को सरकार कहें, उपमंत्री जी को सरकार कहें या विभाग के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मंडल आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, किसको सरकार कहें, यह परिभाषा कहां जाकर रुकेगी

इसका कोई हिसाब नहीं। तजुर्बे में जो आया है वह इस बात को सिद्ध करता है कि रेवेन्यू साइड में तो पटवारी और पुलिस में चौकीदार ही सरकार है। मैं ऐसा कहने के लिये क्षमा चाहता हूं, लेकिन अस्लियत यही है।

श्री अध्यक्ष—स्वायत्त शासन मंत्री के डिपार्टमेंट में कौन सरकार है, यह तो आपने बताया ही नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं यह निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी विभाग का पहला सोपान जो हो उसी को हम सरकार कह सकते हैं। इस सदन में हम लोग जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी अपनी तबीयत से नहीं दे सकते। माननीय मंत्री जी उस प्रश्न को उपरोक्त चैनल से ही भेजते हैं, पहली सीढ़ी पर वह चला जाता है और वहां से जो कुछ लिखकर आ जाता है वही मंत्री जी कह देते हैं। बाद में अगर मंत्री जी को पता लगा कि पहली सीढ़ी से जो लिख कर आया था वह गलत था तो कुछ दिनों बाद उसमें संशोधन कर देते हैं कि वह जवाब गलत था। लेकिन उस गल्ती को मंत्री जी खुद महसूस नहीं कर पाते, जिसने पहले लिखकर भेजा था वही महसूस करता है। इसलिये "सरकार की राय में" अगर इसका मतलब मंत्री जी की राय से होता, तो कोई एतराज़ नहीं था। मंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है, हम जानते हैं कि वह गांधी जी के शिष्य हैं वह गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के लिये हम ऐसा नहीं मान सकते। क्योंकि सरकार तो वही है जो कि, अगर कहीं अतिवृष्टि हो जाय, लोगों के घर बह जायं, फसल बरबाद हो जाय, फिर भी यह लिखकर भेज दिया करती है कि सिर्फ दो आने का नुकसान हुआ, महज़ इसीलिये कि उनकी नौकरी पर कोई आंच न आये। इसलिये "सरकार" शब्द से हमें थोड़ा खतरा पैदा होता है और मैं समझता हूं कि उसके ज़रिये से बहुत कुछ काम खराब होंगे।

एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूं कि परिषद् के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार एक ही पंजा रख कर चुप नहीं रहना चाहती। सरकार की नज़र में वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एक बड़ी भारी खतरे की चीज़ हो गये हैं और सरकार उनसे डर रही है। उनको हटाने के लिये सरकार ने पहला कदम यह रखा कि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उनको हटा दिया जाय। दूसरी बात यह रखी कि मंडल आयुक्त जब चाहे तब निकाल दे और जब इतने से भी संतोष नहीं हुआ, कि मुमकिन है मंडल आयुक्त उनसे मिल जाय, तो उन्होंने कहा कि सरकार की राय में अगर हो तो फौरन हटा दिया जाय। इस प्रकार से हर जगह सरकार का पंजा बिठालने के लिये इतना ही नहीं बल्कि आगे अगर देखा जायगा तो यह भी कहा है कि कलेक्टर अपनी पावर्स को डिप्टी कलेक्टर को दे सकता है, इसी बिल में यह मौजूद है। इसलिये यही नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टर साहब की ही राय होगी या कमिश्नर साहब की राय होगी या मंत्री या उपमंत्री की राय होगी बल्कि डिप्टी कलेक्टर की भी राय होगी और वही पक्की राय होगी, वही पहला सोपान होगा।

एक चीज़ और मज़े की है। इस खण्ड में कहा गया है कि "अपने कर्तव्यों को पालन करने से इन्कार करे"। अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करे, या अपने कर्तव्यों का पालन न करे, ये तो सही है। मगर कर्त्तव्यों का पालन करने से इंकार करे, इसके माने यह हुये कि कोई उससे कहता है कि तुम यह काम करो और वह न करे। अगर सरकार उससे कुछ कराना चाहे और वह न करे तो सरकार फट से उसका कान पकड़ कर निकाल सकती है। किसको इन्कार करे। कलेक्टर साहब को, या डिप्टी कलेक्टर साहेब को या किसको?

श्रीमन्, एक चीज़ और है। इस बिल के लाने का उद्देश्य यह रखा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। नाम तो बड़ा सुन्दर है, मगर काम क्या है? कुछ नहीं। जितने अधिकार जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अंग्रेजों के ज़मानों में थे अब वह भी नहीं रहेंगे। सरकार ने अपने दोनों पंजे उनकी खोपड़ी पर इस तरह से बैठाल दिये हैं कि वे बेचारे कुछ नहीं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कर सकते। अगर सरकार से छूटते हैं तो मंडलायुक्त तथा कलेक्टर पकड़ लेगा। तीन-तीन तरफ़ से तोपें उनके ऊपर लगा दी हैं। लिहाज़ा उनसे कहा जायगा कि इसे करना ही होगा।

एक चीज़ और बड़े मज़े की है। मंत्री जी कहते हैं कि जिला परिषद् की राय लेकर उसे हटावेंगे। कहा है कि जो पत्र भेजेंगे उसके उत्तर का ३० दिन तक इन्तजार करेंगे और अगर उत्तर नहीं आता है तो मंत्री जी उन्हें अपनी तबियत से हटा देंगे। बात यह है कि जिला परिषद् की राय भी ली जाय मगर ली कैसे जायगी? वह इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है जिस दिन यहां से चिट्ठी चली जाय, परन्तु चिट्ठी कैसे जायगी? आये दिन हम अखबारों में देखते हैं कि एक पोस्ट कार्ड १३ साल में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में पहुंचा। अगर डाक विभाग ने मंत्री जी के नोटिस पर थोड़ी-सी कृपा कर दी और वह कहीं लखनऊ के किसी मोहल्ले में ही रह गया और उत्तर नहीं आया तो मंत्री जी समझेंगे कि परिषद् की राय हो गई है कि उसको हटा दिया जाय और फट से उसे हटा देंगे। यह धारा केवल विडम्बना मात्र है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अगर सरकार इस धारा को नहीं हटाती है तो यह उसके ऊपर एक कलंक बन कर रह जायगी और यह जो जनतंत्र का विकेन्द्रीकरण करने की बात कही जा रही है वह और यह सारा विधेयक केवल विडम्बना मात्र रह जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पूरी की पूरी धारा को ही हटा दें, अगर वह संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं हैं, तो न मानें।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, जिस धारा पर इस समय विवाद हो रहा है उस धारा के द्वारा जनतंत्र प्रणाली के मूल्यों को कम करने की चेष्टा की जा रही है। यहां पर यह कहने के लिये विवश हूं कि इस धारा के द्वारा दलगत राजनीति का प्रवेश जिला परिषद् विधेयक में किया जा रहा है। मान्यवर इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि अगर परिषद् के सदस्य किसी अध्यक्ष को यह समझते हैं कि वह अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रहा है तो वह उसको हटा सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहले जो विधेयक की जो धारा थी उसमें अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती थी लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या आधी हो तभी अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो सकता है। इससे उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि एक ओर वे अध्यक्ष की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी ओर सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, लेकिन जब इस धारा को देखा तो एक बात समझ में आयी कि सरकार ने जहां पर कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे वहां उनकी रक्षा के लिये आधे सदस्यों के हस्ताक्षर अपेक्षित किये लेकिन जहां गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष होंगे तो उनको किस प्रकार से निकाला जायगा। अब उनको निकालने के लिये इस धारा को जोड़ा जा रहा है। इत्तफाक से उस परिषद् में आधे सदस्य इस बात के लिये तैयार न हों तो सरकार इस धारा का प्रयोग करेगी और इस प्रकार दलगत राजनीति को जिला परिषदों में लाया जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ आधे सदस्य नहीं हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का होने के कारण सरकार की राय शरीफ में यह बात आ जाय कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको पृथक् कर दिया जायगा।

माननीय वर्मा जी ने दो-एक उदाहरण दिये। मैं भी एक उदाहरण उनके सामने रख देना चाहता हूं। यहीं के एक सदस्य बहराइच की म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हैं, उनसे कसूर हो गया कि उन्होंने एक शिक्षा संस्था को कुछ सहायता दे दी। इस पर सरकार की तरफ से उनको नोटिस दिया गया कि क्यों न तुम को सस्पैंड कर दिया जाय व तुम्हारे ऊपर क्यों न कार्यवाही की जाय। मैं जानता हूं कि विचित्र भाई की तरफ से वह आर्डर नहीं दिया क्योंकि उनकी ऐसी भावना नहीं है, उनकी जनतंत्र में पूरी आस्था है, लेकिन यह सरकार तो पूरी तरह से नौकर-शाही के हाथ में है। नीचे सेक्रेटरी के पास से जो कुछ लिख कर आता है मंत्री जी को विवश होकर उस पर दस्तखत करने पड़ते हैं।

नवलकिशोर जी ने भी इस धारा का समर्थन किया और कहा कि सरकार के हाथ में इस तरह के अधिकार रहने चाहिये, उनकी जानकारी में भी एक दो चेयरमैन इस तरह के हैं जो अपने कर्त्तव्य का सही पलान नहीं कर रहे ह, लेकिन इसीलिये चेयरमैन बने हुये हैं कि जब मंत्री जी जाते हैं उनको अभिनंदन-पत्र भेंट करते हैं इसके साथ ही साथ कांग्रेस कमेटी में भी इस बात की चर्चा होती है कि इनको हटाया जाय। लेकिन फिर भी वे नहीं हटाये जाते हैं। इसलिये यह धारा दलगत राजनीति की निशानी है। म मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन बातों पर विचार करें और इस धारा को निकाल दें। अगर यह धारा निकल जायगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जो विधान सभा के सदस्य हैं वे काफी सचेष्ट रहेंगे। मंत्री जी ने भी कहा था कि परिषद् में असेम्बली के सदस्य रहेंगे तो वे उनको कर्त्तव्यों का ज्ञान कराते रहेंगे, इसलिये मैं उन्हीं के शब्दों को दुहराना चाहता हूं कि हम लोग परिषद् में काफी सचेष्ट रहेंगे और अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो विधि-विधान में जैसा कि रखा गया है उसके अनुसार हम उनको स्वयं अलहैदा कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस धारा को हटा दें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाने के सम्बन्ध में विवाद है, यह एक सिद्धांत के आधार पर है और इसीलिये बाध्य होकर मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ा। श्रीमन्, एक तो जिला परिषदों का जो निर्माण किया गया है वह एक विशेष प्रकार से किया गया है। एक नयी प्रणाली जारी की गयी और उस प्रणाली के आधार पर यह बतलाया गया कि इस नयी प्रणाली के द्वारा हम विकेन्द्रीकरण करेंगे। यह सुन कर हम लोगों को आश्चर्य हो ही रहा था कि अब एक दूसरा आश्चर्य हमारे सामने यह हो रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार अपने हाथ में निरंकुश शक्ति लेना चाहती है। ऐसे तो उनके हटाने के बारे में एक प्रार्थना पत्र देने पर ही दस्तखत बनाने की सूची बनायी गयी है कि वह इस रूप में हो। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि वह जब जिस पर नाराज हो जाय, उनको हटान का अधिकार तो उसे अलग से रहेगा ही, लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वह जब चाहे तो उसे हटा दे, यह कहीं किसी रूप में नहीं लिखा है। सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के हटाने के लिये तो पूर्ण रूप से रोक लगायी गयी है कि आधे से अधिक सदस्य लिख कर दें और हटाने के लिये दो तिहाई सदस्य वोट दें तब वह हटाया जा सकता है। इससे यह साफ जाहिर है कि वहां बहुमत का प्रयोग कम हो पावेगा बल्कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को उसी हालत में निकाला जायेगा जब हर प्रकार से उन्हें हटाने के लिये सरकार की पूरी सहायता न पहुंच पावे। सरकार यह भी सोचती है कि कोई ऐसा अध्यक्ष आ जाय जिसको वह न चाहती हो, लेकिन सदस्य उसे चाहते हों, ऐसी हालत में क्या उपाय किया जाय। सरकार ने अपने उन शस्त्रों का प्रयोग करने के लिये एक रास्ता निकाला है कि उन अध्यक्षों को निकाला जाना चाहिये जिनको सरकार नहीं चाहती है चाहे सदस्य उन्हें चाहते हों।

इसका कुछ स्पष्टीकरण देते हुये इसकी थोड़ी-सी व्याख्या कुछ सदस्यों द्वारा कर दी गयी है, लेकिन अन्ततोगत्वा यह जाहिर है कि सरकार पूर्ण रूप से अपने हाथ में अधिकार रखना चाहती है। माननीय मंत्री जी की सद्भावना चाहे कुछ भी क्यों न हो, लेकिन सरकार के माने यही हुआ करते हैं कि डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने जिलाधीश को जो इशारा कर दिया वही चीज आपके सामने आ जाती है। हमने यह देखा है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष जो कि चुने हुये होते हैं, जनता के प्रतिनिधि कहे जाते ह, यदि जिलाधीश उनसे नाखुश हो या अध्यक्ष ने उनके उन कामों में सहयोग न दिया हो जिससे जिलाधीश की निरंकुशता जाहिर होती हो तो सरकार उस हालत में उनसे नाखुश हो जाया करती है। इसलिये यह प्रक्रिया जो सरकार की है, वह समझाने के लिये तो यही है कि सदस्यों द्वारा चुना हुआ स्थायी रूप से अध्यक्ष हो जाय,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उसे हटाया न जा सके, काम करने में सुविधा हो, रोज-रोज अविश्वास का प्रस्ताव न आवे और उसे हम स्थायित्व दे दें। लेकिन दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि सरकार निरंकुश कार्य कर रही है और उसने इस बात की छूट ले रखी है कि किसी समय, किसी प्रकार से किसी के द्वारा भी अपने अधिकार का उपयोग कर ले, इसके लिये वह तल्लीन दिखलायी पड़ती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह निरंकुश अधिकार ले रखा है वह अप्रजातांत्रिक है। सरकार द्वारा अपने हाथों में इन सभी अधिकारों के लेने से यह प्रमाणित होता है कि विकेन्द्रीकरण के जड़ मूल को सरकार जड़ से ही हिला देना चाहती है। अन्ततोगत्वा सरकार अपने हाथ में अधिकार लेकर जिस प्रकार से चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक उसका अर्थ निकालना चाहती है और अपने मन से काम करना चाहती है। इसलिये हम इसका विरोध इस आधार पर करते हैं कि यह कानून जो बनाया गया है उसका मूलभूत आधार ही निरंकुश व गलत है। सरकार किसी हालत में भी यह अधिकार जनता को नहीं देना चाहती है। इस अधिकार के द्वारा सरकार किसी वक्त भी किसी भी भले अध्यक्ष को अपने बुरे कारनामों से हटाने का प्रयास कर सकती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी मित्रों का अनुगृहीत हूं जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया या माननीय नवल किशोर जी आदि जिन लोगों ने विरोध किया। मैंने बड़े गौर से उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ ज्यादा समझ में आई नहीं। ऐसी बातें कही गईं जो साधारण समझ वाले की पहुंच के बाहर थीं।

मंत्री जी ने एक चीज कही और कुछ अंश में माननीय नवलकिशोर जी ने भी उसका समर्थन किया कि यह जो लिस्ट मैंने दी है जिसके मुताबिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिस्क्वालिफाई होंगे और राज्य सरकार को हक होगा अलग करने का, उसके सम्बन्ध में उनका एतराज है कि एक्जास्टिव नहीं है और मंत्री जी ने कहा कि यह अवैधानिक है। मैंने अपने संशोधन के उपखण्ड (द) और (घ) में दिया है कि जिला परिषद् की राय में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना कर्त्तव्य पालन करने में असमर्थ हो गया हो या अपने कर्त्तव्य पालन में घोर दुराचारी रहा हो, तो सरकार द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। इस पर मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिये तो हमने व्यवस्था कर दी कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि मेरी मंशा इसमें कुछ और है। वह कार्यवाही जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा होगी वह दूसरा मार्ग है और मेरा बताया दूसरा मार्ग है, यह आल्टरनेटिव कार्यवाही है। चाहा यह गया है कि जिस जिला परिषद् ने किसी अध्यक्ष को छांटा है और वह अध्यक्ष अपने कर्त्तव्य से विमुख हो गया हो तो जिला परिषद् बहुमत की राय से राज्य सरकार को लिख सकती है कि हमारी राय में यह व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है और उस सिफारिश को अगर राज्य सरकार उचित माने, उस पर विचार करने पर दोनों की राय को इनसाइड कर जाय, तो सरकार को पूरा अधिकार होगा कि उस पर कार्यवाही करे।

श्रीमन्, यह बात नहीं है कि माननीय मंत्री जी यह नहीं चाहते हैं। उन्होंने खण्ड २९ में अपनी इच्छा जाहिर की है कि जिला परिषद् की राय ली जायगी, लेकिन फर्क इतना है, मेरे और उनके कहने में, कि वह कहते हैं कि जिला परिषद् की राय अगर ३० दिन के अन्दर आ गई तो वे उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन विचार करने के यह माने नहीं कि स्वीकार कर लेंगे। मैं इसलिये इस बात पर जोर देता हूं कि इलैक्टेड बाडी है, उसके इलैक्टेड मेम्बर्स हैं, उनकी भी कोई प्रैस्टीज होती है। श्रीमन्, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स हैं, जो भी रिमूविंग आथारिटी है वह एप्वाइंटिंग अथार्टी से लोअर ग्रेड की नहीं हुआ करती। तो जो जिला परिषद् के अध्यक्ष होंगे, उनको बनाने वाले वह लोग हैं जिन्होंने कि इसके लिये वोट दिया। उनको सरकार नहीं बनाती। सरकार एप्वाइंटिंग अथार्टी नहीं है तो उसको रिमूविंग अथार्टी भी नहीं होनी चाहिये। जिन्होंने उनको बनाया उनकी राय का कान्फरेन्स हो सरकार की राय से तो ठीक होगा।

माननीय मंत्री जी ने और नवलकिशोर जी ने कहा कि मेरा संशोधन एक्जास्टिव नहीं है। श्रीमन्, यह बहुत व्यापक है कि "अध्यक्ष जो अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा हो।" लेकिन माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि तब मानेंगे जबकि उनकी राय में काम गलत होगा, अगर वे नहीं चाहते तो उस आदमी को निकाला न जायेगा। अपनी राय को ही वह व्यापक मानते हैं। इसमें अंवैधानिकता की बात जो मंत्री जी ने कही, वह भी नहीं आती है। श्रीमन्, क्या मैं यह मानूं कि राज्य सरकार की राय के खिलाफ चलने में यहां पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तमाम निकाले जा सकते हैं। इसकी एक विवेचना पहले से श्रीपालसिंह जी ने बड़े सुन्दर तरीके से की। एम० एल० ए० को जनता चुनती है। क्या सरकार की या प्रेसीडेंट की राय यदि यह हो कि वह ठीक तरह से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो भी क्या वे उसको निकाल सकते हैं? तो जब निर्वाचित सस्दय को इस प्रकार निकालने की कहीं व्यवस्था संविधान में भी नहीं है फिर यहीं क्यों रखी जा रही है? क्या मैं मानूं कि सरकार देहात के चुने हुये प्रतिनिधि को प्रतिनिधि नहीं समझती? इससे देहात की जनता का एक तरह से सरकार अपमान कर रही है। एक तरफ तो आप देहात की जनता के जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं, उनकी मर्यादा को उठाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि को कुत्ते की तरह निकालने की ताकत अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी देहात के आदमियों के प्रति घृणा का भाव इस सरकार का है।

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में अन्य जगहों का तो जिक्र किया, लेकिन मिर्जापुर का जिक्र नहीं किया जानबूझ कर। वहां का बजट डेफिसिट न होते हुये वहां की नगरपालिका ने साइकिल टैक्स दो रुपया से एक रुपया कर दिया था और जो जजिया कर सरकार लगाना चाहती थी, विन्ध्याचल में, उसको उन्होंने नहीं लगाने दिया। तो सरकार ने उनके खिलाफ तुरन्त ऐक्शन ले लिया, अन्य कांग्रेसी बोर्डों में, जहां गबन के मामले सालों से चल रहे हैं वहां के म्युनिसिपिल बोर्ड तथा चेयरमैन कायम हैं, क्योंकि वह सरकारी पार्टी के हैं। ऐसा ही झांसी का हाल है।

इतना ही नहीं मैंने इस खण्ड में एक जगह यह कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें अध्यक्ष इंटरेस्टेड हो उसमें उसे वोट देने का अधिकार न दिया जाय। यह व्यवस्था इसमें ही नहीं बल्कि और अधिनियमों में भी है, जैसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम से मैंने यह चीज ली है कि अगर अध्यक्ष का किसी में इंटरेस्ट हो और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसको अलग किया जाय। लेकिन यह सरकार उसे अलग नहीं करना चाहती। कोसी कलां (मथुरा) में एक जनसंघ के सदस्य थे वह कानून नहीं जानते थे, उनके लड़के ने जो सन् १९४३ से बोर्ड के मातहत केवल मोहर्रिर था। उसके पिता ने एक मीटिंग में जिसमें उस लड़के का जिक्र भी था, अपना वोट दे दिया। अगर वोट न भी देता तो भी प्रस्ताव पास होता क्योंकि वह प्रस्ताव एक से ज्यादा के बहुमत पर पास हुआ था, लेकिन उनको इसी बात पर निकाल दिया। तो मेरा निश्चित मत है कि सरकार इस शक्ति से अपने आदमियों को तो रखेगी, लेकिन विरोधी दल के लोगों को निकालेगी क्योंकि पुराने ऐक्टों में भी शब्द "may" इस्तेमाल किया गया है न कि "shall"। मेरा संशोधन देखिये यह बड़ा व्यापक है, इसमें सारी बातें आ गई हैं। वरना यही होगा रुद्रपुर में ढाई साल से टाउन एरिया बना हुआ है वहां कांग्रेस के लोग नामीनेटेटड हैं, दूसरा चुनाव ही नहीं हुआ। अगर मंत्री जी प्रजातंत्र की हत्या नहीं करना चाहते तो मेरे संशोधन को मानें अन्यथा प्रजातंत्र की हत्या होगी।

*श्री प्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जब उपमंत्री जी को सुन रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अगर उन्होंने मेरे संशोधन के बारे में ही कहा होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को कहा कि यह इल्लीगल है। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

मैं उनसे कहूंगा कि वह माननीय गेंदासिंह जी के कमरे में कभी जा कर इल्लीगल और इर्रेगुलर की परिभाषा सीखें। अगर इल्लीगल होता तो एजेन्डे पर ही क्यों आता? इर्रेगुलर हो सकता है। अतः इल्लीगल कह कर आपने उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो संशोधन आपको माफिक नहीं पड़ता वह इल्लीगल कैसे है?

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि शब्दों का हेर फेर हो जायगा। शब्द कहां फिट होते हैं इसके लिये आप के पास लीगल रिमेम्बरेंसर हैं। इसलिये मंत्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। सोच समझ कर उनको कहना चाहिये। कहां पर क्या शब्द रखना चाहिये यह आपकी जिम्मेदारी है हमारी नहीं। हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ नहीं है कि हम उसको फ्रेम करें। माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा वह दूसरी पंक्ति में न आ कर अगर चौथी पंक्ति में भी आये तो उसको मानना चाहिये। हम लोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निकालने का अधिकार न जिला परिषद् के हाथ में देना चाहते हैं और न सरकार के हाथ में देना चाहते हैं बल्कि एक तीसरी एजेन्सी क्रियेट कराना चाहते हैं। अब वह चाहे न्यायाधीश हो चाहे जिस तरह से गेंदा सिंह जी रखा है उस तरह से हो। तो हमारी पवित्र भावना को माननीय मंत्री जी को समझना चाहिये। जिला परिषद् में भी क्लिक हो सकता है। सरकार ने इसमें तीन बातें रखी हैं—पहली, जानबूझ कर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है, दूसरी अनाचारी है, तीसरी जानबूझ कर अपने काम को करने से मना करता है। अगर सरकार को इस तरह से ही रखना था तो परिभाषा होनी चाहिये थी कि अनाचारी किस को कहेंगे, कर्त्तव्य की क्या परिभाषा है। बड़े ताज्जुब की बात है, आप हमारे माननीय अध्यक्ष ह, हमारी श्रद्धा आपके ऊपर है, क्या कभी इतिहास में आपने पढ़ा है कि अध्यक्ष ने अपनी समझ के अनुसार कभी यह कहा हो कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। आदमी तो यह कहता है कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं। जो इन्सान अपना कर्त्तव्य नहीं करना चाहेगा वह कभी इस पद पर नहीं आयेगा। जैसा कि हमारे बहुत से लायक दोस्तों ने कहा कि आपने पहले ही अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कर दिया है कि आधे से ज्यादा दस्तखत करें। इसका मतलब यह है कि न आधे से ज्यादा लोग मिलेंगे न अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। विकेन्द्रीकरण तभी हो सकता है जब अल्पसंख्यक को भी आवाज उठाने का अवसर हो।

श्रीमन्, आपने जान स्टुअर्ड मिल को पढ़ा होगा जिसने कहा है कि ९९ आदमी अगर एक बात कह रहे हों और केवल एक आदमी दूसरी बात कह रहा हो तो उस एक आदमी की बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमन्, आपने रूसो को भी पढ़ा होगा। तो आधे से ज्यादा की बात रखने का मतलब यह होगा कि अल्पसंख्यक को कभी अधिकार नहीं होगा कि वह अविश्वास के प्रस्ताव को रख सके। और यहां पर आप यह कर रहे हैं कि परिषद् की चाहे कुछ भी इच्छा हो, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं होगा और सरकार का मतलब मैं जिलाधीश समझता हूं। खण्ड २९ के मुताबिक जिलाधीश को जिले का भगवान माना जा रहा है। जिलाधीश जब किसी अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दे देगा तो सरकार उसे निकाल देगी।

श्रीमन्, जनतांत्रिक प्रणाली की सफलता का भार केवल कांग्रेसवालों पर ही नहीं है बल्कि इस देश के प्रत्येक इन्सान पर है। हमारे हाथ में आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं और कल को अगर यह असफल हुआ तो कहेंगे कि विरोधी दल के खिलाफ लोग ही कहा करते थे कि जल्दी से विकेन्द्रीकरण कर दो।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि सरकार ये सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन को लागू करना चाहती है। जब कि सारा अधिकार सेन्ट्रलाइज है। आप तो केवल इसका मजाक और मखौल बना देंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी विवेक से काम लें और वह हमारे संशोधन की मंशा को समझें।

*श्री शिवराजबहादुर—अध्यक्ष महोदय, अभी जरा देर पेश्तर बाबू नवल किशोर जी ने अजीब आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि जब यह सेक्शन डिलीट कर दिया जायगा और किसी ने मिसकांडक्ट किया तो उसका क्या होगा? मुझे हैरत हुई माननीय नवलकिशोर जी जैसे आदमी से यह बात सुनकर। आज भी अगर कोई सदस्य गलती करता है तो पीनल कोड हमारे यहां मौजूद है, उसके लिये सजायें हैं, लोग गिरफ्तार किये जाते हैं। अगर कोई एम्बेजलमेंट करता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है। जब हमारे यहां आई० पी० सी० मौजूद है और उसके होते हुये कि अगर कोई मिसकांडक्ट करेगा तो क्या होगा ऐसा कहना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है।

श्रीमन्, यह हमारी बदकिस्मती है कि सिलेक्ट कमेटी से लौटा हुआ बिल वापस ले लिया गया और यह बिल सदन के सामने लाया गया है। अगर यह सिलेक्ट कमेटी में गया होता तो शायद इसमें से बहुत सी खामियां दूर हो गई होतीं। जहां तक अध्यक्ष का वास्ता है कि सरकार की राय में यह बात आ जाय तो अध्यक्ष महोदय, यह चीज गलत है क्योंकि राय में हमेशा इख्तलाफ हुआ करता है। हमेशा राय में काफी फर्क हुआ करता है। लेकिन तर्क और दलील की राय में कोई गुंजायश नहीं है। यहां सरकार ने अपने हाथ में इतनी पावर्स ले ली हैं। मुझे इससे वास्ता नहीं है कि सरकार किस को बरखास्त करेगी और किस को मुअत्तिल करेगी। लेकिन कोई भी सरकार अगर अपने हाथ में इतने अधिकार ले तो उसकी आलोचना की जायगी क्योंकि हम तो सिद्धांत की बात देखते हैं कि सरकार कितनी ताकत अपने पास रखना चाहती है और कितनी ताकत जनता को देना चाहती है। इससे पता चलता है कि जनता के हाथ में सरकार कोई ताकत देना नहीं चाहती है।

एक चीज अध्यक्ष महोदय, और है जो वर्मा जी ने कहा था कि अगर एक को डिलीट किया जाय और दूसरे को न किया जाय तो इसमें गलती हो जायगी। आपकी इजाजत से डेढ़ दो लाइन अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। वह इस तरह से हैं—

"The State Government may place under suspension an Adhyaksha or an Upadhyaksha against whom a proceeding under the section has been started."

जब हमने सेक्शन २९ को डिलीट कर दिया तो कोई प्रोसीडिंग्स जारी नहीं होती हैं, तो यह रिडडेंट बात हो जाती है और उसको पृथक करने की सूरत नहीं रह जाती है। इसलिये मेरा संशोधन मुनासिब है। हम डैमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं और यह भी न मालूम हो कि कोई डिक्टेटर बैठा है। हम ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसमें जनतंत्र की अक्सरियत हो। बहुमत के जोर पर सरकार कुछ भी करे, लेकिन यह तरमीम मंजूर होने के काबिल है।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस संशोधन पर भी, सरकारी पक्ष से विकेन्द्रीकर के लिये प्रतिक्रिया हो रही है। बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक ले आने की बात कही जाती है, लेकिन उसकी उल्टी यह बात मालूम होती है। हमारा संशोधन स्पष्ट है कि अगर सरकार को वह सारी शक्तियां मिले और वह देखे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो हम नहीं कहते हैं कि उसको सजा न मिले। सजा मिले, लेकिन सजा देने का फैसला सरकार न करे। हमको प्रजातन्त्र के मल्यों के सम्बन्ध में इस वक्त गंभीर शुबहा हो रहा है, और हमको गंभीर खतरा दिखायी देता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बरखास्त कर देने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है। कुंवर श्रीपालसिंह जी ने बड़े ढंग से इस बात को रखा कि सरकार का अर्थ क्या होता है। उन्होंने बताया कि लेखपाल व चौकीदार से लेकर, कमिश्नर तक और मिनिस्टर साहब को भी उनको रखना चाहिये था। सब सरकार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन्, एक तबका और रखना चाहता हूं। वह हमारी बिरादरी है। वह भी सरकार है। सरकारी मुलाजिमों में तो नहीं आती लेकिन हमारी बिरादरी भी इस वक्त सरकार है। इस वक्त अपनी म्युनिसिपैलिटियों के चेयरमैनों, टाउन एरिया क चेयरमनों, गांव सभाओं के सभापतियों को हटाने, और बढ़ाने से बड़ा उसका सम्बन्ध है। मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसे सभापतियों को हम न हटा पाये जिनको एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए था। जरूर निकाल दिया जाना चाहिए था। उन्होंने दीदा दानिस्ता जमीनों को अपने नाम दर्ज करवा लिया, दूसरों का रुपया हड़प लिया। लेकिन हम नहीं निकलवा सके, इसलिये कि सरकारी अधिकारी और हमारी बिरादरी के लोग जो हमसे डाह करते हैं, वह उनकी मदद करते रहे। उनकी बेईमानी आज तक जारी है। इस सम्बन्ध में उदाहरण देने की कतई जरूरत नहीं है। यह दिल पर हाथ रख कर शर्मा जी और वर्मा जी पूछ लें कि उन पर कितना प्रेशर पड़ता है। इसलिये दबाव पड़ता है कि अमुक काम में उनका मददगार नहीं होता है इसलिये उसको निकाल कर बाहर किया जाय। ऐसे प्रेशर भी आते हैं। तो सरकार बदनामी की टोकरी अपने सिर पर क्यों लेती है। अगर वह सचमुच कर्त्तव्य पालन न करेगा, तो मेरा संशोधन है कि तीन जजों का एक निर्णायक पंच होगा, वह फैसला करेगा, मैंने उसमें यह नहीं कहा है कि हाई कोर्ट के जज होंगे, या रिटायर्ड जज होंगे। मैंने सरकार की पसन्द पर छोड़ दिया है। क्या सरकार को अपनी पसन्द के तीन जज नहीं मिल सकते जो जिम्मेदारी के साथ सरकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकें और इंसाफ का भी खयाल रख सकें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नीचे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिये सरकार ऐसा विधान बना रही है जिससे नीचे के लोग उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव न ला सकें।

माननीय शर्मा जी से मैं पोलिटिकल साइंस के विद्यार्थी की तरह से पूंछना चाहता हूं कि क्या अल्पमत को अपनी बात कहने का हक है या नहीं? जिला परिषदों में उन्होंने अल्पमत का यह अधिकार छीन लिया है। उन्होंने अभी यह संशोधन स्वीकार किया है जिसकी वजह से अल्पमत कभी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ले आ सकेंगे। कैसे बचपने की बात मुझे वह सिखाना चाहते हैं। मैं तो पोलिटिकल साइंस के विद्यार्थी की तरह से उनसे पूछना चाहता हूं कि संसार के किस देश में इस तरह का नियम है कि जहां अल्पमत का अपनी बात कहने का अधिकार भी छीन लिया जाय। कहां तो यह बात की जाती है कि अध्यक्ष की ज्यादती को रोकने के लिये वहां से हटाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष की मर्यादा की रक्षा करने का अधिकार जिनको है उनको अधिकार देने में वे संकोच करते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है और इस बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाकर कहना चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाना चाहिये और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस स्थिति और दुर्दशा से बचाना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी ने अपने संशोधन की ओर संकेत करते हुए कुछ एसी बातें कहीं जिससे ऐसा लगता था कि मैंने उसमें कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश की। श्रीमन्, इस संशोधन के खण्ड (ब) में कहा गया है "जो इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन सदस्य बने रहने से अनर्ह हो गया हो" मैंने यह कहा था कि इसकी व्यवस्था हम खण्ड १९ के उपखण्ड (७) और (४) में कर चुके हैं इसलिये यहां पर इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैंने कही थी वह यह थी कि यह व्यवस्था हो चुकी है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव तत्कालीन सदस्यों की आधी संख्या द्वारा आ सकता है और दो-तिहाई के बहुमत से ही पास हो सकता है। यहां जिस तरह की बात रखी गयी है उसमें यह है कि कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष कर्त्तव्य पालन में असमर्थ हो गया हो तो परिषद् उसके हटाने की राय दे सकती है। यही कारण है तथा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता हो सकती है। अविश्वास दो तिहाई के बहुमत से पास होगा। अगर परिषद् तय कर दे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा है फिर राज्य सरकार ऐसे उपाध्यक्ष या अध्यक्षको हटा-

सकती है अगर वह चाहे तो। श्रीमन्, पहले तो यह दोष लगाया जा रहा था कि जैसी इसमें व्यवस्था की गयी है उसके द्वारा तो राज्य सरकार अपने दल के आदमियों को नहीं हटायेगी और दूसरे दल के आदमियों को हटायेगी। माननीय विष्ट जी भी तो कहते हैं कि राज्य सरकार अपदस्थ कर सकती है। चाहे वह हटाये या न हटाये, लेकिन वह भी अधिकार राज्य सरकार को देने के पक्ष में है तो इससे भी तो राज्य सरकार संबंधी वह दोष दूर नहीं हुआ जो वह चाहते हैं।

फिर (फ) में कहते हैं "जो पूर्णयता समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैंने पेश करते समय "परिषद" करेक्ट कर दिया है।

श्री जयराम वर्मा—तो श्रीमान् जी, अगर परिषद् के क्षेत्राधिकार के बाहर वह रहने लगा हो, यानी अगर इत्तफाक से कोई आदमी अपने जिले से कुछ दिनों के लिये बाहर रहने लग जाय तो इसीलिए वह हटाया जा सकता है और वह समझते है कि यह कोई बड़ी भारी बात वह कह रहे हैं, क्या यह कोई बड़ा भारी कारण हो जायगा उसको हटाने के लिये यदि वह अपने जिले से बाहर रहने लगे। दूसरी बात वह यह कहते हैं कि जिसकी बाहर बदली हो गई हो। श्रीमान्, जी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की क्या बदली होगी, यह कुछ समझ में नहीं आया कि कौन उनका ट्रान्सफर करने वाला है और कहां उनका ट्रान्सफर हो सकता है? तो पता नहीं कैसे वह ऐसी-ऐसी बातें रखे हुए हैं जो कि हम मानने को तैयार नहीं हैं।

श्रीमान् जी, माननीय गेंदासिंह जी, मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और वह जो कुछ भी मुझको शिक्षा ना चाहें मैं उनके कमरे में आकर पढ़न को भी तयार हूं। मैं इससे इनकार नहीं करता। माननीय प्रतापसिंह जी कुछ इस तरह का उपदेश मुझे दे रहे थे। मैं उसके लिये तैयार हूं, जब भी वह मुझे सिखाना चाहें, मैं आने को तैयार हूं क्योंकि मैं एक विद्यार्थी के नाते हमेशा हरएक से सीखने को तैयार रहता हूं, तो उनसे भी सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। श्रीमान् जी, वह ऐसी बात कह रहे थे कि जैसी व्यवस्था हम कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं है। श्रीमान्, जी, उसी तरह की व्यवस्था नगरपालिका में है, उसी तरह की व्यवस्था टाउन एरिया में है, नोटीफाइड एरिया में है, कारपोरेशन में है, सब जगह उसी तरह की व्यवस्था है कि सरकार को अधिकार है अगर उसकी राय में कोई कार्य इस तरह का हो रहा है तो वह उसको हटा सकती है। और वह कुछ बलवन्त राय महता कमेटी की तरफ भी इशारा कर रहे थे जिससे यह मालूम होता था कि उनकी राय ऐसी नहीं थी और हम उनके कहे हुए के विपरीत कुछ कर रहे हैं वैसा कदापि भी नहीं है। आन्ध्र में जो जिला परिषद् और पंचायत समिति का अधिनियम बना है उसमें भी यह लिखा हुआ है—

"If in the opinion of the Government, the Chairman or the Vice-Chairman of a Zila-Parishad, willfully omits or refuses to carry out the orders of the Government for the proper working of the Zila-Parishad or abuses the powers vested in him, they may, by order remove such Chairman or Vice-Chairman as the case may be after giving him an opportunity for explanation."

तो हम तो उससे भी आगे हैं। केवल उससे स्पष्टीकरण ही नहीं मांगते हैं। हम जिला परिषद् की भी राय लेना चाहते हैं। हम उनसे भी एक कदम आगे हैं। तो यह कहना सही नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज रखना चाहते हैं जो हमें उससे पीछे ले जाती है।

श्रीमान् जी, मैंने पहले ही यह प्रार्थना की थी कि यह राज्य सरकार जिसके माने हैं उत्तर प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यह सारी संस्थायें ठीक से काम करती रहें। अब अगर माननीय कुंवर श्रीपालसिंह की समझ में न आये और उत्तर प्रदेश की सरकार के माने वह चौकीदार या कांस्टेबिल समझें, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। सूरज निकला हो और किसी को दिखाई न देता हो तो उसमें किसी और का कसूर नहीं है। इसी तरह यह अगर उनकी समझ में नही आता है तो इसमें भी किसी और का कोई कसूर नहीं और यह भ्रम पैदा करना कि वह

[श्री जयराम वर्मा]

सब काम एक चौकीदार करेगा या एक कांस्टेबिल करेगा, बड़ी अनुचित बात है। चूंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी यह है इसलिये वह अपने कर्त्तव्य से कभी हट सकती ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैं थोड़ा-सा समय आज की बैठक का बढ़ा देता हूं। खण्ड २९, ३० पर राय लेकर समाप्त करूंगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड २९ का उपखण्ड (१) निरस्त करके उसके स्थान पर निम्नांकित जोड़ा जाय :

"(१) राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को निम्नांकित किसी एकाधिक कारण से अपदस्थ कर सकती है--

(अ) जो जिला परिषद् की लगातार हुयी तीन बैठकों या तीन महीने की अवधि में बिना परिषद् को यथेष्ट कारण बताये अनुपस्थित रहे, अथवा

(ब) जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन सदस्य बने रहने से अनर्ह हो गया हो, अथवा

(स) जिसने किसी ऐसे विषय में जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें वह अपने वाद ग्राहक (client) निर्देष्टा (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से (professionally) अभिरुचि रखता हो, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष या किसी समिति के सदस्य के रूप में मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर अथवा उसके विषय में कोई प्रश्न पूछकर कार्य किया हो,

(द) जो जिला परिषद् की राय में उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में वह अपने कर्त्तव्य-पालन करने में असमर्थ हो गया हो,

(घ) जो जिला परिषद् की राय में उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य-पालन में घोर दुराचारी रहा हो।

(न) जो बिना राज्य सरकार की आज्ञा लिये ही जान-बूझकर प्रत्यक्ष अथवा, अप्रत्यक्ष रूप से किसी साझेदार द्वारा परिषद् की कोई सम्पत्ति या उसमें कोई हिस्सा अथवा अधिकार अथवा उससे सम्बन्धित कोई ठेका धारण किये गये हों अथवा जो परिषद् के मातहत किसी लाभ के स्थान अथवा नौकरी में हो,

(प) जो जिला परिषद् का सदस्य होते हुए किसी मुकदमें में जिसमें जिला परिषद् की कोई सम्पत्ति विवादास्पद हो समिति के विपरीत पक्ष में विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता या कर चुका हो।

(फ) जो पूर्णतया परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने लगा हो या जिसकी बाहर बदली हो गयी हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) में जहां कहीं भी शब्द "राज्य सरकार" आया है वहां शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखंड (१) की पंक्ति (७) में शब्द "भेजे जाने" के स्थान पर "प्राप्त होने" रख दिये जायं और पंक्ति ८ में शब्द "तीस" के स्थान पर "पैंतालिस" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) को पृथक् कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखण्ड (१) की अंतिम पंक्ति के शब्द "उपाध्यक्ष" के आगे के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"के मामले को निर्णय के लिये अपनी सिफारिश के साथ निर्णायक पंच को भेज देगी जो यह निर्णायक पंच तीन जजों द्वारा बनेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ के उपखण्ड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "इस प्रकार उसे" के उपरान्त आगे के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"कार्यवाही के पूर्ण होने तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने या जिला परिषद् के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०

राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास-स्थान

३०--धारा ६ तथा १८ के प्रयोजनों के लिए राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायगा जो उक्त सदस्य ने राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद्, जिसका वह सदस्य है, के अधिवेशनों में उपस्थिति के निमित्त की गई यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिकभत्ता वसूल करने के लिये व्यक्त किया है।

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई संशोधन नहीं है। एक संशोधन आया है जो शाब्दिक है और उसे मैं भी कर सकता हूं। मैं इस खण्ड पर भी राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१२ सितम्बर, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १, ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

तालिका १

आगरा तथा प्रदेश के अन्य प्रमुख मण्डियों में जून, १९६० के तीसरे सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में गेहूं के फुटकर तथा चने के थोक भाव प्रतिमन ।

मन्डियों के नाम	गेहूं				चना			
	२१–६–१९६०		७–७–१९६०		२१–६–१९६०		७–७–१९६०	
	रु०	नयेपैसे	रु०	नये पैसे	रु०	नये पैसे	रु०	नये पैसे
१—आगरा ..	१६	७५	१८	५०	१४	००	१५	२५
२—हापुड़ ..	१५	३१	१६	७५	१४	०६	१५	००
३—सहारनपुर ..	१७	३७	१७	८७	१३	५०	१४	६२
४—मुजफ्फरनगर ..	१६	८७	१७	३७	१४	००	१५	१२
५—बुलन्दशहर ..	१६	००	१७	३७	१४	००	१५	२५
६—अलीगढ़ ..	१६	२५	१८	१२	१४	१२	१५	९४
७—हाथरस ..	१६	३७	१७	२५	१४	००	१५	२५
८—कासगंज ..	१५	००	१६	५०	१२	८७	१४	५०
९—देहरादून ..	१८	५०	१९	५०	१३	७५	१४	५०
१०—मेरठ ..	१७	१९	१८	००	१४	१२	१५	२५
११—लखनऊ ..	१८	२९	१८	८२	१४	२२	१५	२४
१२—मुरादाबाद ..	१६	२५	१८	००	१४	२२	१६	००
१३—चन्दौसी ..	१५	६२	१७	२५	१३	६२	१५	००
१४—शाहजहांपुर ..	१७	७८	१८	२९	१४	२५	१४	५५
१५—हरदोई ..	१७	३०	१८	८२	१४	५५	१६	००
१६—सीतापुर ..	१७	३०	१८	२९	१५	२४	१५	६१
१७—बरेली ..	१७	३०	१८	००	१४	२५	१५	००
१८—कानपुर ..	१८	००	२०	००	१४	५६	१५	८७
१९—बांदा ..	१४	२५	१४	५०	१३	००	१४	००
२०—कालपी ..	१४	५४	१५	२३	१३	६१	१४	५४
२१—उरई ..	१५	२३	१६	००	१२	८०	१४	५५
२२—इटावा ..	१६	००	१६	६२	१४	५४	१५	६१
२३—फर्रुखाबाद ..	१८	२८	१८	८१	१३	९१	१५	६१
२४—इलाहबाद ..	१८	५०	१८	५०	१३	२५	१४	५०
२५—वाराणसी ..	१६	५०	१८	००	१४	७५	१५	५०
२६—गोंडा ..	१५	७५	१६	५०	१३	२५	१४	००
२७—बलरामपुर ..	१५	६२	१६	००	१३	००	१३	५०
२८—बहराइच ..	१५	२५	१५	५०	१२	००	१३	००
२९—गोरखपुर ..	२०	००	२०	००	१३	५०	१४	००

तालिका २

(१) निर्धारित राशन के अतिरिक्त एक समय पर १० रुपया तक का आटा सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा बेचने का आदेश दे दिया गया है।

(२) जिलाधीशों को आटा बेचने की दूकानों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है।

(३) पंच-महानगरियों तथा मेरठ, बरेली, सहारनपुर और रुड़की नगरों के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर दैनिक बिक्री की मात्रा प्रति दिन बढ़ाकर ५० मन तक कर दी गई है।

(४) पंच-महानगरियों तथा मेरठ, बरेली, सहारनपुर रुड़की व पूर्वी जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जहां चावल (३) का भाव २२.०० रुपया प्रति मन तथा उससे अधिक है सस्ते गल्ले की दुकानों से ५० मन दैनिक मात्रा के अन्दर ही १० मन तक चावल प्रति दिन बेचे जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(५) अगस्त, १९६० से राज्य में रोलर आटा मिलों का गेहूं का कोटा केन्द्रीय सरकार द्वारा २०,०४० टन से बढ़ाकर ५६,६२० टन कर दिया गया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

'नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम खाते दार मय पूरा पता	भूमि जो ली गई	भूमि जो शेष है
१	मु० अगांना बेवा डोरी, सा० रानी खेडा ..	१० बीघा ४ वि० ५ वि०	७ बीघा १८ वि० ५ वि०
२	मु० बिसमिल्ला उर्फ शमशलिनिसां जौजे मुहम्मद अनवर व मु० रशीदन जौजे मुहम्मद अनवर व मु० जुबेवा खातून जौजे, मु० अख्तर, सा० हसन गंज ..	४ बीघा ३ वि०	.. ..
३	मोती पुत्र जवाहर लाल कायस्थ, सा० पूरवहार	४ बी० ६ वि०	.. ..
४	कल्लू पुत्र देवी कुम्हार, सा० रानी खेड़ा ..	४ बी० १९ वि०	..
५	मु० गफूरन जौजे अलताफ, सा० पूरब हार ..	१ वि०	..
६	बदलू पुत्र कल्लू पासी, सा० रानीखेड़ा ..	२ बी० ८ बि० १५ वि०	५ वि०
७	मु० बकरीदी पुत्री जंगली कवडिया, सा० पूरवहार	१० बीघा १० वि०	
८	मोहन पुत्र कल्लू पासी, सा० रानी खेड़ा ..	८ बीघा १० वि० १० वि०	२ बीघा १ वि०
९	मु० साधना बेबा सीताराम गमेल, सा० रानीखेड़ा ..	१ बीघा १ वि०	१ बीघा ९ वि०
१०	हिरुवा व बद्री उजागर गमेल, सा० रानी खेड़ा ..	३ बीघा ८ वि०	
		३९ बीघा १२ वि०	११ बी० १३ वि० ५ वि०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६५ एल० ए०—१९६०—८४५।